खण्ड-343, अंक-8
बुधवार, 17 माघ, शक संवत् 1901
(6 फरवरी, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	727–731
प्रश्नोत्तर	731–781
जनपद कानपुर के नरवल थाने के थानाध्यक्ष द्वारा श्री छेद्दू यादव की पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	782
इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	782–783
एटा जिले के थाना जैथरा की पुलिस द्वारा डाकुओं को पनाह देने तथा डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	783–784
कानपुर के टैनरी मजदूरों में व्यापक असंतोष तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	784
इलाहाबाद जिले की मंजनपुर तहसील में जमुना नदी पर स्वीकृत लिफ्ट माइनर वा कार्य शुरू किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	784–785
बस्ती जनपद में कटहना महरया मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा टेस्ट वर्क में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	785
बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के कतिपय ग्रामों में ओले से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	785
बस्ती जनपद में सूखा पीड़ित किसानों को खाद में दी गई छूट में कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	786
बाराबंकी जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	786
पीलीभीत जिले के जिला विकास अधिकारी द्वारा श्री श्याम लाल रोड में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	787
सेतु निर्माण खण्ड, कानपुर के कर्मचारियों को राष्ट्रीय मार्ग निर्माण में लगाये जाने से कर्मचारियों में विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	787–788
शाहपुर कोठी जिला लखीमपुर निवासी श्री इन्द्र प्रताप सिंह यादव एडवोकेट की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	788–789
नारायणपुर काण्ड के सम्बन्ध में श्री संजय गांधी द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न	789–790
श्री बाबू राम शुक्ल, सदस्य विधान सभा को गोली मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना	790–791
दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रयास	791
मतदाता सूची में संशोधन के उपरान्त ही चुनाव कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जाने की मांग	791–793

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 793

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. 794

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. 794

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव तिथि की सूचना तथा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 8 (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 794–795

कानपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई कथित अनियमितताओं से सिचाई कार्य में बाधा के सम्बन्ध में वक्तव्य 795–797

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 797–798

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने की मांग 799–800

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित) 800–810

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) .. 811–826

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित) .. 826–831

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित) 831–839

विधान सभा भंग करने का कोई औचित्य न होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी) 840–858

विधान सभा अध्यक्ष पद के चुनाव तिथि की घोषणा .. 859

विधान सभा भंग करने का कोई औचित्य न होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) 859–873

मतदाता सूचियो को संशोधित किये जाने तक सभी प्रकार के चुनाव स्थगित रखने की चुनाव आयोग की संस्तुति के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिये जाने के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय 874

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी प्राइमरी पाठशाला मतदान स्थल पर गोली से तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन 874

परिशिष्ट 875–886

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 फरवरी, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—348

अकबर हुसन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खाँ, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसन, श्री
अवधश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस ,श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री

कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण , श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खाँ, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुलाब सिंहरा, श्री
गैंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह महरा श्री
गौरी देवी, श्रीमती
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जोहरी लाल त्रिवेदी, श्री
फामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम माहकर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य श्री
प्रतापसिंह भाटी, श्री
प्रतापसिंह पुष्पान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहरवार, श्री
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मनपुरी)
बशीरअहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू लाल 'सुरोज' श्री

बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
बृज लाल, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खाँ, श्री (उर्फ शम्मू खाँ)
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसम नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अवार, श्री
राम अवार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री

राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खाँ, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन , श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पांडेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई माई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सेखावत हुसैन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह , श्री

हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खाँ, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 6 फरवरी, 1980

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

त्रिभुवनदत्त हायर सेकेन्डरी स्कूल, रेडसा, जिला सीतापुर के अध्यापकों का बकाया वेतन

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिभुवन दत्त हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रेडसा, जिला सीतापुर के अध्यापको को गत 11 माह से वेतन न मिलने के कारण उन्होंने (अध्यापकों) हाल में ही हड़ताल कर दी है जिससे कि अध्यापन कार्य प्रभावित है? यदि हाँ, तो वेतन वितरण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सही है कि विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण के वर्ष 1979–80 का वेतन कोषागार से प्राप्त कर लेने के बाद भी अध्यापकों में वितरित नहीं किया ।?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

जी हाँ ।

शासन द्वारा नियमानुसार अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु निदेशालय को निर्देशित कर दिया गया है। यह सत्य है कि विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को दो त्रैमास का अनुदान प्राप्त हो चुका है। उक्त धनराशि का उपयोग किन कार्यों हेतु किया गया है इसकी जाँच की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, यह बात स्पष्ट हो गयी है कि विद्यालय के अध्यापकों को पिछले 11 माह से वेतन नहीं मिला है । यह भी मंत्री जी ने कहा कि इस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को दो त्रैमास अर्थात् 6 महीने का अनुदान प्राप्त हो गया है। नियम यह है कि जब एक माह के बिल डी0 आई0 ओ0 एस0 को जाते ह, तो वह सैंक्शन करता है और दुबारा फिर जब मैनेजमेंट पे रजिस्टर भेजता है, तो प्राप्ति के हस्ताक्षर देख लेने के बाद ही वह सैंक्शन करता है, तो क्या इस बात की जाँच करायी गयी और विद्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? ऐसा मालूम पड़ता ह कि प्रबन्धक और डी0 आई0 ओ0 एस0 के स्टाफ की मिली भगत से बैंक से रुपया निकाल कर भिन्न-भिन्न कार्यों में उसे लगा दिया गया, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कड़ी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, इसमें प्रबन्धक को डी 0–1 व डी 0–2 की नोटिसें दी जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

11 मास से अध्यापकों को वहाँ पर वेतन नहीं मिला है और उनका वेतन दिलाने के लिए शिक्षा निदेशालय को निर्दिष्ट कर दिया गया है, तो यह तो कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई । क्या सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है कि जिससे उनको तत्काल वेतन दिलवा दिया जाय ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह विद्यालय अनुदान प्राप्त नहीं है। इसलिए इसमें वेतन वितरण की सरकार की सीधी जिम्मेदारी नहीं है। केवल जूनियर हाई स्कूल तक हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है, इसलिये प्रबन्धक के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा सकती थी, उसके लिए कदम उठा लिए गय हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन अध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जब अध्यापकों को वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि को लिख कर शिकायतें की, लेकिन उन्होंन कोई कार्यवाही नहीं की, तो उन अधिकारियों ने जिन्होंने प्रबन्धक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उन अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अध्यापक प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकता है, वह तो इम्प्लायर होता है।

श्री ऊदल--

मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने यह पूछा था कि जब अध्यापकों ने इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से शिकायत की तो उस अधिकारी ने प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसे तो वे कह चुके हैं।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

जब 11 महीने तक वेतन नहीं मिला और जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ करने के पहले प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

शादी के लिये चीनी के परमिट दिये जाने का आदेश

**2--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) --

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि केवल सामान्य उपयोग के लिये ही सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी की वितरण व्यवस्था लागू की गयी है और शादी-ब्याह जैसे उत्सवों के लिए चीनी की अभी कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों है ?

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

जी नहीं। शासन द्वारा यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सामान्य उपभोक्ताओं को लड़की तथा लड़क की शादी के लिये 40 किलोग्राम चीनी का परमिट जारी किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी अपने आदेश से एक कुन्तल तक का परमिट जारी कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार से प्राप्त डीजल का कोटा

**3--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से माह जनवरी, सन् 1980 में आवंटित डीजल का कोटा प्राप्त नहीं हुआ है जिससे डीजल का राज्य में अभाव हो गया है और यातायात के साधन ठप हो गये हैं ? यदि हाँ, तो इसके निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है और यदि नहीं, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं ?

श्री मलिखान सिंह--

माह जनवरी, 1980 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 72 हजार किलो लीटर डीजल का आवंटन प्राप्त हुआ था जो बहुत कम था। फलस्वरुप प्रदेश में डीजल की बहुत कमी का अनुभव हुआ और इसका प्रभाव यातायात के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा।

प्रदेश सरकार के डीजल के मासिक कोटे को बढ़ाने के लिये भारत सरकार से उच्च स्तर पर निरन्तर बातचीत चल रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

राज्य को वर्ष 1979 में शुरू से दिसम्बर, 1979 तक कितना डीजल प्रतिमास प्राप्त हुआ और प्रदेश की आवश्यकता कितने डीजल की है ?

श्री मलिखान सिंह--

प्रदेश को 1 लाख 80 हजार किलो लीटर डीजल की आवश्यकता है और उसके अगेन्स्ट कभी सवा लाख मिला, कभी एक लाख मिला और जनवरी मास में तो केवल 72 हजार किलो लीटर ही मिला। इस महीने में भारत सरकार ने 89 हजार किलो लीटर कर दिया है और कल कुछ और बढ़ान के संकेत मिले हैं। आशा है कि करीब 1 लाख के यह हो जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जनवरी, 1980 में आपको 72 हजार किलो लीटर डीजल मिला। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल 1979 में आपको कुल कितने डीजल की आवश्यकता थी और आपको कितना मिला है और जो मिला उसका वितरण आपने कैसे किया ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, आवश्यकता जैसा देव बहादुर सिंह जी ने बताया आवश्यकता तो मैंने बताया कि जब हमें 1 लाख 80 हजार किलो लीटर मिले, तब हम पूरी व्यवस्था कर सकेंगे। रोडवेज, रेलवेज आदि को उसके अगेंस्ट 1 लाख तक मिलता रहा, उससे हम गाड़ी खींचते रहे, जैसे-तैसे कहीं इन्डस्ट्रीज से काट कर इसमें हमने जनवरी में पम्पिंग सेट को करीब 20-20, 30-30 लीटर दे सके। लेकिन इस माह यह कह दिया गया कि हम 50 लीटर से कम नहीं देंगे, जिससे कि खेती की व्यवस्था हो सके।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, सरकार ने डीजल वितरण के लिए क्या कोई ऐसी नीति निर्धारित की है कि जितना भी डीजल प्राप्त होगा, वह कृषि साधनों पर तथा अन्य साधनों पर दिया जायगा? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, सरकार ने यह तय किया है कि जो ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट है, उसके लिए पहले तो यह तय किया गया था कि डेढ़ सौ लीटर हम पम्पिंग सट पर देंगे, 60 लीटर ट्रैक्टर पर, 13 लीटर रोडवेज, डिफेंस को और सिक्योरिटी फोर्स को देंगे। यह सब इसी कोर्ट में है जितना हमको आवंटित किया जाता है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह भी सूचना दे दिया है कि जैसा कि राजेन्द्र कुमार जी ने 56 में दिया था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर सैटिस्फाई हो जाते हैं, तो वह जिले के आवंटित कोर्ट से खेती के लिए व्यवस्था कर देंगे।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 50-60 लीटर पम्पिग सेट वालों को देने का था, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतापगढ़ में एक महीने में डीजल 5 लीटर से भी कम दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच करवाकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न तो इससे नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि माह जनवरी, 1980 में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से 72 हजार किलो लीटर डीजल का आवंटन प्राप्त हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश का दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में क्या कोटा है ? जिसके अगेंस्ट आपको कितना-कितना मिला है और उस कोटे को एचीव करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, दिसम्बर में जैसा मैंने बताया 1 लाख और 10 हजार के लगभग जो है हमें मिला, जितना हमें मिलता रहा हमने उठा सब लिया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तो कोटा आपका कितना था और कितनी डिमाण्ड थी और इस राज्य के लिए एलाटमेन्ट का कोटा क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर अलग-अलग महीनों के आँकड़े हों तो बता दीजिए ।

श्री मलिखान सिंह--

यह तो मान्यवर मैंने बता दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर यह बताने का कष्ट करेंगे कि माह जनवरी में करीब 1 रेक (15 हजार) टन डीजल जोकि उत्तर प्रदेश को एलाट हुआ था, जब केन्द्र में नई सरकार चुनी गयी, क्या यह 1 लाख लीटर डीजल का कोटा उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया ? क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि यह उत्तर प्रदेश का कोटा काटकर अन्य प्रदेश को भेज दिया गया, क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर जवाब देंगे कि 1 लाख (15 हजार) लीटर डीजल क्या किसी अन्य प्रदेश में भेजा गया? यदि हाँ, तो कब और कहाँ ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आक्षेप है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि ट्रैक्टर पम्पिग सेट और किसानों के पास पम्पिग सेट नहीं है, उनको डीजल दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है, क्या

माननीय मन्त्री जी इस सन्दर्भ में यह बतायेंगे कि क्या अब तक ट्रैक्टरों के लिए डीजल न दिये जाने के कोई निर्देश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्यों और क्या अब ऐसे निर्देश दिये गये हैं, जिससे ट्रक्टरों के लिए डीजल की व्यवस्था की जायगी ?

श्री मलिखान सिंह--

ट्रैक्टरों के लिए पहले से व्यवस्था थी ऐसे कोई निर्देश नहीं थे कि ट्रेक्टरों को डीजल न दिये जायं।

श्री ऊदल--

मै खाद्य मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 72 हजार किलो लीटर डीजल का जनवरी में एलाटमेंट था, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितना किलो लीटर सरकार ने प्राप्त किया ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, उसमें पूरा हमने ले लिया।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

मान्यवर, विभिन्न महीनों में नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में हम लोगों को बहुत कम डीजल मिला है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अपने प्रदेश में ऐसा कोई रिजर्व भण्डार है, जिससे डीजल कम मिलने पर उसको पूरा किया जा सके, जिससे आवागमन के साधन ठप न हो सके ?

श्री मलिखान सिंह--

माननीय सदस्य तो बहुत अनुभवी आदमी है, उन्हें मालूम है कि हमारे प्रदेश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ किसी कुएं से हम डीजल ले लें, केवल बरौनी, आसाम, वहाँ भी हड़ताल हो जाने के कारण, पाइप लाइन सूखी पड़ी है, वैसे 12 स्थानों पर स्टाक की व्यवस्था है, लेकिन बरौनी की पाइप लाइन हड़ताल के कारण सूख जाने के कारण गोरखपुर, बस्ती, कानपुर में स्टाक नहीं हो पा रहा है मैंने बाम्बे से लेकर जो सप्लाई किया है। वैसे हमारे प्रदेश में मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल का कोई कुआँ नहीं है जहाँ से वह सब निकलता हो।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि काश्तकारों की खड़ी फसल की सिचाई के लिए कितने डीजल की आवश्यकता है और उसको पूरा करने की क्षमता सरकार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें, मैंने केवल इतना पूछा है कि जो फसल खड़ी है, उसकी सिचाई के लिए कितने डीजल की आवश्यकता है क्या उसको पूरा करने की आपमें क्षमता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बता चुके है कि एक लाख 80 हजार है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश में दिसम्बर में संसदीय चुनाव हुए, जनवरी में उप ससदीय चुनाव हो रहे हैं, तो जो डीजल को चुनाव में दिया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के कोटे से अलग था या इसी में से दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

चुनाव में जो डीजल दिया गया है वह सरकारी कोटे में आया है या अलग से कोटा था।

श्री मलिखान सिंह—

चुनाव के लिए कोई कोटा नहीं दिया गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारॉकित प्रश्न]

श्री दुर्गा गीता विद्यालय, बाबूगंज, लखनऊ के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 31-12-76 व 9-3-79 को श्री दुर्गा गीता विद्यालय हा0 से0 स्कूल, बाबूगंज, लखनऊ के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बेसिक विभाग को तोड़ने का कुचक्र आदि के विषय में इस विद्यालय के अध्यापकों का शासन को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

दिनाँक 31 दिसम्बर, 1976 का शिकायती-पत्र शासन को अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। दिनाँक 9-3-79 का दो अध्यापकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मात्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार का कोई सन्दर्भ नहीं है वरन् केवल बेसिक विभाग को तोड़ने के कुचक्र का सन्दर्भ है।

दिनाँक 9-3-79 के शिकायती-पत्र की प्राप्ति पर प्रबन्धक से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास निष्फल रहा और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त अभिलेखों सहित विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश का भी अनुपालन विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा नहीं किया गया। फलस्वरूप, प्रबन्धक को लिखित रूप से नोटिस भेज दिया गया कि वह अध्यापकों की सेवाएं समाप्त न करें।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विद्यालय में बेसिक विभाग तोड़ने का, प्रबन्धक कार्य-कारिणी समिति के किसी अधिकारी से अनुमोदन लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? और जब तोड़ा गया था, तो उसकी सूचना क्या बेसिक शिक्षा कार्यकारिणी समिति के अधिकारी को दी गयी और वहाँ के अध्यापकों को कितने माह का वेतन नहीं दिया गया है और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो बन्द हैं, तो क्या उनको पुनः खोलनेका समायोजन करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना के अनुसार कोई विद्यालय तोड़ा नहीं गया है, तो उसके अध्यापकों को पुनः समायोजन करने का कोई सवाल नहीं होता।

श्री मित्रसेन—

नियमानुसार बेसिक शिक्षा विभाग, शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन लिया गया था, तोड़ने के लिए या नहीं ? यदि नहीं, तो बेसिक शिक्षा विभाग कैसे तोड़ दिया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन नहीं लिया गया, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी और शासन द्वारा यह आदेश दे दिये गये थे कि अध्यापकों को वेतन दिया जाय और विद्यालय तोड़ा न जाय।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब मेरे पास पहले से भेजा ही नहीं गया। तब मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न क्या करूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर आप के यहाँ कमरे में भेज दिया गया होगा।

ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपके पास जब जवाब इसका पहुंच जायगा, तब आपको समय दे दिया जायगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब आने नहीं पाया और आपने दूसरा प्रश्न ले लिया।

तुमरिया बांध एवं कोसी परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि एवं सिंचन क्षमता

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तुमरिया, एवं तुमरिया-परसार डैम हेतु कोसी परियोजना पर कुल कितना धन व्यय किये जाने हेतु निर्धारित किया गया था, उसमें कितना खर्च किया गया? क्या यह भी सही है कि उक्त बाँध के जल स्तर 1973–74 के बाद निश्चित जल स्तर (857) तक पानी नहीं भरा गया और परियोजना की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

तुमरिया एवं तुमरिया प्रसार हेतु कोसी परियोजना के अन्तर्गत रुपए 203.22 लाख व्यय किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है। अप्रैल, 1979 तक उपरोक्त मद में रुपए 98.01 लाख व्यय किया जा चुका है।

जी हाँ। यह सही है कि बाँध का जल स्तर 1973–74 के बाद निश्चित जल स्तर 857 फुट तक नहीं भरा गया, परन्तु इस जल स्तर तक के न भरने से सिंचाई की क्षमता के पूर्ण उपयोग करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कोसी प्रायोजना के अन्तर्गत 15–47 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट जल का उपयोग किया जाना था, जिसमें तुमरिया जलाशय के श्रवण क्षेत्र से 2–86 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और कोसी फीडर से तुमरिया जलाशय को प्रस्तावित 12–32 हजार मिलियन क्यूबिक फीट की मात्रा सम्मिलित है। इससे 2,65,250 एकड़ वार्षिक सिंचाई प्रस्तवित थी। वर्ष 1977–78 में 2,02,550 एकड़ भूमि में वास्तविक सिंचाई हुई। तुमरिया जलाशय में स्केप न बनने के कारण जलाशय में जल-स्तर नीचे रखना आवश्यक था। कोसी परियोजना के अन्तर्गत स्केप बनाया जा रहा है। जिससे तुमरिया जलाशय के भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, तुमरिया डैम का जल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी की जल-स्तर बढ़े, सिंचाई क्षमता बढ़े और जल-स्तर बढ़ाने के लिए एक तो प्रसार योजना बनायी गयी और कोसी परियोजना को उसमें मिलाया गया। इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया गया फिर भी जल-स्तर बढ़ा नहीं। माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि सिंचाई क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो जब सिंचाई क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा...

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

प्रश्न ही कर रहा हूं, पृष्ठ भूमि तो बना लूं। जल-स्तर नहीं बढ़ा, तो जलस्तर बढ़ाने के नाम पर लाखों रुपया खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? दूसरी बात सिंचाई क्षमता पर यदि प्रभाव नहीं पड़ा, तो किस तरह से नहीं पड़ा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, सही है कि तुमरिया प्रोजेक्ट का सर्वे हुआ 1955 में। यहाँ पर पिछले आँकड़े नहीं थे कि इस एरिया के अन्तर्गत कितनी जमीन उपलब्ध होगी। स्ट्रेंच नाम की एक किताब है। इसके आधार पर इसका इस्टीमेट बनाया गया। जब यह बनाया गया था तब 40.6 हजार मिलियन क्यूबिक फीट का आँकड़ा था, परन्तु 21 हजार मिलियन क्यूबिक फीट ही पानी उपलब्ध हुआ। पहले यह प्रोजक्ट तुमरिया के नाम से ही बना था, उसके बाद इसका इक्सटेन्शन हुआ। इसमें पानी कम उपलब्ध हुआ, कोशी जो एक सेपरेट योजना थी, उसमें पानी उपलब्ध था, उसको नहरों के माध्यम से ले आये हैं। पानी उपलब्ध हो जायगा। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि पानी क्यों नहीं भर रहा है। उसको बनाया जा रहा है जिससे पूरी क्षमता का पानी भी भर जायगा जितनी आवश्यकता है। सिंचाई के आँकड़ तो दे दिये हैं। सिंचाई जितनी हो चुकी है 1979–80 में, उसमें कमी नहीं हुई है।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी ने बड़ा आश्वस्त उत्तर दिया है। तुमरिया डैम को मेरा खयाल है आपने देखा नहीं है। यह डिफेक्टिव योजना ही बनी है। जलाशय है ही नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। हमारे ख्याल से 25–30 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब जो उसकी सहायक योजना बनायी गयी है, उससे भी पानी नहीं मिलेगा। कभी भी इसमें पानी नहीं भर सकता है। वहाँ 4 एकड़ में तालाब है बाकी जमीन ऊंची है। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस बन्धे को स्वयं देखने का कष्ट करेंगे और जो आगे नुकसान हो रहा है, उसको कम से कम बचाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है, मैं इससे सहमत हूं। मैं स्वयं आपको साथ लेकर चलूंगा। हम देखेंगे, अगर यह योजना व्यवहारिक नहीं है, तो कोई पैसा खर्च न होने दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि हम इस तुमरिया डैम से निकलने वाली लगभग 4 सौ कि0मी0 नहरें जो मुरादाबाद, में मेरे क्षेत्र और ठाकुर द्वारा क्षेत्र में फली हुई हैं, उनमें अक्तूबर से लेकर अब तक एक बूंद पानी मयस्सर नहीं हुआ है ? लाखों एकड़ धान को तथा पलेवा के लिए पानी नहीं मिला है। मन्त्री जी न जवाब दिया है कि इर्री-गेशन पूरा हो गया है। जसा कि ऊदल जी ने कहा है, मैंने खुद इस डैम को देखा है। इस सारी योजना को एक एक्सपर्ट कमेटी जाकर देखें कि इसको किस तरह से रिन्नोवेट किया जाय या यह योजना खत्म की जाय। वहाँ के किसानों का कहना है कि अगर 4 सौ किलो-मीटर में नहरों को पाट कर सड़क बना दी जाय, तो ज्यादा कार आमद हो जायगा। इसलिए जैसा ऊदल जी ने कहा, इन चीजों की पृष्ठभूमि में मन्त्री जी स्वयं देखें और पुनिवचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो दे दिया है । मन्त्री जी जायेंगे, आपको भी साथ ले लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, 4 सौ कि0मी0 नहरों में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है और मन्त्री जी ने कहा है कि सिंचाई क्षमता पूरी हो गयी। इसका जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मन्त्री जी ने कहा है कि वे इसे स्वयं देखेंगे। आपको भी साथ ले लेंगे। और जो कोई माननीय सदस्य जाना चाहेंगे तो उन्हें भी साथ ले लेंगे।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

आपको भी वर्मा जी साथ ले लेंगे। आपने सवाल किया है।

(हंसी)

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो यह योजना बनी, तो उस समय इससे कितना क्षेत्रफल सिंचित करने की योजना थी और इस समय इससे कितना क्षेत्रफल सींचा जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्रीमन, इसमें ऐसा है कि इन दोनों जलाशयों से 85 हजार एकड़ वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित थी। जैसा उत्तर में मैंने बताया कि पानी कोसी से मिला है, 2 लाख 2 हजार 550 एकड़ सिंचाई 1977-78 में हुई है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा---

केवल एक प्रश्न की इजाजत दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

एक मर्तबा मैंने कह दिया कि आपको इजाजत नहीं है, तो आपको नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा---

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष---

यह लिखा नहीं जायगा।

शारदा सहायक परियोजना के ईस्ट कल्यानी साफफन के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3---श्री रियासत हुसैन---

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के कि0मी0 112-400 पर निर्मित ईस्ट कल्यानी साइफन में हुए 200 टन लोहे 2,500 बोरी सीमेन्ट तथा सी0आर0 शीट इत्यादि एवं डिवर्टिंग को मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए के घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का विस्तृत पत्र दिनांक 19 मई, 1979 का प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो दोषी किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

नोट---[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय विधायक का पत्र दिनाँक 19 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ है। आरोपों की विस्तृत जाँच कराई गयी है। जाँच के आधार पर इस सम्बन्ध में एक सहायक अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ता उत्तरदायी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्पेशल सेक्रेटरी, श्री आर0आर0 शाह ने इस सिलसिले में एक चिट्ठी मुझे दिनांक 31-3-79 को लिखी थी उसी आधार पर माननीय मन्त्री जी का जवाब है। एक असिस्टेंट इंजीनियर और दो जूनियर इंजीनियर है, इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। बल्कि अब इन्हें प्रमोशन दे दिया गया ह। यह श्री एस0सी0जन अब इक्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर फैजाबाद गये है, जहां यह डबुल चार्ज होल्ड कर रहे हैं, तो श्रीमन्, मैं यह मांग करता हूं कि जिस अधिकारी ने इनकी तरक्की दी है उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

क्या आप मालूम करेंगे कि आपके इस जवाब और श्री शाह को चिट्ठी लिखने के बाद भी इस असिस्टेंट इंजीनियर को तरक्की किस अधिकारी ने और किन बुनियादों पर दी और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब यह प्रश्न का उत्तर भेजा गया उस समय तक एक अवर वर्ग अभियन्ता और दो सहायक अभियन्ता की बात थी। उसके बाद मैंने सम्पूर्ण पत्रावली को देखा तब मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मामला काफी दिनों से पड़ा हुआ है। इसकी दो माध्यमों से जाँच हुई। दोनों ने 6 अधिकारियों को दोषी पाया, मैंने उन्हें सस्पेन्ड करने के आदेश दे दिये थे।

गांव रहिलामऊ, जिला बाराबंकी में बैसड़ा माइनर निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*4--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रहिला मऊ, परगना व तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के भूमि संख्या 333 से बैसड़ा माइनर निकाली जा रही ह? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री कान्त वर्मा, गांव मझपुरवा, बाराबंकी का एक प्रार्थना पत्र सिचाई सचिव को प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1979 व 2 मार्च, 1979 को दिया गया है? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में दिया गया सुझाव तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया गया, क्योंकि ग्राम के दक्षिण से माइनर निकालने से कई तालाबों को पार कराना होगा। अतः प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास नहीं पहुंचा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके कमरे में जवाद भेज दिया गया था। यहां दस्तखत मौजूद है।

श्री राम सजीवन--

मैं बहुत देर से कमरे से आया हूं, लेकिन मुझे नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, यह 30 तारीख को सब प्रश्न लगे थे। उसके पहले सब जवाब चले गये थे, तो आप के यहां कहीं कागज में रह गया होगा। आपने देखा नहीं होगा। अच्छा अब जवाब की प्रति और दे दें।

श्री राम सजीवन

उस पत्र की जांच किस अधिकारी ने की और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसकी जांच तो मौके पर श्री गुप्ता, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की थी। दक्षिण में कई तालाब पड़ते है। इसलिए नहीं हो सकता है।

श्री राम सजीवन--

क्या इन्हीं अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी कि जबरदस्ती नहर उनकी जमीन से निकाल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, यह नहर हो या सड़क, खेतों से ही जाती है। इसलिए जिसके खेत जाते हैं, उसे शिकायत होना स्वाभाविक है। इसके लिए समरेखन होता ह, जांच होती है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय सिचाई मन्त्री किसी उच्चाधिकारी से इसी स्तर के या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से जांच करायेंगे कि इस नहर को निकालने के लिए एक दूसरी तरफ से नक्शा बनाया गया था और अब उसको बदल कर दूसरा तरफ से कर दिया गया है और यह ऊंची नीची जमीन है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, मैं एडीशनल चीफ को भेज दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, श्री राम आसरे वर्मा के प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दे दें।

जूनियर हाई स्कूल, दातागंज, जिला बदायूं के प्रधान अध्यापक का स्थानान्तरण

*5--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बदायूं के जूनियर हाई स्कूल, दातागंज के प्रधान अध्यापक का स्थानान्तरण इस वर्ष किया गया है जबकि यह माह सितम्बर, सन् 1978 में ही स्थानान्तरित होकर दातागंज आये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला स्थानान्तरण समिति द्वारा प्रकरण पर पुनः विचार करके प्रधानाध्यापक, दातागंज जूनियर हाई स्कूल, जनपद बदायूं को दातागंज में ही रोक दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी, मुगलसराय रजबहे की बौरी माइनर पर साइफन निर्माण की मांग

*6—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 नवम्बर, 1978 को मुगल सराय रजबहा, जिला वाराणसी से सम्बन्धित बौरी माइनर पर एक साइफन बनाने के लिए पचोखरा आदि गांव के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर कई विधायकों ने संस्तुति की थी? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वाराणसी जनपद के मुगलसराय रजबहे से निकाली बौरी माइनर पर एक साइफन निर्माण कराने हेतु पचोखरा ग्राम के निवासियों को 18 नवम्बर, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ है?

स्थल का सर्वेक्षण करा लिया गया है। साइफन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री राज किशोर तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं, मन्त्री जी ने बताया कि इसमें सर्वेक्षण कर लिया गया है इससे मालूम होता है कि सिद्धान्त रूप से साइफन बनाने के लिए मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 1971 से 1978 तक बाढ़ से वहां के लोग बरबाद होते रहे हैं। अबकी सूखे से पीड़ित है। वहां बड़ी भयानक स्थिति है। जहां यह प्रस्ताव किया गया है, साइफन बनाने का, वहां इसकी बहुत आवश्यकता है। आने वाली बरसात में अगर अधिक बरसात हुई, तो खतरा पैदा हो सकता है, तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि बरसात के पूर्व वह साइफन बन जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बरसात से पहले ही इसका निर्माण हो जायेगा।

श्री गंजी प्रसाद—

क्या वजह है कि साइफन नहीं लगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कह तो दिया कि साइफन बरसात से पहले तैयार करा देंगे।

सिंचाई विभाग, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*7—श्री दयाराम मास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में सिंचाई विभाग में (नहर व नलकूप विभाग) में वर्तमान समय में प्रत्येक श्रेणीव पद पर कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी जन अधिकारी कार्यरत है? क्या इसमें हरिजनों, पिछड़े वर्ग का नियमतः कोटा पूरा नही है? यदि हां, तो क्या सीधी भर्ती करके कोटा पूरा करने का सरकार द्वारा व्यवस्था की जायगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

आजमगढ़ जनपद में सिंचाई विभाग (नहर व नलकूप) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यरत अधिकारियो व कर्मचारियों की कुल संख्या 934 है उसमें अनुसूचित जाति

पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण संलग्न सूची "क" में है ।

चूंकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी/समूह की नियुक्तियां प्रान्तीय आधार पर की जाती हैं तथा सभी तृतीय श्रेणी/समूह की नियुक्तियां जिला आधार पर नहीं की जाती और चूंकि खण्ड/मण्डल के कार्य क्षेत्र जिला के अनुसार नहीं है, जिला के स्तर पर कोटा पूर्ण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 875 पर)

गंगा नहर के बांध में हुयी क्षति

*8—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नहर गंगा के मील 62 पर एक डाईवर्जन बन्ध बनाया गया है, जो दिनांक 8 जून, 1979 को कई जगहों से नीव खराब बनाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या यह भी सत्य ह कि उक्त त्रुटिपूर्ण बांध के क्षतिग्रस्त हो जाने से खतौली एस्केप के हेड का निर्माण कार्य असम्भव हो गया ह और सरकार को करीब 1 लाख 35 हजार रुपयों की हानि हुई है ? यदि हाँ, तो सरकार ने दोषा अधिशासी अभियन्ता के विपरीत क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, गंगा नहर के मील 62.2 पर एक बांध नहर में खतौली स्केप हेड बनाने हेतु बनाया गया है ।

दिनांक 8 जून, 1979 को प्रश्नगत बांध में एक शोरी हो जाने के कारण ब्रीच हुई थी न की नीव खराबी के कारण। बांध को कोई क्षति नहीं हुई है। 8 जून, 1979 को हुई क्षति की मरम्मत करने में लगभग रु0 4,200 व्यय हुआ।

यह बांध खतौली स्केप हेड बनाने में प्रयोग होगा जिसका कार्य वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ होगा ।

ब्रीच के सम्बन्ध में लापरवाही हेतु दोषी पाए गये अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता दोनों को चेतावनी दी जा चुकी है ।

सुहेली जल सेतु, जिला खीरी में क्षति

*9—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुहेली सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खीरी जनपद में निर्माणाधीन सुहेली जल सेतु के क्षतिग्रस्त हो जाने के क्या कारण थे ? उसमें कितनी हानि हुई और उसमें किस का दोष है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सुहेली सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खीरी जनपद में योजना नहर के ऊपर निर्माणाधीन सुहेली जलसेतु का कुआं सं0-4 योजना नहर की तली में अत्यधिक गहरा कटाव (Scour) होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया।

क्षतिग्रस्त होने तक उपरोक्त कुयें के निर्माण पर कुल 70,575.37 रु0 का व्यय हो चका था इस क्षति के लिए कोई व्यक्ति दोषी प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसका कोई पूर्वाभास नहीं था ।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम पनेर गांव की पेयजल योजना

*10—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में ग्राम पनेर गाँव पेयजल योजना के अन्तर्गत चार गाँव सभाओं को सन् 1971-72 से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है ? क्या अब इस योजना के पानी के मूल स्रोत से ग्राम सभा बाड़ी तथा धमोली इत्यादि की भी पेयजल को सुविधा उपलब्ध की जा रही है ? और क्या यह सही है कि इससे क्या उपरोक्त ग्राम पनेर गाँव से संबंधित चार ग्राम सभाओं की जनता को पेय-जल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हाँ, तो सरकार पनेर गाँव पेय जल की योजना के पानी के संकट को दूर करने के लिए क्या कर रही है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिह मेहरा)—

पनेर गाँव ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1971-72 से चार ग्राम सभाओं के गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध है ।

अन्य जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण पनेर गाँव ग्राम समूह पेयजल योजना के लिये, जिस गधेरे से पानी लिया जा रहा है उसी गधेरे के ऊपर एक अन्य स्थान में बाड़ी धमोली ग्राम समूह पेयजल योजना में ग्रीष्म काल में पानी की मात्रा में कुछ कमी आयी है जिसे दूर करने के लिये कुमायूं जल संस्थान द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

रामनगर डिवीजन, जिला नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता का रिक्त पद

*11—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के रामनगर में पिछले 8 महीनों से कोई अधिशाशी अभियन्ता नहीं हैं और क्या विगत जून, 1979 के अन्तिम सप्ताह में अधीक्षण अभिन्यता, नैनीताल द्वारा शासन को प्रेषित प्रगति रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि राम नगर डिवीजन में अधिशासी अभियन्ता न होने के कारण निर्माण कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

यह सही है कि जनपद नैनीताल के रामनगर डिवीजन में दिनाँक 26-11-78 से 4-7-79 तक की अवधि में कोई नियमित अधिशासी अभियन्ता नहीं रहा, किन्तु यह सही नहीं है कि विगत जून 1979 के अन्तिम सप्ताह में अधीक्षण अभियन्ता नैनीताल द्वारा शासन को प्रेषित प्रगति रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि रामनगर डिवीजन में अधिशासी अभियन्ता न होने के कारण निर्माण कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई ।

एटा जिले में गंगा नदी से कटाव

*12—श्री मानपाल सिह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या सिचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में गंगा का कटान जारी होने के कारण आगामी बरसात में जनपद एटा के अनेकों गाँव की बाढ़ से कट जाने की सम्भावना है, क्योंकि गाँव के उत्तरी तरफ बायें किनारे पर जगह-जगह पर कटान रोकने के लिए टक्कर (स्पर) बना दी गयी जिस कारण एटा व अलीगढ़ के सीमावर्ती ग्राम हारनपुर के पास बूढ़ी गंगा की धारा में गंगा की धारा आ जाने का खतरा है ? यदि हाँ, तो इस सम्भावित भीषण तबाही को रोकने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिह—

गंगा नदी एटा जनपद में पिछले कई वर्षों से दायें किनारे पर कटान कर रही है । गंगा नदी के बायें किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अधीन बनाये गये बाँधों एवं स्टडों से उसके दायें किनारे पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

गंगा नदी की धारा का हारनपुर कलाँ ग्राम के पास बूढ़ी गंगा की धारा में आ जाने की संभावना इस समय प्रतीत नहीं होती है। इस समय बाढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से गंगा नदी के स्पिल को, जो बूढ़ी गंगा में पहले पड़ने वाले नशेब को गंगा नदी में जोड़ता है, एक बाँध बनाकर बन्द कर दिया गया है। कटान की इस समस्या के समाधान हेतु गंगा जैसी बड़ी नदी पर कोई स्थायी स्थानीय योजना बनाना अधिक लाभदायक नहीं होगा।

श्री मान पाल सिह एडवोकेट--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि इस समय बाढ़ से सुरक्षा की दृष्टि से गंगा नदी के उस स्पिल को, जो बूढ़ी गंगा में पड़ने वाले नशेब को गंगा नदी में जोड़ता है, एक बाँध बनाकर बन्द कर दिया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह बाँध कब बनाया गया है और वह कच्चा है या पक्का है तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिह--

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है, इसके लिये थोड़ा समय दे दें।

श्री मानपाल सिह एडवोकेट--

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि हारनपुर ग्राम के पास गंगा और बूढ़ी गंगा की धारा के बीच गत बरसात में कितना फासला था ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना उनके पास नहीं होगी, इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मानपाल सिह एडवोकेट--

मान्यवर, सूचना मंगाकर क्या मंत्री जी उत्तर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर आपके पास भेज देंगे।

मथुरा, कन्या प्राइमरी पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

*13--श्री हुकमचन्द्र तिवारी (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशाला की अध्यापिकाओं को राजाज्ञा संख्या 8999/15 (5)-78, दिनाँक 29-1-74 शिक्षा (5)-अनुभाग एवं बेसिक 12/44149-44649/31-10 (30)-73-74, दिनाँक 11 मार्च, 1974, का वेतन भुगतान करने में पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 6 जुलाई, 1979 का इस सन्दर्भ में अध्यापिकाओं के पत्र के साथ प्रार्थना पत्र मिला है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिह--

जी हाँ, किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, हरदोई के लिपिकों का स्थानान्तरण

*14--श्री प्रताप सिह पुष्पवान (जिला चमोली) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन कितने ऐसे लिपिक हैं जो उसी जनपद के रहने वाले हैं और वहाँ पर तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं ? उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

13 लिपिक ।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर 3 वर्ष पूरे होने पर नहीं बल्कि 5 वर्ष पूरे होने पर समकक्ष पदों पर फेज्ड (phased) तरीके से अन्तर कार्यालयीय स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है । हरदोई के ऐसे लिपिकों का स्थानान्तरण जिनको वहाँ एक ही कार्यालय में 5 वर्ष से अधिक हो गया है, कर दिया गया है ।

सीतापुर, शारदा सहायक नहर के निकटवती ग्रामों में दलदल की समस्या

*15--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर में तहसील महमूदाबाद शारदा सहायक नहर के उत्तरी ओर बसे हुए एक गाँव में दलदल पैदा हो जाने से अनेकों गाँव प्रभावित हुए हैं ? यदि हाँ, तो इस दलदल को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? दलदल से प्रभावित लोगों को कोई आर्थिक सहायता देने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

पोषक नहर के कि0मी0 81.260 के निकट अवस्थित ग्राम मुसेदाबाद तथा निकट-वर्ती क्षेत्र में दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई थी । समस्या के निराकरण हेतु कुतुबपुर ड्रेन को चौड़ा एवं गहरा किया गया है तथा तीन सहायक ड्रेनों का निर्माण भी किया गया है। फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचा है ।

सिंचाई विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू जूनियर हाई स्कूल , बरगाहपुर-लेहरा, गोरखपुर का भवन

*16--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर लाल नेहरू जू0 हा0 स्कूल बरगाहपुर-लेहरा, गोरखपुर, जिस भूमि और भवन पर सन् 1971 में अस्थायी और सन् 1963 में स्थायी मान्यता प्राप्त, विद्यालय चल रहा है उसी भूमि और भवन पर सन 1978 में किसान लघु माध्यमिक विद्यालय बरगाहपुर-लेहरा, गोरखपुर के नाम से फर्जी तौर पर अस्थायी मान्यता वे0 शि0 अधिकारी, गोरखपुर ने दे दिया है ? यदि हाँ, तो ऐसे फर्जी काम करने वाले दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और नहीं की, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मण्डल के जूनियर हाई स्कूलों को प्रदान की गयी मान्यता

*17--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल के उप शिक्षा निदेशक ने 9 मई, 1979 के आस-पास एक ऐसे जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता दी है जिसकी मान्यता सम्बन्धी शर्त पूरी नहीं थी और मण्डल के अन्तर्गत उन जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी मान्यता नहीं दी जिसके बारे में शर्तें पूरी थीं ? यदि हाँ, तो एक ही स्कूल को मान्यता देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

9 मई, 1979 के आस पास 8 जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता दी गई है, जिनकी [illegible] पूर्ण थीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल में चार जनपद हैं। कृपा कर माननीय मंत्री जी बता दें कि 9 मई तक कितनी फाइलें, उप शिक्षा निदेशक के पास मान्यता के लिए प्रत्येक जिले की थी और उनमें से कितनी की शर्तें पूरी थीं, कितनी की नहीं थीं, जिन स्कूलों को मान्यता दे दी गयी है, उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे ....

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग–किन्हें 9 मई तक स्थायी मान्यता प्रदान की गई और दूसरी भाग कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें मान्यता नहीं प्रदान की गई।

पहले उनकी सूची देता हूं जिन्हें 9 मई तक मान्यता प्रदान की गई—

1—नेहरू जूनियर हाई स्कूल, माँगाकोडर, जनपद देवरिया 5–9–79,

2—शान्ति निकेतन जूनियर हाई स्कूल, कुआं, जनपद देवरिया 9–5–79,

3—पंचायत जूनियर हाई स्कूल, परमेश्वरपुर, जनपद गोरखपुर 9–5–79,

4—बिसेन जूनियर हाई स्कूल, पिड़हानी, जनपद गोरखपुर 9–5–79,

5—जूनियर हाई स्कूल, पचरी, जनपद आजमगढ़ 8–5–79,

6—जूनियर हाई स्कूल, चेवला, जनपद आजमगढ़ 8–5–79,

7—शिवाजी जूनियर हाई स्कूल, छपरा सुलतानपुर, जनपद आजमगढ़ 9–5–79,

8—पटेल जूनियर हाई स्कूल, सतना, जनपद आजमगढ़ 8–5–79,

दूसरे भाग का उत्तर अब मैं दे रहा हूं।

1—ऐंग्लो जूनियर हाई स्कूल, परिसिया, गोरखपुर–निरीक्षण की तारीख 2–1–79, कमियों का विवरण—भवन का अभाव, अपेक्षित भूमि की कमी, अप्रशिक्षित अध्यापक एवं बेसिक क्राफ्ट में कृषि फार्म का अभाव।

2—श्री राम बचन सिंह जूनियर हाई स्कूल, बनकटी गगहा, जनपद गोरखपुर—निरीक्षण की तारीख 30–4–79, कमियों का विवरण—विज्ञान कक्ष का अभाव कुल भूमि का प्रमाण, कृषि फार्म एवं खेल के मैदान के लिये भूमि की अस्पष्ट स्थिति एवं अधिक अध्यापक।

3—श्री कन्हैया जूनियर हाई स्कूल, शाहपुर शहर, गोरखपुर—निरीक्षण की तिथि 27–9–78, कमियों का विवरण—भूमि का प्रमाणिक प्रमाणपत्र का अभाव, विज्ञान कक्ष का अभाव, प्राइमरी कक्षाओं का पृथक न होना।

4—श्री कृष्ण जूनियर हाई स्कूल, बहाउद्दीनपुर, जनपद आजमगढ़, जाँच की तारीख 17–10–78, कमियों का विवरण—एक शिक्षण कक्ष का अभाव, शिक्षक सामग्री, काष्टोपकरण का अभाव।

5—श्री लालबहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल, मिल्कीपुर.....

श्री उपाध्यक्ष— लम्बी सूची है ....

श्री ऊदल—

मान्यता दे दें.....

श्री कैलाश नाथ सिंह—

12 विद्यालय हैं, चार तो पढ़ दिये मान्यवर, अनुमति हो, तो आठ और पढ़ दूं और प्रश्न का पूरा उत्तर दे दूं, जनपद आजमगढ़ निरीक्षण की तिथि 17–10–78, कमियों का विवरण–विद्यालय की आवश्यकता के औचित्य की पुष्टि का अभाव, भवन का अभाव, भूमि के प्रमाणिक प्रमाण व काष्टोपकरण की कमी।

6--आदर्श जूनियर हाई स्कूल, काशीपुर, जनपद आजमगढ़ निरीक्षण की तिथि 3-3-79 कमियों का विवरण-जनसंख्या का प्रमाणिक प्रमाण का अभाव, अधिक अध्यापक का होना, शिक्षण सामग्री की कमी, कृषि के रखरखाव एवं उपकरणों की कमी।

7—सत्यराम जनता जूनियर हाई स्कूल कल्याणपुर (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं कि किस कारण मान्यता नहीं दी गई.....

श्री रियासत हुसैन--
मान लिया.....

श्री मैनेजर सिंह--
माननीय मंत्री जी आप मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहे हैं, अध्यापक की हैसियत से इन्सपेक्टर की वकालत कर रहे हैं.....

श्री कैलाश नाथ सिंह--
मैं इस सदन में मंत्री की हैसियत से जबाव दे रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--
जो सूची मंत्री जी ने पढ़ी है मान्यता देने वालों और न देने वालों की इस संबंध में, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जो किसी विशेष जाँच के जरिये यह जाँच करायेंगे कि जिन स्कूलों को मान्यता दे दी गई है उनमें से शर्तें पूरी नहीं थीं और जिनकी शर्तें पूरी थीं, उनको कुछ न कुछ कारण बतला कर रोक दिया गया। यह उस समय हुआ है जब डिप्टी डाइरेक्टर स्वयं स्थानान्तरित हो चुके थे और स्थानान्तरण के समय उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत भी थी तो क्या मंत्री जी इसके बारे में जाँच करा लेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--
मेरी सूचना के अनुसार उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के द्वारा ही जाँच की गयी थी। माननीय सदस्य या तो स्पेसिफिक विद्यालय बतला दें, तो जाँच वैसे आठों की शर्तें पूर्ण थीं इसलिये स्थायी मान्यता प्रदान की गयी।

श्री कल्पनाथ सिंह--
उप निदेशक के खिलाफ ही मेरा प्रश्न है उन्होंने अपने स्थानान्तरण के समय ये सारी शर्तें रखी थीं ?

श्री उपाध्यक्ष--
जिन संस्थाओ के बारे में आपको शिकायतें हैं, उनका नाम आप दे दें वह जाँच करा लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--
मैंने सबके बारे में जाँच कराने को कहा है।

श्री कैलाश नाथ सिंह--
8 विद्यालय है। आठों की जाँच करायी जाय या किसी विशेष विद्यालय की। जिसके खिलाफ शिकायत हो, तो डिप्टी डाइरक्टर के ऊपर के अधिकारी, ज्वाइन्ट डायरेक्टर अथवा एडीशनल डायरेक्टर से जाँच करा ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--
आठों के खिलाफ जाँच कराने की बात वे कहते हैं।

श्री कैलाश नाथ सिंह--
काफी लम्बा समय लगेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--
जिनकी मान्यता कारण बतला कर रोकी गयी है रोकने वालों की तथा जिनकी रोकी गयी है सबकी जाँच करा लें।

श्री कैलाश नाथ सिंह---
ठीक है ।

नैनीताल जिले के जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवन

*18---श्री रामदत्त जोशी---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में रामनगर, कालाडूंगी तथा नैनीताल तहसीलों के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल भवनों तथा जू0 हाई स्कूल भवनों की संख्या कितनी है जो जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल भवनों की मरम्मत इसलिए नहीं की जा सकी हैं क्योंकि इस मद में कोई धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद् को सरकार द्वारा नहीं दी गयी है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह---
जी हाँ ।

प्राइमरी पाठशाला---7
एवं
जूनियर हाई स्कूल---5

जी नहीं ।

शासन द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् को स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है और स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य जिला परिषद्, नैनीताल के माध्यम से कराया जा रहा है ।

श्री रामदत्त जोशी---
जो धनराशि जिला परिषदों को दी गयी है उससे नैनीताल जनपद में अभी तक कितने स्कूलों की मरम्मत कराई गयी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह---
अभी तो वर्ष चल रहा है । अन्त में उसका हिसाब आता है, लिहाजा यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामदत्त जोशी---
अभी उत्तर नहीं मिला है मेरे प्रश्न का ।

श्री उपाध्यक्ष---
उत्तर दिया जा चुका है ।

[दिनाँक बुधवार, 6 फरवरी, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मार्डन वोकेशलन इण्टर कालेज, रकाबगंज, लखनऊ के प्रधानाचार्य का चयन

*1---श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्डन वोकेशनल इण्टर कालेज, रकाबगंज, लखनऊ के प्रधानाचाय के चयन के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), लखनऊ का कोई शिकायती-पत्र अप्रैल या मई, 1979 में मिला है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में जो शिकायतें थीं उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

नोट---[नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

श्री कैलाश नाथ सिंह---

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री योगेन्द्र नाथ गुप्त, श्री सालिग राम सिंगल व श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निलम्बन के आदेश

*2---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के दो अधीक्षण अभियन्ता (श्री योगेन्द्र नाथ गुप्त एवं श्री सालिग राम सिंगल) तथा एक अधिशासी अभियन्ता (श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल) को भूतपूर्व तीन मुख्य मन्त्रियों ने क्रमशः जाँच, निलम्बन एवं मुकदमा चलाने का आदेश प्रश्नकर्त्ता के वर्ष 1974 के शिकायती-पत्र पर किया था तथा एक अधीक्षण अभियन्ता (श्री गुप्त) को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार भी किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि वर्तमान शासन ने उन सभी आदेशों को निरस्त कर उक्त तीनों व्यक्तियों को बहाल कर दिया ? यदि हाँ, तो क्यों एवं किन परिस्थितियों में ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय सदस्य के शिकायती-पत्र दिनाँक जनवरी 22, 1975 पर न कि वर्ष 1974 के शिकायती-पत्र पर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, विचारोपरान्त तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 15-11-75 को प्रश्नगत अधिकारियों के विरुद्ध जाँच करने एवं उनको निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे। 22-10-76 तथा 11-11-77 को तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने इन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने के आदेश दिए थे ।

श्री योगेन्द्र नाथ गुप्त, अधीक्षण अभियन्ता को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 22-7-76 से बन्दी बनाया गया था। इन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन न चलाये जाने का निर्णय न्यायिक परामर्श पर लिया गया था। अन्य कुछ अधिकारियों के साथ इन तीनों अधिकारियों के मामले अग्रेतर जाँच हेतु प्रशासनाधिकरण को अभिदिष्ट कर दिये गये हैं ।

श्री योगेन्द्र नाथ गुप्त के निलम्बन आदेश को लोक सेवा अधिकरण ने अपने आदेश दिनाँक 3-1-79 द्वारा निरस्त कर दिया, अतः मामले पर पुनः विचार किया गया और 1 मई, 1979 के आदेशों द्वारा तीनों अधिकारियों को निलम्बन से मुक्त करके पुनः पदारूढ़ कर दिया गया ।

फजाबाद जिले के मथानी-दोस्तपुर मार्ग का निर्माण

*3---श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "छूटी कड़ियों का निर्माण" के अन्तर्गत किन सड़कों पर काम किया जाता है ? जनपद फैजाबाद में उक्त योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों को वर्ष 1979-80 में पन्ट करने के लिए चुना गया उनमें और मथानी-दोस्तपुर रोड में क्या अन्तर था जिसके कारण मथानी-दोस्तपुर रोड को नहीं लिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिन दो मार्गों के बीच कड़ी छूट जाती है उनको छूटी कड़ी के अन्तर्गत निर्मित किया जाता है । जनपद फैजाबाद में जो सड़कें 1979-80 में छूटी

कड़ियों की योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की गयी हैं, उनमें तथा मथानी–दोस्तपुर मार्ग में यह अन्तर है कि स्वीकृति हुयी सड़कों की लम्बाई क्रमशः 6, 2 एवं 3 कि0 मी0 है जबकि मथानी दोस्तपुर मार्ग की लम्बाई 7 कि0 मी0 है। धनाभाव को देखते हुये मथानी दोस्तपुर मार्ग को स्वीकृत करना संभव नहीं था।

शारदा सहायक नहर के साइफन की सफाई से निकले सामान

*4—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 112–400 पर बनी साइफन की सफाई हो रही है उसमें कई तरह के पम्पिग सेट और लोहे तथा रबर की पाइपें जो लाखों रुपए से सम्बन्ध रखती हैं, निकल रही हैं? यदि हाँ, तो क्या इस निकले हुए सामानों का कहीं इन्दराज हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिह—

जी हां।

प्रश्नगत साइफन की सफाई के दौरान लगभग रु0 2497.50 का सामान प्राप्त हुआ है जिसको संबंधित अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी एवं चिकित्सकों का हिल कैडर बनाए जाने की मांग

*5—श्री नारायण सिह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा दूसरे कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न विषम स्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में उक्त संस्थाओं में सेवा हेतु हिल कैडर बनाया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसकी सेवा शर्तें और सुविधायें क्या-क्या हैं? तथा इस माध्यम से कब तक समस्त चिकित्सालयों एवं विद्यालयों में स्टाफ की पूर्ति कर दी जायगी?

श्री गोविन्द सिह मेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ताहिर हुसैन आब्दी, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थानान्तरण की मांग

*6—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि श्री ताहिर हुसैन आब्दी, अधिशासी अभियन्ता सा0नि0वि0 पिछले 10 वर्षों से लखनऊ में ही तैनात हैं? क्या यह सही है कि उनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर हुई फिर भी उन का स्थानान्तरण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार तुरन्त उनको स्थानान्तरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हाँ। श्री ताहिर हुसैन आब्दी, दिनाँक 6–9–68 से मार्च, 73 तक कृषि निदेशालय, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर रहें। तदोपरान्त वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के लखनऊ में स्थित विभिन्न कार्यालयों में तैनात रहें है।

श्री आब्दी की सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है। इनका स्थानान्तरण अभी विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और यदि इनका स्थानान्तरण अभी किया जाता है, तो कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वार्षिक स्थानान्तरण के समय उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

षष्टम मण्डल, सिंचाई विभाग के लिपिक, श्री विनोद कुमार भटनागर को दी गयी चार्जशीट

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि षष्टम मण्डल के वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक (श्री विनोद कुमार भटनागर) के विरुद्ध उक्त मण्डल के ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्च, 1979 में चार्जशीट तैयार कर मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के पास भेजी गयी थी? क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ। इस मामले में जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

मथुरा जिले के कुदखन पर पुल निर्माण

*8—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 मई, 1979 को मथुरा प्रवास के समय ड्रेनेज डिवीजन, मथुरा के विरुद्ध यह शिकायत मिली थी कि कुदखन पर जिस पुल का निर्माण किया गया है उसके टेंडर नहीं किए गए, न वर्क-आर्डर ही हुए हैं और 80 हजार की लागत से पुल का निर्माण कर दिया गया है ? इसी शिकायत पर अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज डिवीजन को मौके पर भेजा गया तो शिकायत सही पायी गयी और सीमेंट का स्टाक में 250 बोरा सीमेन्ट भी कम पाया गया ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, 12 मई, 1979 को निर्माणाधीन पुल के संबंध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, मथुरा द्वारा की गयी थी। जाँच में यह पाया गया कि पुल पर लगभग 60,659 रु0 के कुल कार्य के विरुद्ध रु0 27,182 का कार्य वर्क आर्डर तथा रुपये 33,477. का कार्य अनुबंध द्वारा कराया गया जबकि पूर्ण कार्य के लिए टेन्डर भी नामाँकित किये गये थे।

सीमेन्ट के स्टाक में कोई कमी नहीं पायी गयी।

मधुबनी शाखा नहर, निर्माणखण्ड, गोरखपुर को बल्ली आपूर्ति की दर

*9—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक मण्डल प्रधान, गोरखपुर में मधुबनी शाखा के सहायक अभियन्ता ने वर्ष 1979-80 में 7 इंच व्यास की 25 फुट लम्बी खास बल्ली सिंचाई विभाग के एस्टीमेट में ढाई गुना अधिक दाम पर अपने स्तर से सप्लाई लेने हेंतु वर्कआर्डर किया गया है। क्या यह सही है कि स्थानीय ठेकेदार भोला सिंह ने अच्छे किस्म की खास बल्ली 60 रु0 प्रति बल्ली की दर से देने के लिए सहमति की थी किन्तु सप्लाई कम कीमत पर न लेकर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए ही बल्ली सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गण्डक नहर निर्माण मण्डल प्रथम, गोरखपुर के अन्तर्गत मधुबनी शाखा निर्माण खण्ड गोरखपुर में सहायक अभियन्ता तृतीय नैमा 3/79 में 7 इंच से 8 इंच व्यास एवं 25 से 30 फुट लम्बी 80 अदद साल की बल्ली को 120.75 रुपये प्रति बल्ली की दर से दो कार्यादेशों के द्वारा क्रय किया गया था बल्ली का कोई सेड्यूल दर नहीं है। यह कार्य

सहायक अभियन्ता ने कोटेशन आमंत्रित करके कोटेशन के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दर पर कराया था। श्री भोला सिंह स्थानीय ठेकेदार ने उपरोक्त प्रकार का बल्ली हेतु कोई कोटेशन 60 रु0 प्रति बल्ली की दर से नहीं दिया था और न ही कोई इस प्रकार उसकी सहमति उपलब्ध थी। बल्ली आपूर्ति की दर की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं प्राप्त की गयी थी।

अल्मोड़ा जिले के कनाधार अस्पताल के प्रान्तीयकरण की मांग

*10—श्री पूरन चन्द्र—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 5 मार्च, 1978 को जो प्रार्थना-पत्र कनाधार अस्पताल, जिला अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में दिया गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष उक्त अस्पताल का प्रान्तीयकरण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

जिला परिषदीय अस्पताल कनाधार के प्रान्तीयकरण विषयक दिनाँक 5 मार्च, 1978 का कथित प्रार्थनापत्र इस विभाग में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। किन्तु इसी विषय पर दिनाँक 23 जनवरी, 1978 को उनके पत्र प्राप्त हुये थे। तत्पश्चात् वाँछित छानबीन के उपरान्त इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण इस वर्ष ही संभव था। लेकिन सीमित संसाधनों के फलस्वरूप कम लक्ष्य तथा प्रान्तीयकरण के दृष्टिकोण के अन्य ज्यादा पात्र, अस्पतालों के होने के कारण, प्रश्नगत अस्पताल का प्रान्तीयकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

विकास क्षेत्र बिसवां, जिला सीतापुर के अन्तर्गत झील की जल निकासी योजना

*11—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास क्षेत्र बिसवाँ जिला सीतापुर में सिचाई योजना के अन्तर्गत नहरें बनवा कर पुराने जल निकासी नालों (खारजा) को पटवा दिया गया है जिससे झील के पानी से क्षेत्र को हजारों बीघा फसल पानी में डूब गयी हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था की ? क्या सिचाई विभाग झील में गिरने वाले बरसाती नालों पर चेक डैम बनाकर तथा झील का सुधार एवं वर्षा का जल संचय कर सिचाई के काम में लाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। प्रश्नगत विकास क्षत्र के अन्तर्गत किसी भी पुराने जल निकास नाले को नहीं पटवाया गया है। उक्त क्षेत्र में झीलों में गिरने वाले बरसाती नालों पर चेकडैम बनाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होगा क्योंकि इनके निर्माण से एक बड़ा क्षेत्र जलप्लावित हो जायेगा।

श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज, भिनगा, जिला बहराइच के अध्यापकों के सी०डी० एस० का भुगतान

*12—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) को जानकारी हैं कि श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज, भिनगा, जनपद बहराइच में दस वर्षों से सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त पाँच अध्यापकों से हाई स्कूल की कक्षाओं में अध्यापन कार्य लिया जाता हैं और सी0 डी0 एस0 का पैसा नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त अध्यापकों से हाई स्कूल कक्षाओं का कार्य लिये जाने व सी0 डी0 एस0 का पैसा न दिये जाने का क्या कारण है ?

*श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया के स्टोर इन्चार्ज, श्री सब्बीर अहमद खां द्वारा गेहूं का कथित विक्रय

*13—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया के स्टोर का चार्ज जू0 इंजीनियर सब्बीर अहमद खां के पास है और लाखों रूपए का फील्ड का कार्य भी किया गया है और खाद्यान्न योजना का कार्य भी सुपुर्द किया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या यह सत्य है कि खाद्यान्न योजना का दो ट्रक गेहूं उसने बच दिया था जो बिहार सीमा पर सन् 1978–79 के कार्य वर्ष में पकड़ा गय था और स्टोरम गड़बड़ी ह ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया के स्टोर का चार्ज जूनियर इंजीनियर श्री सब्बीर अहमद खां के पास 27 सितम्बर, 1979 तक था। इन्होंने वर्ष 78–79 में 10·28 लाख रुपये के कार्य कराये। इनके पास खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत नरायनपुर नगवाँ मार्ग का कार्यभार दिनाँक 27, सितम्बर 1979 तक रहा।

यह सत्य नहीं है कि वर्ष 78–79 में खाद्यान्न योजना का दो ट्रक गेहूं बिहार की सीमा पर पकड़ा गया। स्टोर में भी कोई गड़बड़ी प्रकाश में नहीं आयी है इसलिए इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अतर्रा, जिला बांदा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

*14—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात ह कि उन्होंने माह मई, 1979 में कई बार जन प्रतिनिधियों से वादा किया था कि अतर्रा (जिला बाँदा) में कन्या विद्यालय की माँग को स्वीकार करते हैं ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी बतायगे कि अतर्रा में राजकीय कन्या विद्यालय कब से चालू कर दिया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

अतर्रा, जिला बाँदा में वर्तमान वित्तीय वर्ष (1979–80) में ही राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलनें का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

बस्ती शहर, श्री हरेन्द्र नाथ सिंह दिलजन के भवन में प्राइमरी पाठशाला का सचालन

*15—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री (बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा) को मालूम है कि बस्ती जनपद के बस्ती शहर में श्री हरेन्द्र नाथ सिंह दिलजन के मकान में राजकीय बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशाला स्थापित है और उक्त भवन बहुत ही जीर्ण अवस्था में है तथा जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी पाठशाला उक्त भवन से नहीं हटाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

बस्ती शहर में श्री हरेन्द्र नाथ सिंह दिलजन के मकान में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बेसिक कन्या पाठशाला स्थापित है। भवन की दशा अच्छी नहीं है। और मकान खाली कराने के उद्देश्य से मकान मालिक ने उसे एक ओर से गिरा दिया है जिससे वह जीर्ण अवस्था में दिखायी देता है। जिलाधिकारी बस्ती ने पाठशाला के लिये एक भवन आवंटित किया है और उसपर जब तक कब्जा नहीं मिल जाता तब तक पुराने भवन से पाठशाला हटाया जाना संभव नहीं है।

छोटी गंडक नदी, जिला देवरिया पर गोरया घाट के पुल निर्माण की मांग

*16—श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के 2-2-79 को 114 ग्राम प्रधानों, कई प्रधानाचार्यों तथा सम्मानित व्यक्तियों के हस्ताक्षर से कोई आवेदन-पत्र दिया है जिसमें छोटी गण्डक पर गोरया घाट, जिला देवरिया के पुल निर्माण की माँग की गयी है? अगर हाँ, तो जनहित को ध्यान में रख कर शासन इसका निर्माण-कार्य कब शुरू करेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

दिनाँक 2-2-79 का तथाकथित कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि श्री हरिशंकर मिश्र की अध्यक्षता में दिनाँक 27-8-79 को समस्त क्षेत्रीय नागरिक तथा ग्राम प्रधानों की एक बैठक में पारित प्रस्ताव श्री राम यतन यादव, ग्राम डिहाबसन्त, देवरिया का प्राप्त हुआ है, जिसमें छोटी गण्डक नदी के गोरयाघाट पर पुल निर्माण हेतु माँग की गई थी।

जाँचोपरान्त गोरयाघाट पर पुल का निर्माण कराने का औचित्य नहीं पाया गया।

उन्नाव एवं हरदोई जिलों में नहरों की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

*17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित श्री बाबू लाल वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आशय की जाँच कराई गयी कि काम पूर्ण होने के बाद भुगतान हुआ कि पहले? यदि हाँ, तो जाँच किसने की तथा क्या रिपोर्ट है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री बाबू लाल वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में पहले ही सूचित किया जा चुका है कि जो भी कार्य वर्ष 1978-79 में किये गये थे उन पर भुगतान कार्य समाप्त होने के उपरान्त एवं कार्य के निरीक्षण करने के बाद ही किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, विकास खण्ड भियांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*18—श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड भियाँव स्वस्थ्य केन्द्र के निर्माण की अवधि में दिनाँक 20 जून, 1976 को सम्बन्धित ओवरसियर के विरुद्ध सीमेन्ट चुराने की कोई रिपोर्ट थाना जैदपुर में की गयी? यदि हाँ, तो उक्त तत्कालीन ओवरसियर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

रिपोर्ट 20 जून, 1979 को लिखायी गयी न कि 20-6-76 को। पुलिस से जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायगी।

कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखीमपुर का सीतापुर स्थानानतरण

*19—श्री नरेश चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 21 वाँ वृत्त, लखीमपुर को सीतापुर स्थानान्तरित करने का प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

21 वाँ वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखीमपुर का मुख्यालय दिनाँक 4-5-79 से, लखीमपुर से सीतापुर स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि सीतापुर इस वृत्त के मध्य भाग में पड़ता है।

श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, गदरपुर, नैनीताल का मकान किराया भत्ता

*20—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज गदरपुर, जिला नैनीताल सरकारी भवन में दिनाँक 7-12-78 से 20-5-79 तक बिना इजाजत के निवास करते रहें और वेतन का 10 प्रतिशत मिलने वाला मकान किराया भी सरकारी खजाने से लेते रहें? यदि हाँ, तो कैसे? क्या श्री पाण्डेय ने स्कूल में टीन शेड बनाने के लिये मिला 20 हजार रुपया 31 मार्च, 1979 को खजाने से निकाला और क्या उक्त धन का उपयोग अब तक हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद जिले में नलकूपों का आवंटन

*21—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद की जिला सिंचाई सलाहकार समिति ने वर्ष 1979 में जनपद फैजाबाद में लगाये जाने वाले राजकीय नलकूपों का बंटवारा हर विकास खण्ड की कृषि योग्य सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के प्रतिशत को आधार मानकर किया था, जिसे सिंचाई मन्त्री ने रद्द कर दिया है और परिणाम स्वरुप जिले में नलकूपों की बोरिंग का काम रुक गया है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? जनपद फैजाबाद में विभिन्न ब्लाकों में प्रस्तावित राजकीय नलकूपों के बंटवारे का अब आधार क्या होगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1979-80 में जनपद में आवंटित नलकूपों के स्थल का चयन जिला नलकूप चयन समिति द्वारा किया गया और उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

चयन समिति के निर्माण यथावत है।

प्रश्न नहीं उठता।

*22—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

[उरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*23—श्री रियासत हुसैन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*24—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सरयू नहर की सर्विस रोड के निर्माण के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

*25—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू मुख्य नहर की सर्विस रोड मिल 32-700 से 59-700 बनाने हेतु वर्ष 1977-78 के वर्क आर्डर किए गए थे? उस वर्क आर्डर के तह में सर्विस रोड बनाने में भारी घपले को पाकर अधीक्षण अभियन्ता ने पेमेन्ट न करने का निर्देश देने के साथ-साथ तथ्यों की जाँच करके चीर्ज शीट करने हेतु सम्बन्धित तत्कालीन अभियन्ता को लिखा था, जिसके अनुसार ठेकेदार का पेमेन्ट रोक दिया गया था? क्या यह सही है कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता के आदेशों को नजर अन्दाज करके भारी घपले वाली सर्विस रोड का भुगतान कर दिया है? क्या सरकार इसकी पूरी जाँच करायेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा बीजकों के भुगतान न करने के विषय में कोई आदेश नहीं दिये गये थे। अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर निर्माण खण्ड–2 बहराइच द्वारा उक्त मामले की जाँच दो सहायक अभियन्ताओं की समिति द्वारा कराई गई।

कार्य स्थल पर हुए कार्य के बीजकों में किसी प्रकार का कोई घपला नहीं पाया गया। समस्त माप पुस्तिकायें तथा बीजकों की जाँच की गई जिसमें केवल अवर अभियन्ताओं द्वारा माप करने की विभागीय विधि न अपनाये जाने के लिये उन्हें दोषी पाया गया जिसके लिये उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी गई है। सहायक अभियन्ता को भी विभागीय विधि न अपनाने हेंतु चेतावनी दे दी गई। कार्य का भुगतान भी कर दिया गया है अतः अब और जाँच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मिनिस्टीरियल इस्टेबिलशमेंट एसोसियेशन, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग की हड़ताल

*26—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21 जून, 1979 को मिनिस्टीरियल इस्टेबिलशमेन्ट एसोसियेशन, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के समस्त कर्मचारियों ने अपनी माँगों के समर्थन में पूर्ण हड़ताल पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और कार्यालय में जबरिया ताला डालकर अधिकारियों का घेराव किया ? क्या यह सही है कि 28 सूत्री माँग-पत्र भी प्रस्तुत किया ? यदि हाँ, उनकी मुख्य-मुख्य माँगें क्या हैं? कितनी माँगों को सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राम नगर, जिला नैनीताल के राजकीय हाई स्कूल का भवन

*27–28—श्री रामदत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि रामनगर (जिला नैनीताल) के प्रथम राजकीय हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दिनाँक 20 नवम्बर, 1978 को इस आधार पर दी गयी थी कि उपरोक्त हाई स्कूल, समाप्त शुदा दीक्षा विद्यालय, रामनगर के रिक्त उपलब्ध भवन में खोला जायेगा जिसकी पुष्टि वर्ष 1978–79 के लिए शासन द्वारा प्रकाशित अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर स्मृति-पत्र (मार्च, 1979) जो विधान मण्डल के समक्ष उपस्थित किया गया, के पृष्ठ 91 पर आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत की गयी है ?

यदि हाँ, तो शिक्षा निदेशक, श्री चौहान ने सरकार के उपरोक्त निर्णय की अवहेलना करते हुए अपने आदेश दिनाँक 21 अक्तूबर, 1978 द्वारा दीक्षा विद्यालय, रामनगर के भवन से राजकीय हाई स्कूल को वंचित रखते हुए राजकीय डिग्री कालज (उच्च शिक्षा) को आवंटित कर दिया ?

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

रामनगर में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दिनाँक 20–11–78 को ी गयी थी। जुलाई, 1978 में समाप्त शुदा राजकीय दीक्षा विद्यालय भवन को बिलकुल अस्थायी रूप से हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति के पहिले (दिनाँक 21–10–78 से), शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय महाविद्यालय रामनगर हेतु काम में लाया गया। अप्रैल, 1979 से, समाप्त शुदा दीक्षा विद्यालय के छात्रावास भवन को छोड़ कर, सभी भवन राजकीय हाई स्कूल, रामनगर को दे दिये गयें हैं।

चीनी की दोहरी मूल्य व्यवस्था

*29--श्री श्रीनारायण--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार किसी नई चीनी नीति को निर्धारित करने जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री मलिखान सिंह--

प्रदेश सरकार चीनी की कोई नीति निर्धारित करने के लिये सक्षम नहीं है। भारत सरकार द्वारा 17-12-1979 से चीनी की दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को पहले के समान लेवी चीनी शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड पर और ग्रामीण क्षत्रों में राशनकार्ड अथवा परिचय पत्र पर सस्ते गल्ले के दुकानदारों के माध्यम से उपलब्ध कराने क आदेश जारी कर दिये गय है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सस्ते गल्ले के दूकानदारों को लेवी चीनी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही ह जिसका फुटकर मूल्य रु 02.85 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया ह।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच

*30--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप की जाँच के लिए एक संसदीय जाँच आयोग मई, 1979 में नियुक्त किया गया था ? जिसकी रिपोर्ट एक माह में देने के लिए कहा गया था ? यदि हाँ, तो क्या जाँच पूरी हो गयी है और उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

डंगोली-स्याली मिलकोट-घेटी मार्ग, जिला अल्मोड़ा का निर्माण

*31--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में वर्ष 1978-79 में जो डंगोली-स्याली-मिलकोट-घेटी मोटर मार्ग 3 कि0 मी0 स्वीकृत किया गया था, उसके निर्माण में अब तक क्यों बिलम्ब किया गया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

इस मार्ग के संरेखण के सम्बन्ध में स्थानीय जनता के दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण निर्माण कार्य में अवरोध रहा। यह मामला मई, 1979 में तय हो पाया। इस मार्ग का निर्माण कार्य जून, 1979 से आरम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है।

*32--श्री जगन्नाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सीतापुर जिले को डीजल व मिट्टी के तेल का आवंटन

*33--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में माह अगस्त सितम्बर व अक्तूबर में जनपद सीतापुर को डीजल क्रूड आयल तथा मिट्टी का तेल (किरोसिन आयल) कितना दिया गया ? यह सप्लाई तहसील स्तर पर प्रत्येक माह कितनी-कितनी की गयी तथा किस रट से डीजल, मिट्टी का तेल तथा क्रूड आयल बचा गया ?

श्री मलिखान सिंह—

जनपद सीतापुर को वर्ष 1979 में माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल (क्रूड आयल) तथा मिट्टी के तेल को निम्न मात्रा में आपूर्ति हुई (मात्रा किलो मीटर में)—

माह	हाई स्पीड डीजल	लाइट डीजल आयल (क्रूड आयल)	मिट्टी का तेल
अगस्त	..	491.0	132	423.5
सितम्बर	..	517.5	71	188.5
अक्टूबर	..	1258.5	92	148.0

प्रश्न के दूसरे भाग में वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 876-877 पर)

हरदोई जिले के बिलग्राम-कन्नौज मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

*34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिलराया-पनवारी मार्ग पर हरदोई जिले में बिलग्राम से कन्नौज तक के 16 किलोमीटर मार्ग को डामरयुक्त कराने एवं गंगा नदी पर राजघाट का पुल न बनवाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इस पर विचार करेगी?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

हरदोई जनपद में बिलराया पनवारी मार्ग पर (विलग्राम से कन्नौज तक) का आधुनीकरण स्वीकृत किया जा चुका है। गंगा नदी पर राजघाट पर पुल बनवाने का कार्य धनाभाव के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है इस कार्य की भविष्य में स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

बस्ती जिले के रुधौली-बरिरा मार्ग का निर्माण एवं मुआवजा का भुगतान

*35—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में रुधौली-बरिरा मार्ग का निर्माण कब हुआ और उक्त रोड में किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ? क्या अब तक किसानों को उनके भूमि का मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

रुधौली-बखिरा मार्ग का निर्माण वर्ष 1973 में पूर्ण हुआ। इस मार्ग के लिए 76.4 में एकड़ स्थायी तथा 156.35 एकड़ अस्थायी भूमि (ग्राम समाज की भूमि छोड़कर) ली गयी है। किसानों को अभी प्रतिकर नहीं दिया जा सका है क्योंकि भू-अर्जन/भू-अधिग्रहण कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है ।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों को पेंशन

*36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को भी राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों क समान पेंशन देन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की दर पर पेंशन अनुमन्य की जा चुकी है। अतः उक्त श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अन्य किसी प्रकार के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की दर पर पेंशन देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

ओबरा थर्मल कन्सट्रक्शन प्रखण्ड, मिर्जापुर के अन्तर्गत रिबेट का भुगतान

*37—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल कनस्ट्रक्शन प्रखण्ड ओबरा, मिर्जापुर के अनुबन्ध संख्या 37/76/77 को अन्तिम भुगतान कर दिया गया है? क्या अनुबन्ध के अन्तर्गत 25 पैसा प्रति घन मीटर के हिसाब से रिबेट कटना था? क्या यह सच है कि अन्तिम भुगतान में 25 पैसा प्रति घन मीटर के हिसाब से रिबट न काटकर 25 पैसा प्रति सैकड़ा घन मीटर के हिसाब से काटा गया? यदि हाँ, तो कितने रुपए की क्षति सरकार को हुई और इसके लिए दोषी कौन अधिकारी है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर० बी० एस० कालेज, आगरा और रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी में झगड़ा

*38—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या जनपद आगरा के आर0 बी0 एस0 कालेज, आगरा और बिचपुरी रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी के मध्य उठे विवाद में क्या दिनाँक 27 सितम्बर, 1979 को पुनः झगड़ा भड़क उठा, जिसमें गोलियाँ चलीं और आगजनी में रूरल इंस्टीट्यूट और वर्कशाप जलकर राख हो गया और लाखों रुपए की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री अशोक बाजपेयी—

जी हाँ। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार रूरल इंस्टीटयूट के वर्कशाप से जलकर राख होने की बात प्रमाणित नहीं हो सकी। शान्ति एवं व्यवस्था के लिये जिले के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी।

*39—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[3रे सोमवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जिले के नानामऊ घाट पर पीपे के पुल के निर्माण की मांग

*40—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद से हरदोई तक गंगा जी में कोई भी पुल बीच में न होने के कारण लोगों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा उन्नाव जनपद में जगतनगर तक तथा कानपुर जिले में नानामऊ घाट तक गंगा के दोनों किनारों तक पक्की सड़क बनी हुई है? यदि हाँ, तो क्या माननीय मन्त्री जी जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नानामऊ घाट के सामने गंगा जी पर अविलम्ब पीपों का पुल बनाए जाने का आदेश प्रदान करेंगे?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

प्रथम भाग

जी हाँ।

द्वितीय भाग

जी हाँ।

तृतीय भाग धनाभाव के कारण इस कार्य को फिलहाल स्वीकृत करना इस समय सम्भव नहीं है।

*41--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्यायाम शिक्षकों की प्रोन्नति

*42--श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यायाम शिक्षकों के प्रोन्नति का प्रश्न कब से शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इसका निस्तारण अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हाँ, वर्ष 1975 से।

इस प्रश्न के वित्तीय पक्ष पर विचार करने के उपरान्त निर्णय ले लिया जायेगा।

*43--श्री सन्त बख्श रावत--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

खाद्यान्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों एवं पुलों का निर्माण

*44--श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर पुलियों को बनाने तथा सड़कों को पक्की करने का विचार शासन का है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी हाँ। खाद्यान्न योजनाओं के मार्गों पर पुलियों के निर्माण तथा उनको पक्का करने का कार्य कब तक हो जायेगा यह इस समय बताना सम्भव नहीं है। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर का उच्चीकरण

*45--श्री हरिचरण यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तहसील अमेठी मुख्यालय पर राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बालिका में उच्चीकरण हेतु अनेकों प्रार्थना-पत्र सन् 1977-78 ई0 तथा 9 अप्रैल, 1979 ई0 को माननीय शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ? शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उच्चीकरण न करने का क्या कारण है ? क्या शिक्षा मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अमेठी तहसील मुख्यालय पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज है और लड़कियों का इण्टर सेक्शन न होने के कारण उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है ? यदि हाँ, तो शासन क्या व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए कर रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हाँ।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील मुख्यालय अमेठी पर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का वर्तमान शिक्षा सत्र (1979-80) से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण कर दिया गया है।

बहराइच जिले के प्रौढ़ शिक्षकों के अवशेष धनराशि का भुगतान

*46—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के प्रौढ़ शिक्षकों को ग्रान्ट के अभाव में छः माह से पारिश्रमिक व प्रकाश भत्ता नहीं मिला है और कोई अग्रिम आदेश न आने के कारण समस्त केन्द्र बन्द हैं ? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब तक उक्त शिक्षकों को उनका बकाया पारिश्रमिक व प्रकाश भत्ता दे दिया जायेगा और समस्त केन्द्र चालू कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। बहराइच जनपद में अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों के शिक्षकों के पारिश्रमिक व लेखन सामग्री तथा प्रकाश के व्यय का भुगतान जो कि 1 माह से लेकर लगभग 6–1/2 माह तक का अवशेष है, आय-व्ययक के आवंटन में बिलम्ब हो जाने के फलस्वरूप नहीं हो सका। आय-व्ययक का आवंटन किया जा चुका है और भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। इस हेतु शिक्षकों को केन्द्र की सामग्री वापस कर उनसे प्रमाण पत्र माँगे गये हैं ताकि भुगतान किया जा सके। शासन द्वारा भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि इन शिक्षकों को शीघ्रतापूर्वक अवशेषों का भुगतान किया जाय। बहराइच जनपद में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत चल रहें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र उनके सत्रों की समाप्ति हो जाने पर बन्द हुये हैं। इस जनपद के विकास खण्ड-जमुनहाँ तथा नवाबगंज में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नये पैटर्न के अन्तर्गत 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक खोले जाने के शासनादेश दिनाँक 12 नवम्बर, 1979 को निर्गत किये जा चुके हैं।

*47—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]।

*48—श्री नेतराम सिंह—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित[

अतारांकित प्रश्न

रामनगर व कालाढूंगी तहसीलों के अन्तर्गत कैनाल विभाग की सर्विस रोड के पक्का किये जाने की मांग

1—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1977 उप सचिव, श्रीमती म0 गौतम के हस्ताक्षर से शासनादेश संख्या 6408 (1) सब/77–तेईस–सी–9, इस आशय का जारी किया गया है कि जनपद नैनीताल की रामनगर व कालाढूंगी तहसीलों के अन्तर्गत मौजूद मुख्य कैनाल सर्विस रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पौन लाख रुपया प्रति किलोमीटर की लागत से पक्का निर्माण कराया जाय ? यदि हाँ, तो उपरोक्त शासनादेश में निहित निर्णय का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

शासनादेश संख्या 6387–सब/77–23–सि–4–13 डब्लू-76, दिनाँक 8 दिसम्बर, 1977 द्वारा जनपद नैनीताल की रामनगर तथा कालाढूंगी तहसीलों के अन्तर्गत क्रमशः 31 कि0 मी0 तथा 9 कि0 मी0 लम्बी कैनाल सर्विस रोड्स को क्रमशः 28.86 लाख तथा 8.97 लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का कराने के आदेश जिलाधिकारी, नैनीताल को निर्गत किये गये थ।

जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया था। चूंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना में उक्त कार्य हेतु प्राविधान नहीं था, अतः इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फरीदपुर-भुता रोड सम्बन्धी शिकायती-पत्र

2—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर भुता रोड में जो अनियमितता बरती गयी है उसकी शिकायत मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को प्रश्न-कर्त्ता ने जनवरी, 1979 में की थी ? क्या यह भी सही है कि जो अधिकारी उसकी जाँच हेतु भेजे गये थे उन्होंने केवल बरेली में बैठ कर जाँच की थी ? क्या मन्त्री जी पुनः जाँच मौके पर करवाने का कष्ट करेंगे और दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे अन्यथा नहीं और क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय सदस्य का दिनाँक 28 दिसम्बर, 1978 का एक शिकायती पत्र प्राप्त था जिस पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक से जाँच कराई गई थी जिन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जाँच की थी। यह सही नहीं है कि जाँच बरेली में बैठकर की गई थी। इन परिस्थितियों में दुबारा जाँच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जूनियर हाई स्कूल, बहराइच के अध्यापकों का पत्राचार प्रणाली द्वारा प्रशिक्षण

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पत्राचार प्रणाली द्वारा प्रशिक्षित करने की योजना है ? यदि हाँ, तो बहराइच जनपद के किन-किन प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के आवेदन-पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं तथा किन विद्यालयों से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ? साथ ही कब से प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

ऐसे विद्यालयों के नाम सूची "अ" व "ब" के रूप में संलग्न हैं।

औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षण जुलाई, 1980 से ही प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 878-879 पर)

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय की गयी धनराशि

4—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से वर्ष 1976 तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कितना धन खर्च कर चुकी है तथा कितनी धनराशि का सामान खरीदा जा चुका है तथा यह खरीदा हुआ सामान अब कहाँ है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1972 से 1976 तक की अवधि में प्रौढ़ों के लिए किसान कार्यात्मक साक्षरता योजना (15-45 वय वर्ग के लिए) तथा अनौपचारिक शिक्षा योजना (15-25 वय वर्ग के लिए) संचालित थी जिन पर प्रदेश सरकार द्वारा रु0 51,42,184.23 की धनराशि खर्च की गयी। इसमें से रु0 20,83,764.33 का सामान खरीदा गया। जो सामान केन्द्रों के शिक्षार्थियों के लिए खरीदा गया यथा पुस्तकें, स्लेट आदि वह उनके पास ही रहा। अन्य सामान यथा श्यामपट, लालटन आदि जो केन्द्रों के शिक्षकों हेतु खरीदा गया था केन्द्रों से वापस कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में सुरक्षित रख दिया गया।

किसान इण्टर कालेज, सरैया, जिला सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज, सरैया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य के भ्रष्ट आचरण तथा अवैध रूप से प्रधानाचार्य पद के अप्रूवल के सम्बन्ध में कुछ भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र मार्च 1978 से सितम्बर, 1978 तक प्राप्त हुए थे ? यदि हाँ, तो आज तक क्या कोई जाँच करायी गयी है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हाँ ।

प्रश्नगत प्रकरण पर जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर से जांच कराई गयी है । जांच आख्या के अनुसार आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

श्री तपस्वी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजपुर, वाराणसी को प्रदान की गयी हाई स्कूल की मान्यता

6--श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तपस्वी महाराज उ0मा0 वि0, राजपुर, जनपद वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता किस वर्ष दी गयी ? इस विद्यालय में शैक्षिक सत्र 1970-71 तथा 1971-72 में कौन-कौन अध्यापक किस-किस वेतन-क्रम में कार्यरत थे ? क्या सरकार उनकी नियुक्ति तिथियाँ स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इस विद्यालय को वर्ष 1974 में हाईस्कूल की मान्यता दी गई थी। दिनाँक 4-9-73 की रात्रि को विद्यालय के अभिलेखों की चोरी हो जाने के कारण अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं । विद्यालय के वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक में उपलब्ध अध्यापकों के विवरण संलग्न तालिका में दिखलाये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 880 पर)

गोरखपुर जिले की सरैया माइनर रजबहा के विरुद्ध ग्राम सरैया, बिलारी, मठिया आदि में गलत परताल सम्बन्धी शिकायती-पत्र

7--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुण्डेरा बाजार के सरैया (बिलारी मठिया) माइनर रजबहा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा एवं स्थानीय जनता द्वारा शासन को कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1977 से अब तक दिए गए ? यदि हाँ, तो उस पर क्या उचित कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हाँ ।

इस संबंध में स्थानीय जनता से अगस्त, 1977 से निम्नलिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे:--

(1) श्री राम लखन शुक्ल, ग्राम बसडीला का दिनाँक 26-11-77 का पत्र, जो सिंचाई कर को माफ करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ था । जाँचोपरान्त यह पाया गया कि इनके खेतों में सिंचाई हुई है। अतः प्रार्थी को सूचित करते हुए पत्र निरस्त कर दिया गया।

(2) श्री बलराम शुक्ल, ग्राम बसडीला दिनाँक 22-1-78 का पत्र, जो गलत पड़ताल करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ था। जाँचोपरान्त 0.72 एकड़ रकबे की गलत पड़ताल हुई पायी गयी। जिसके लिये 28.80 रुपया मिनहाई इनको दी जा चुकी है।

(3) श्री राम लखन शुक्ल, ग्राम बसडीला का दिनाँक 22-7-78 का पत्र, जो पानी न मिलने से फसल सूखने के संबंध में था, प्राप्त हुआ था। जाचोपरान्त यह सही नहीं पाया गया इससे प्रार्थी को अवगत करा दिया गया था।

(4) श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा श्री राम लखन शुक्ल एवं ग्रामीण जनता के क्रमशः दिनाँक 5-12-78, 14-12-78 व 4-2-79 के तीन पत्र, जो नहर के पानी से फसलों की बरबादी के सम्बंध में थे, प्राप्त हुये थे।

इस सम्बन्ध में जाँच करने के पश्चात् यह पाया गया कि केवल वर्ष 1978-79 में रबी फसल में ग्राम बिलारी में बिलारी ड्रेन के आरम्भ के भाग में जो नशेब और खादर है 32.11 एकड़ नयी बोयी गई रबी फसल को पानी भर जाने के कारण क्षति पहुंची है। इसके लिए विभाग द्वारा 1056.60 रुपये की सिचाई कर में मिनहाई की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

8--श्रीमती शारदा देवी--

क्या यह सच है कि ग्राम सरैया, बिलारी, मठिया, बसडीला, टेलहना, पार, आमकोला आदि गाँवों को सन् 1977 एवं 78 की खरीफ फसल एवं रबी फसल पूरी तरह से डूब कर नष्ट हो गयी, उसका भी विभाग द्वारा गलत रूप से परताल किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार गलत रूप से परताल में संशोधन कर फसल क्षतिपूर्ति किसानों को देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह--

ग्राम सरैया, बिलारी, मठिया, बसडीला, टेहलना, पार, आमपुर आदि ग्रामों में वर्ष 1977-78 में खरीफ और रबी की फसल सिंचित क्षेत्र में डूब कर नष्ट नहीं हुई थी। केवल 32.11 एकड़ नई बोयी गयी रबी फसल वर्ष 1978-79 में पानी भर जाने के कारण क्षति-ग्रस्त हुई थीं जिसके लिए विभाग द्वारा रबी 1978-79 (1386 फसली) के सिंचाई कर में रु0 1056.60 की मिन्हाई की स्वीकृति दी जा चुकी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टोर कीपरों का वेतन-क्रम

9--श्री श्रीनारायण--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टोर-कीपर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में लोअर ग्रेड वेतन क्रम में भर्ती किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति स्टोर-कीपरों के वेतन-क्रम तथा पदोन्नति की व्यवस्था करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टोर कीपरों की भर्ती तृतीय श्रेणी के न्यूनतम वेतन-क्रम 200-320 में की जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग स्टोर-कीपर अधिष्ठान नियमावली, 1968 में इनकी पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है एवं शैक्षिक अर्हता भी भिन्न होने के कारण वर्तमान व्यवस्था में कोई संशोधन किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर शासन द्वारा गठित वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायगा।

गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों को दिया गया अनुदान

10—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों के मरम्मत हेतु दी गयी अनुदान की धनराशि इण्टर कालेज, राओकोल के कम्पीयरगंज, रतनपुर तथा हाई स्कूल, भगवानपुर, मुस्मोल धवईपुर विद्यालयों को दिया गया है जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर नहीं आते हैं। यदि हाँ, तो क्या मन्त्री महोदय जाँच करा कर दोषी अधिकारियों को दंडित कराने तथा गलत ढंग से दिये गये अनुदान को शीघ्र वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, इण्टर कालेज राओकोल के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों का शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत हुआ था।

यह बात शासन की जानकारी में नहीं है कि प्रश्न में अंकित विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहीं आता, अतएव जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठा।

11—श्री श्रीनारायण—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

12—श्री श्रीनारायण—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गंगा बक्स कनौडिया, इंटर कालेज, कप्तानगंज, देवरिया के अध्यापक श्री राम प्यारे पाण्डेय के निलम्बन का प्रस्ताव

13—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा बक्स कनौडिया, इण्टर कालेज, कप्तानगंज, जिला देवरिया के सहायक अध्यापक श्री राम प्यारे पाण्डेय का दिनाँक 12 अक्तूबर, 1978 को विद्यालय कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित निलम्बन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने कब जाँच की और कब रिपोर्ट प्रस्तुत की ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि कनौडिया इण्टर कालेज, कप्तानगंज, देवरिया में जनवरी, 1979 में छात्रों ने किस बात को लेकर हड़ताल किया ? क्या उसके पीछे किसी अध्यापक का हाथ भी था ? यदि हाँ, तो किसका ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

कोई जाँच नहीं की गयी, अतः रिपोर्ट देने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। छात्रों ने अर्ध वार्षिक परीक्षा के वहिष्कार को लेकर हड़ताल की।

किसी अध्यापक का हाथ होना अप्रमाणित है।

देवरिया जिले में बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति

14—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष 1977-78 में कितने बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गयी और वर्ष 1977–78 में नियुक्त उक्त बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई विभागीय जाँच हुई है ? यदि हाँ, तो कितनी नियुक्तियाँ फर्जी पायी गयीं तथा नियुक्ति अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1977–78 में 270 बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

कोई विभागीय जाँच नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

*5—श्री श्रीनारायण—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उर्दू की कथित अनिवार्य शिक्षा

16—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में कक्षा 6 से अनिवार्य र्दू की शिक्षा लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो निरीह बालकों र यह अतिरिक्त भार लादने का सरकार के पास क्या औचित्य है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का नियमितीकरण

17—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई सचिव शाखा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा से संवर्ग निर्धारण हेतु कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग के तीन वर्ष से अधिक अवधि से चल रहे अस्थायी पदों के स्थायी किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। संवर्ग निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ है ।

देवरिया जिले की खजुरिया शाखा की लक्ष्मीपुर माइनर में पानी की व्यवस्था

18—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के खजुरिया शाखा की उप शाखा लक्ष्मीपुर माइनर के टेल की ओर चार किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंचता है ? क्या यह सही है कि इस नहर को चालू हुए दस वर्ष हो गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री महोदय निकट भविष्य में लक्ष्मीपुर माइनर के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

जी हाँ ।

इस वर्ष रबी 1387 फसली वर्ष 1979–80 में नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गयी है इस समय टेल तक पानी जा रहा है ।

बनवारी लाल इण्टर कालेज, देवरिया के अध्यापकों की वरिष्ठता क्रम सूची

19—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 5 दिसम्बर, 1975 को सेवा समिति बनवारी लाल इण्टर कालेज, देवरिया की कार्यकारिणी समिति के अध्यापकों की वरिष्ठता क्रम-सूची तैयार गयी था ? यदि हाँ, तो यह सूची क्या है ? उसमें कितने अध्यापकों का नाम था ? क्या यह सही है कि अब सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए वरिष्ठता क्रम की नई सूची तैयार की जा रही है ? यदि हाँ, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यालयों को दिया गया अनुदान

20—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु किन-किन विद्यालयों को कितने-कितने रुपए का अनुदान दिया गया है और किन-किन विद्यालयों द्वारा उक्त धनराशि का किस रूप में उपयोग किया गया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1978 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण देवरिया जिले के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों की उनके समक्ष अंकित धनराशि अनुदान रूप में दी गयी ?

विद्यालयों में उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 881 पर ।)

देवरिया जिले के छितौनी इण्टर कालेज के अध्यापक श्री सिंहासन प्रसाद चौरसिया एवं श्री प्रेम नारायण चौरसिया की सेवा समाप्त

21—श्री श्रीनारायण

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक श्री सिंहासन प्रसाद चौरसिया एवं श्री प्रेम नारायण चौरसिया जुलाई, 1975 में अवकाश लेकर एल0टी0 प्रशिक्षण हेतु गये थे और प्रशिक्षण पूरा करके जुलाई, 1976 में पुनः विद्यालय में वापस आने पर उन्हें सेवा में लेने में अब तक टाल मटोल की जाती रही है ? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों अध्यापकों ने जुलाई, 1976 से दिसम्बर, 1978 तक प्रधानाचार्य इण्टर कालेज, छितौनी तथा उसके साधिकार नियन्त्रक को कोई आवेदन-पत्र दिये ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रश्नगत अध्यापकों की सेवाएं अप्रशिक्षित होने के कारण दिनांक 21-5-75 से समाप्त कर दी गयीं। तदनुसार उन्हें सूचित भी किया गया। जुलाई, 1975 में वे एल0टी0 प्रशिक्षण हेतु गए और सेवा समाप्ति के बाद अस्थायी एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों को अवकाश स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हाँ। विद्यालय में कोई पद रिक्त न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी ।

देवरिया जिले के सिधारिया सेवरहा ताल की जल निकासी योजना

22—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड नौरंगिया के सिघरिया सेवरहा ताल के जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि सेवरहा ताल में शिवदत्त छपरा माइनर तथा बहेलिया माइनर का जल आकर बाढ़ उत्पन्न कर देता है तथा हजारों एकड़ लहलहाती फसल पानी में डूबकर सड़ जाती है ? इस सम्बन्ध में विभाग से अनक बार लिखा-पढी करने के बाद भी अब तक किन कारणो से ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

विकास खण्ड नौरंगिया के सिघरिया सेवरहा ताल के जल निकासी हेतु सिघरिया ताल ड्रेन का निर्माण किया गया ह ।

जी नहीं। सिघरिया ताल से बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। इस ताल का पूरा पानी सिघरिया ताल ड्रेन से नहीं निकल पाता ह अतः परसौनी ताल ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है ।

23—श्री श्रीनारायण—

क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उक्त सिघारिया सेवरहा ताल की कितनी भूमि की रबी की फसल पानी में डूब कर सड़ गयी है और उससे किसानों को कितनी क्षति हुई है और उस क्षति की पूर्ति हेतु सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत वर्ष में इस ताल की भूमि की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जिले के के0 बी० बांध के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

24—श्री श्रीनारायण—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में के0वी0 बांध के निर्माण तथा उसकी अप्रोच रोड बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है ? अप्रोच रोड का कितना भाग बाकी है उसका निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

देवरिया जिले में के0वी0 बांध के निर्माण तथा उसकी अप्रोच रोड बनाने में अलग-अलग क्रमशः 74,31,160.58 रु0 व 25,000 रु0 व्यय हुआ। एप्रोच रोड की लम्बाई 0.8 कि0मी0 है जिसकी पूरी लम्बाई पर सोलिंग व मेटिल का कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल पेंटिंग का कार्य शेष है जो मार्च, 1980 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि

25—श्री श्रीनारायण—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध के सुदृकरण हेतु कौन-कौन सा कार्य हो रहा है तथा जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1979 तक कितना रुपया खर्च हुआ है और कितने और खर्च होना है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत इस समय मुख्यतः बांध के सहारे लांचिंग एप्रेन डालने का कार्य हो रहा है। छितौनी बांध के सुदृढीकरण पर जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1979 तक 7.09 लाख रु0 व्यय किया गया और इस पर 101.49 लाख रु0 और खर्च होना है ।

देवरिया जिले के कटाई-भरपुरवा से नेबुआ रायगंज मार्ग के निर्माण की मांग

26—श्री श्रीनारायण—

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कटाई भरपुरवा से नेबुआ रायगंज तक सड़क की भराई कब और किस योजना के अन्तर्गत कितने लागत से बनाई गयी थी और उस सड़क के अत्यन्त पुरानी होने के बावजूद कंकरीट व पिच रोड बनाने में सरकार के सामने क्या कठिनाई ह ? तथा इस सड़क पर एक पुल की भी आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जिला देवरिया में कटाई–भरपुरवा से नेबुआ-रायगंज मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में नहीं बनाया गया ।

धनाभाव के कारण फिलहाल इसे कंकरीट व पिच रोड बनाना सम्भव नहीं है ।

इस मार्ग पर किसी बड़े पुल की आवश्यकता नहीं है। केवल पुलियो की आवश्यकता है।

प्रदेश में सीमेन्ट का वितरण एवं कमी

27—श्री श्रीनारायण—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के सीमेंट वितरण की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है तथा इसमें सुधार के लिए उनके पास कौन सी योजना है क्या निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को भरपूर सीमेंट उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिह—

प्रदेश में सीमेंट वितरण प्रणाली दोषपूर्ण नहीं है। प्रदेश की मांग के अनुरूप भारत सरकार से सीमेंट का कोटा न मिल सकने के कारण अभाव बना रहता है। वर्तमान समय में विद्युत समय में कटौती के कारण पूरे देश में सीमेंट का उत्पादन कम हो गया है जिसके फलस्वरूप उपलब्धि और कम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को भरपूर सीमेंट उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाना कठिन ह ।

देवरिया जिले के सीमेन्ट स्टाकिस्ट

28—श्री श्रीनारायण—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कौन-कौन से सीमेंट स्टाकिस्ट किन-किन विकास खण्डों के लिए नियुक्त किए गये हैं और वे अपना स्टाक गोदाम कहां रखते हैं ? क्या मन्त्री महोदय अनिवार्य रूप से विकास क्षेत्र के अन्दर ही स्टाक (गोदाम) रखने वाले स्टाकिस्टों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री मलिखान सिह—

पहले सीमेंट स्टाकिस्ट नियुक्त करने का अधिकार सीमेंट कम्पनियों को था और पुराने स्टाकिस्ट नगरों एवं उपनगरों में ही केन्द्रित चले आ रहे हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से प्रदेश सरकार द्वारा स्टाकिस्टों की लाइसेंसिग प्रणाली लागू होने के उपरान्त जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा 4 विकास खण्डों में जो लाइसेन्सी नियुक्त किए गये थे उनका ब्योरा निम्न है—

(1) विकास खण्ड तमकुही राज—लाइसेंसी रामचन्द्र सिह लालजी मिश्र—स्थिति गोदाम—तमकुही राज।

(2) विकास खण्ड मोती चक—लाइसेंसी बनवारी लाल केजरी बाल—स्थिति गोदाम—मथौली बाजार।

(3) विकास खण्ड निवुआ नौगिया—लाइसेंसी मौलवी मिया—स्थिति गोदाम—कोटवा बाजार।

(4) विकास खण्ड कसिया—लाइसेंसी मुजापत अली—स्थिति गोदाम—तरकुलवा बाजार।

इस प्रकार नव नियुक्त चारों नये लाइसेंसियों के गोदाम सम्बन्धित विकास खण्डों में ही स्थित हैं।

विकास खण्ड मलुआनी, पथरदेवा एवं खडहा में ये लाइसेंसियों की नियुक्ति सम्बन्धित तहसील स्तरीय खाद्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुति पर की जायेगी। नये लाइसेंसियों को विकास क्षेत्र के अन्दर गोदाम रखना अनिवार्य होगा।

रुद्रपुर-देवरिया सड़क के निर्माण के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

29—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद देवरिया में विधायक गण एवं संसद सदस्यों की रुद्रपुर देवरिया सड़क में मैटीरियल के घोटाले के सम्बन्ध में श्री सत्यदेव रैदास, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा नियुक्त जांच समिति के माध्यम से माह फरवरी/मार्च, 1978 में जांच की गयी थीं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी हां।

चूंकि मामले में सतर्कता जांच चल रही है अत: अधीक्षण अभियन्ता की जांच आख्या के निष्कर्षों को बताना सम्भव नहीं है ।

फैजाबाद जिले में सड़कों के निर्माण में रुकावट

30--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण का कार्य (विशेषकर सड़कों को पेन्ट करने का कार्य) किन सामानों के अभाव में कब से रुका पड़ा है और इसे दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है और यह अभाव कब तक दूर किया जायेगा ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैक्सफाल्ट तथा कोयले के अभाव में वर्ष 1978-79 में सड़कों पर पेंटिंग का कार्य रुका रहा ।

क्सफाल्ट के अभाव को दूर करने के लिए मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, लखनऊ तथा भारत सरकार से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित किया गया और अब फैजाबाद में मैक्सफाल्ट प्राप्त हो गया है। कोयले का अभाव अब भी बना हुआ है, किन्तु उसके स्थान पर लकड़ी का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

ग्राम गंजडुंडवारा, जिला एटा के किसानों का आबपाशी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

31--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें 23 मई, 1979 को मेरा पत्र ग्राम गंजडुंडवारा, जिला एटा के किसानों की आबपाशी फर्जी दर्ज करने के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो किसके द्वारा जांच करवाई गयी और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शमशाबाद-दाईघाट, कायमगंज-सराय-अगहत मार्ग, जिला फर्रुखाबाद पर पुल निर्माण की मांग

32--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में शमशाबाद, दाईघाट, के कायममंज-सराय अगस्हत तथा शमशाबाद स्टेशन और नवाबगंज के बीच पुल निर्माण की स्वीकृति कब हुई और अभी तक उसके निर्माण का प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

प्रश्नगत तीन पुलों के निर्माण की स्वीकृति क्रमश: नवम्बर, 1976, मई, 1971, तथा जून, 1979, में दी गयी थी ।

कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्रमश: निम्नलिखित हैं :--

1--शमशाबाद-दाईघाट मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य सर्वेक्षण करने तथा परिकल्पना तैयार करने में उत्पन्न बाधाएं और कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका ।

2--कायमगंज-सराय अगहत मार्ग पर पुल का निर्माण प्रारम्भ में पहुंच मार्ग न बन सकने के कारण तथा बाढ़ में पुल की परिकल्पना में परिवर्तन किए जाने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। अब पुल के कार्य की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी है और कुओं की नीवें का कार्य प्रगति में है ।

3--शमशाबाद स्टेशन और नवाबगंज के बीच पुल का निर्माण प्रारम्भिक औपचारिकतायें पूरी न हो सकने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।

कायमगंज–अताईपुर मार्ग का निर्माण

33—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कायमगंज–अताईपुर मार्ग का निर्माण कब स्वीकृत हुआ, उसमें कितना काम और कितने मूल्य का अभी तक किया गया हैं ? क्या शासन को इस प्रकार की जानकारी है कि इस मार्ग पर वास्तव में काम नहीं हो रहा है। इस मार्ग की कुल लम्बाई कितनी है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

कायमगंज–अताईपुर मार्ग की कुल लम्बाई 3.5 कि0मी0 है। इस मार्ग की स्वीकृति निम्न प्रकार जारी हुई थी—

(क) 1.5 कि0मी0 लम्बाई में दिनांक 16-12-76 को लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत ।

(ख) दो कि0मी0 लम्बाई में वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य निम्न प्रकार हुआ है :—

मिट्टी का कार्य—2.75 कि0 मी0, टापकोट की कुटाई का कार्य—800 मीटर, प्रथम सतह लेपन कार्य—600 मीटर। कुल व्यय लगभग 58,000 रुपया हुआ है ।

शेष लम्बाई में मिट्टी का कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्रामवासी मिट्टी डालने के लिए भूमि नहीं दे रहे हैं ।

एटा जिले के ग्राम फगनौल के श्री कुदरत अली के गेहूं की खरीद

34—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें 13 जून, 1979 को एटा जनपद के ग्राम घूमरी के कुदरत अली उर्फ कुद्दन खाँ का गेहूं की खरीद में भयंकर भ्रष्टचार की शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करवाई गयी ? और कौन-कौन से तथ्य सही पाए गये और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मलिखान सिंह—

श्री कुदरत अली उर्फ कुद्दन खाँ, ग्राम फगनौल, जिला एटा का घुमरी क्रय केन्द्र पर गेहूं की खरीद में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 2 जून, 1979 माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 13 जून, 1979 के साथ प्राप्त हुआ था। नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गयी। शिकायती-पत्र के कोई तथ्य सही नहीं पाए गये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय श्री क्षेत्रपाल तिवारी, अवर अभियन्ता, गण्डक निर्माण खण्ड के अवशेष देयों का भुगतान

35—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें मेरे पत्र के साथ श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व0 श्री क्षेत्रपाल तिवारी,अवर अभियन्ता, गण्डक निर्माण खण्ड, दशम का आवेदन-पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1979 का भेजा हुआ मिला है ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल तिवारी की पत्नी ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद जून,1978 में अनेक पत्र विभाग को भेजे, किन्तु किसी का भी उत्तर उन्हें नहीं दिया गया ? उत्तर न देने का क्या कारण है और उनके अवशेष धन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? उनका शेष धन का भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

जी हां ।

श्री तिवारी के पत्र में निम्नांकित देय अवशेष होने का उल्लेख किया गया था---

1---दिनांक 1-1-77 से 10-1-77 तक का वेतन ।

2---चिकित्सा अवकाश दिनांक 4-7-76 से 17-7-76 तक का वेतन ।

3---यात्रा भत्ता माह 12/76 व 1/77 का भुगतान ।

4---महंगाई भत्ते का एरियर ।

5---अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया ।

इस मामले पर ध्यान प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र से ही आकर्षित हुआ। यह अवशेष देय दो मंडलों से सम्बन्धित है तथा सेवा पुस्तिका कई खंडों द्वारा पूर्ण की जानी थी। इन अवशेषों में पेंशन तथा आनुतोषिक के कागजात भी पूर्ण होने थे। विभिन्न खण्डों से कोई धनराशि तथा जांच अवशेष न होने का प्रमाण पत्र भी एकत्रित किये जाने हैं ।

उपरोक्त अवशेष देयों में क्रमांक 5 पर अंकित अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की दूसरी किस्त रु0 111.85 तथा ब्याज की धनराशि रु0 55.20 मात्र का भुगतान स्व0 श्री तिवारी ने स्वयं दिनांक 14-2-78 को प्राप्त कर लिया था उनके हस्ताक्षर वेतन पंजिका में उपलब्ध हैं ।

इसके अलावा स्व0 श्री क्षेत्रपाल तिवारी की पत्नी को सामूहिक जीवन बीमा की रु0 12214.37 दिनांक 19-3-79 को तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का रु0 9981.90 की धनराशि दिनांक 23-7-79 को भुगतान कर दी गयी है ।

स्व0 श्री तिवारी की पारिवारिक पेंशन तथा डेथ-कम-ग्रेच्युटी के कागजात अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त हो गये हैं सम्बन्धित मण्डलों एवं खण्डों से कोई धनराशि एवं जांच प्रकरण अवशेष न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आनुतोषिक का भुगतान किया जायगा। अन्य शेष दोनों का भी भुगतान मुख्य अभियन्ता द्वारा शीघ्र कर दिया जायगा। पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति भी अति शीघ्र दे दी जायगी ।

बांदा जिले में केन और यमुना संगम के पैन्टून ब्रिज पर कर की वसूली

36---श्री बाबू लाल वर्मा---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी है कि बांदा जिले में केन और यमुना के संगम स्थल चिल्लाघट पर बना पैन्टून ब्रिज (पीपों का पुल) त्रुटिपूर्ण निर्माण होने के कारण बांदा-बिन्दकी-लखनऊ आने जाने वाले यात्री बसों, माल वाहक ट्रकों आदि को हर समय संकट का सामना करना पड़ता है तथा व्यापक मनमानी करके निर्धारित कर से अधिक पैसा वसूलने तथा ठेकेदारों व पुल संरक्षकों द्वारा जनता से दुर्व्यवहार करने का स्थल बन गया है ? यदि हां, तो पुल निर्माण व कर वसूली का ठेकेदार कौन है ? कितनी धनराशि व्यय हुई ? सरकार ने पुल व्यवस्थित करने व भ्रष्ट अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सेतु निगम द्वारा इस्पात के तार की खरीद

37--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि 1973-74 में उ0प्र0 राज्य सेतु निगम ने (भारत नियन्त्रक महालेखा निरीक्षक की 1976-77 की रिपोर्ट के अनुसार) 30 लाख रुपए के इस्पात के तार आदि बिना कोटेशन मंगाए बिना जरूरत का सामान खरीद लिया था जिसकी मांग न होने के कारण उसे बट्टे खाते में डालना पड़ा? यदि हां, तो 1973 से अब तक सेतु निगम ने कितने मूल्य के कौन-कौन से सामान की खरीदारी की जो आज भी अनावश्यक स्टोरों में पड़ा खराब हो रहा है? तथा सरकार ने इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

यह सही नहीं है कि 30 लाख रु0 के इस्पात का तार आदि प्रयोग न होने के कारण बट्टे खाते में डालना पड़ा।

2--1973-73 में निगम के बहुत सारे सेतुओं का कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य था इसलिए इस इस्पात के तार की आवश्यकता थी। जहां तक कोटेशन मंगाये बिना तार क्रय करने का प्रश्न है, उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा 1972 से अनुमोदित दरों पर ही इस इस्पात के तार का क्रय किया गया था। 1972 के बाद इस इस्पात के तार के बाजार भाव में काफी वृद्धि हो गयी थी, लेकिन निगम के अधिकारियों ने फर्म से बातचीत करके इसे उद्योग निदेशक द्वारा 1972 में स्वीकृत की गयी दरों पर ही क्रय किया था।

3--निगम ने 1973 से अब तक कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदा है जो स्टोर में पड़ा खराब हो रहा हो। अतएव अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

महाराजगंज के निकट जौनपुर राजबहा पर पुल निर्माण

38--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला जौनपुर के महाराजगंज राजबहा (माइनर) भीमपुर के पास बन रहे पुल को 3 वर्ष हो गये हैं, किन्तु वह आज भी अधूरा है जिससे आने जाने में बड़ी असुविधा होती है? यदि हां, तो समय पर पुल न बन पाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि उक्त पुल का ठेकेदार भाग गया है? यदि हां, तो कितनी धनराशि के कितने पुलों का ठेका ठेकेदार को दिया गया था?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जनपद जौनपुर में महाराजगंज राजबहा नाम की कोई नहर नहीं है। महराजगंज के पास से जौनपुर राजबहा जाता है इस नहर पर महराजगंज के निकट एक पुल का निर्माण कि0मी0 51.90 पर तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था जोकि पूर्ण हो चुका है तथा आवागमन के लिए चालू कर दिया गया है।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बहराइच जिले में सड़कों का निर्माण

39--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना नं0 4 के अन्तर्गत बहराइच में कितने-कितने कि0मी0 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति वर्ष 1978-79 में शासन द्वारा दी गयी तथा अब तक कितने-कितने कि0मी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो चुका है? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में उक्त योजना में वर्ष 1978-79 में 229 सम्पर्क

मार्गों का कार्य आरम्भ किया गया था जिसमें 86 मार्गों का 242 कि0मी0 का निर्माण पूरा हो गया है तथा 143 मार्गों (341–550 कि0मी0) का निर्माण कार्य चालू किया गया है ? यदि हां, तो अन्य जिलों के साथ समान व्यवहार करने में शासन की क्या नीति है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र––

वित्तीय वर्ष 1978-79 में खाद्यान्न योजना नं0 4 के अन्तर्गत बहराइच जनपद में 60 कि0मी0 सड़कों पर मिट्टी के कार्य तथा पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी।

नवम्बर, 1979 तक 53.83 कि0मी0 मार्गों पर मिट्टी का कार्य तथा 13.40 कि0 मी0 मार्गों में पुलिया निर्माण कार्य हो चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

40––श्री बाबू लाल वर्मा––

[13-6-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 63 द्वारा उत्तरित]

राजकीय निर्माण निगम, मुख्यालय, लखनऊ में अप्रेन्टिस असिस्टेन्ट रेजीडेंट इंजीनियर पद हेतु साक्षात्कार

41––श्री मुहम्मद रफी खाँ (जिला शाहजहांपुर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय, लखनऊ में दिनांक 26 अप्रैल, 1979 को अप्रेन्टिस असिस्टेंट रेजीडेंट इंजीनियर पद हेतु कोई साक्षात्कार लिया गया ? उस सूची में कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया, उनके नाम क्या हैं क्या उन अभ्यर्थियों को नियुक्त कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जायगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र––

जी हां। दिनांक 26-4-1979 को लिये गये साक्षात्कार के आधार पर संलग्न सूची में उल्लिखित 34 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था जिनमें से क्रमांक 19 तक के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार वरीयता-क्रम के आधार पर की जायगी।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 881 पर।)

हरदोई जिले में जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों के भवन का निर्माण

42––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्डों के अन्तर्गत अनेकों जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल बिना इमारत के ही चल रहे हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके निर्माण की कौन सी योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

जी हां।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है। प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर की अध्यापिका, श्रीमती शान्ती देवी राय की दक्षता रोक

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती शान्ती देवी राय, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर की दक्षता-रोक वर्ष 1976 से अब तक क्रास न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्रीमती शान्ती देवी राय का दक्षता रोक वर्ष 1976 में नहीं वरन् 21-11-77 को पार किया जाना था जिसे पार करा दिया गया है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के स्वीकृत पद

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने 1974 में 44 पद अधिशासी अभियन्ता सिविल व नव अधिशासी अभियन्ता विद्युत् एवं यांत्रिक के प्रवरण श्रेणी के स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो इन स्वीकृत पदों के अन्तर्गत कितनी नियुक्तियां की गयीं और पूरी नियुक्तियां न करने का क्या कारण है ? इस समय कितने स्थान रिक्त हैं और यह कब तक भर दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता सिविल के 44 पद तथा अधिशासी अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) के केवल 4 प्रवरण श्रणी के पद वर्ष 1974 में स्वीकृत किये गये थ। इनमें से सिविल के 25 पद तथा (विद्युत्/यांत्रिक) के केवल 1 पद पर नियुक्ति की गयी है। शेष 19 (सिविल) तथा 3 (विद्युत्/यांत्रिक) पदों पर नियुक्ति विभाग के सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता विवादास्पद होने के कारण नहीं की जा सकी। जैसे ही शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जाता है, शेष रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां अविलम्ब कर दी जायेंगी ।

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण का अधिकार

45—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रारम्भिक पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण का अधिकार अब बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हाथ से लेकर शासन ने सीधे अपने हाथ में ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

46—श्री ओम प्रकाश—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में 1977-78 तथा 1978-79 में नए खोले गए प्राइमरी स्कूलों में सीधी शासन से प्रधानाध्यापकों की तैनाती कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने और क्यों ? क्या सरकार ब्लाकवार उन प्राइमरी पाठशालाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में बस्ती जनपद में नए खोले गये प्राइमरी स्कूलों में से पांच स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की तैनाती जनहित में शासन के आदेशों से स्थानान्तरण द्वारा की गयी थी ?

इन स्कूलों की ब्लाकवार सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ883 पर)

मैनपुरी, फरिहा के राजकीय कन्या विद्यालय के प्रधाध्यापक, श्री सुनहरी लाल यादव की वार्षिक वेतन वृद्धि

47—श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र खैरगढ़ (हाथवन्त) के रा0 कन्या विद्यालय फरिहा के सुनहरीलाल यादव प्रधानाध्यापक की वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी, 78 में देय थी ? यदि हां, तो आज तक वार्षिक वेतन वृद्धि न देने का क्या कारण है। वेतन वृद्धि न देने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं। क्योंकि श्री सुनहरी लाल यादव सहायक अध्यापक नवम्बर, 1971 से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत हो गये थे। अतः उनका वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी, 1978 को देय नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद के नलकूप चालकों का वेतन मान स्थायीकरण एवं अनुसूचित जाति के नलकूप चालक

48—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में नलकूप चालकों को पुनरीक्षित वेतनमान संख्या 2483/23–सि0-8/78–40 अ0/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1978 सिंचाई अनु0–8 के अनुसार अभी तक पुनरीक्षित वेतनमान 185 से 265 नहीं दिया जा रहा ह ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तुरन्त उनकी पुनरीक्षित वेतनमान दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

शासनादेश सं0 2483/23–सि0–8/78–40 अ-74, दिनांक 27-9-78 के अनुसार कार्यवाही की जा रही ह । अब तक 26 नलकूप चालकों के वेतन निर्धारण किए जा चुके हैं। शष 280 नलकूप चालकों का वेतन निर्धारण भी तीन-चार माह की अवधि में पूर्ण हो जायगी ।

49—श्री तेजभान सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में कितने नलकूप चालक हैं जिन्हें 10 वर्षों से अधिक समय से सेवारत होने के उपरान्त अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हों, तो नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार जल्द ही ऐसे आदेश प्रसारित कर उनको स्थायी कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत नलकूप चालकों की संख्या 203 है। उन्हें स्थायी पदों के अभाव में स्थायी नहीं किया जा सका है।

50--श्री तेजभान सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में कितने नलकूप चालक अनुसूचित जाति के हैं और उनमें से कितनों को स्थायी किया गया है? क्या यह भी सही है कि आरक्षण के अनुसार उनकी पदोन्नति नहीं की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह--

नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद में अनुसूचित जाति के नलकूप चालकों की सं0 40 है स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। नलकूप चालकों में कोई भी पदोन्नति नहीं की गयी है। अतः अनुसूचित जाति के नलकूप चालकों की पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

आर० बी० एम० इण्टर कालेज, तिलहर, जिला शाहजहांपुर के कर्मचारियों की भविष्य निधि और शिकायती-पत्र

51--श्री सत्यपाल सिंह यादव --

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आर0वी0एम0 इण्टर कालेज, तिलहर (शाहजहांपुर) में कर्मचारियों की भविष्य निधि वेतन अधिनियम आने के पश्चात का माह अगस्त, 1972 से जनवरी, 1973 तक का उनके वेतन से काट ली गयी है जो उनके खातों में जमा नहीं हुई? क्या यह सही है कि इस अवधि में विद्यालय का अनुदान निलम्बित था? इस सम्बन्ध में प्रबन्ध के आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर द्वारा कई शिकायती पत्र आपको 20 दिसम्बर, 1978 को भेजे गये, किन्तु अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यो? इस धन का अपहरण क्यों किया गया?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, परन्तु काटी गयी धनराशि जमा की जा चुकी है।

जी हां। विद्यालय का अनुदान निलम्बित था।

जी हां। शिकायती पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

52--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश सिंह, विधायक शाहजहांपुर ने 24-12-78 को प्रबन्धक आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर (शाहजहांपुर) के शिकायती-पत्र के साथ कोई पत्र उन्हें प्रेषित किया है, जिसमें दिनांक 22-12-78 को विद्यालय प्रागण में उच्च अधिकारियों द्वारा की गयी ज्यादती के सम्बन्ध में शिकायत है? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही एवं जांच की गयी?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां।

विभाग द्वारा जांच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कुमायूं मण्डल में नमक की आपूर्ति

53--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जुलाई, 78 का नमक का कोटा कुमायूं मण्डल का जून, 1979 तक नहीं आया था? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और माह जुलाई, 1978 से जून, 1979 तक, इस मण्डल में नमक की क्या व्यवस्था की गयी?

श्री मलिखान सिंह--

नमक का कोटा मण्डलवार नहीं होता है बल्कि जिलेवार निर्धारित होता है। कुमायूं मण्डल के अधीन तीन जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल है। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों का जुलाई, 1978 का नमक का कोटा जून, 1979 से पूर्व ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था। नैनीताल जिले में जुलाई, 1978 के लिए निर्धारित नमक के कोटे में से अधिकांश मात्रा जून, 1979 तक प्राप्त नहीं हो सकी, जिसका प्रमुख कारण कतिपय नमक नामिनीज द्वारा आवंटन के विरुद्ध मांग-पत्र एवं वारदाना यथासमय प्रस्तुत न करना तथा सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा मांग-पत्रों का निर्धारित समय में निस्तारित न करना था।

नमक की नियमित आपूर्ति करने हेतु सांभर साल्ट लिमिटेड, नमक आयुक्त, भारत सरकार से निवेदन किया गया। जिले के जिन नमक नामिनी ने रुचि से कार्य नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। फलस्वरूप 9 नामिनीज के थोक लाइसेन्स निरस्त कर दिए गये हैं।

जुलाई, 1978 से जून, 1979 के मध्य नमक श्रोतों से प्राप्त नमक का वितरण यथाविधि किया गया।

अलीगढ़ जिले की सोमना ड्रेन का निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितताएं

54--श्री हुकमचन्द्र तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत सोमना ड्रेन का जब कृषि मन्त्री द्वारा वर्ष 1978 में निरीक्षण किया था तब घोर अनियमितता जनता की शिकायतों पर पाई गयी? तो उसमें अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, इन अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच तत्कालीन अवीक्षण अभियन्ता श्री एस0डी0 जैन ने की। जाँच में सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया। उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रगति में है। अधिशासी अभियन्ता को दोषी नहीं पाया गया।

मथुरा जिले में ड्रेनेज विभाग द्वारा फील्ड होस्टल का निर्माण

55--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ड्रेनेज विभाग द्वारा जो फील्ड होस्टल बनवाए गये हैं उनकी कितनी संख्या है और उसमें कौन-कौन किराएदार आबाद है तथा उनका क्या किराया वसूल किया जा रहा है? उक्त होस्टल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था?

श्री राजेन्द्र सिंह--

दो, एक अधिकारियों हेतु तथा एक अवर अभियन्ताओं हेतु। इस समय इन फील्ड होस्टलों में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके नाम संलग्न तालिका में दिए गये हैं।

सभी अधिकारियों से उनके वेतन का दस प्रतिशत किराए के रूप में लिया जा रहा है।

उक्त होस्टलों का निर्माण अधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं के ट्रांजिट पीरियड में कुछ समय तक ठहरने हेतु कराया गया था।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 884 पर।)

श्री भानु प्रताप सिंह, क्षेत्रीय राशन अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

56—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय राशन अधिकारी, गोरखपुर, श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध वर्ष 1977–78 व 1978-79 में आम जनता एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ अनियमितता बरतने की कितनी शिकायत शासन को प्राप्त हुई हैं और प्रशासन द्वारा आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री मलिखान सिंह—

श्री भानु प्रताप सिंह, क्षेत्रीय राशन अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन सब को जांच के आदेश दिए गये। चार शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पाई गयीं। एक न्यायालय में विचाराधीन है तथा शेष तीन पर जांच जारी है।

सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के रिक्त पद

57—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 78 में मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता का पद सृजित किया गया था किन्तु नियुक्ति न करने के कारण पद अब भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माह फरवरी, 78 से सिंचाई विभाग में 4 पद अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के, 21 पद अधीक्षण अभियन्ताओं के तथा 124 पद सहायक अभियन्ताओं के सृजित किए गए।

इनमें से निम्नलिखित 3 पद अधीक्षण अभियन्ताओं के उपयुक्त अधिकारियों के अभी चयन न होने के कारण रिक्त हैं :—

(1) अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल चतुर्थ, लखनऊ।
(2) अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल, श्रीनगर।
(3) अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल, पिथौरागढ़।

सहायक अभियन्ताओं के लोक सेवा आयोग के चयन से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 30 पद रिक्त हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार, गोरखपुर के भवन का निर्माण

58—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार, गोरखपुर के लिंक रोड तथा भवन निर्माण कराने हेतु 45,100 रु0 की धनराशि वर्ष 1973 में डिपाजिट वर्क के रूप में कार्य कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर को मिली ? इसके मिलने की तिथि क्या ह ? वर्क आर्डर कब प्राप्त हुआ तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले की चन्दन नदी एवं छोटी गण्डक नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना

59—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिचाई विभाग में गोरखपुर के चन्दन नदी की भयंकर बाढ़ पर नियन्त्रण पाने एवं छोटी गण्डक को गहरा करके सिचाई की सुविधा देने हेतु वर्ष 1977-78 में गोरखपुर मुख्यालय पर दो डिवीजनों की स्थापना की है ? यदि हां, तो उक्त डिवीजनों ने अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में बाढ़नियन्त्रण एवं छोटी गण्डक को गहरा करने की कितनी योजनाएं बनाई हैं और कितनी शासन की स्वीकृति हेतु भेजी हैं और कौन-कौन सी योजना स्वीकार हुई और उसकी प्रगति क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। दो खण्डों की स्थापना की गयी है। परन्तु छोटी गण्डक नदी को गहरा करके सिचाई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रहा ह ।

मलांव नाला एवं चन्दन नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई गयी थीं परन्तु वे उपयोगी न होने के कारण रद्द कर दी गयीं। इन दोनों खण्डों द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित की गयी ड्रेनेज योजनाएं एवं छोटी गन्डक नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य संलग्न तालिका में दर्शाए गये हैं ।

चूंकि यह सभी कार्य स्वीकृत गण्डक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं अतः अलग से उनकी स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 885 पर ।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मथुरा के श्री आर० पी० सिंह, जूनियर इंजीनियर द्वारा किया गया कार्य

60—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 पी0 सिंह, जू0 ई0 की नियुक्ति मथुरा जनपद में किस वर्ष में हुई तथा वर्ष 1977–78 व 1978–79 में उनके चार्ज में कितनी धनराशि के कार्य कराए गए ? तथा यह भी बताया जाय कि श्री आर0 पी0 सिंह, जू0 ई0 पर विभाग के और कौन-कौन से कार्य का भार सौंपा गया है ? इस समय मथुरा जनपद में कुल कितने जूनियर इंजीनियर हैं और उन्हें कितनी-कितनी धनराशि का कार्य दिया गया है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

श्री आर0 पी0 सिंह, जू0 ई0 की नियुक्ति मथुरा जनपद में वर्ष 1974 में की गयी। वर्ष 1977–78 व 78–79 में श्री सिंह के चार्ज में क्रमशः रु0 6.63 व 8.36 लाख की धनराशि का कार्य चार्ज में रहा। श्री सिंह के उक्त चार्ज के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन तथा स्टोर का रख-रखाव का चार्ज भी वर्ष 1978–79 में था। जनपद मथुरा में कुल 26 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं जिनमें से 16 प्रान्तीय खण्ड में एवं 13 अस्थायी खंड में। इन जूनियर इंजीनियरों को दिये गये कार्य का विवरण संलग्न तालिकानुसार है ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 886 पर)

जनपद कानपुर के नरवल थाने के थानाध्यक्ष द्वारा श्री छेद्दू यादव की पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरे जनपद कानपुर के थानाध्यक्ष नरवल द्वारा छेद्दू यादव की निर्मम पिटाई किये जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं--

गत 30-1-80 को जब मैं अपने निवास स्थान पर था तो मेरें निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोग मेरे पास आये और उन्होंने बताया कि श्री फूलसिह, रामचरन, रतन तथा छेद्दू को नरवल की पुलिस अकारण पकड़ कर थाना ले गयी है और थाने के सामने पेड़ में लटकाकर बुरी तरह से इन लोगों की पिटाई कर रही है तथा यह लोग मरने के करीब हैं। इस पर मैंने घटना की वास्तविक की जानकारी हेतु श्री हरिमोहन सिह यादव एम0 एल0 सी0 को साथ लेकर थाने पहुंचा। उस समय वहां सैकड़ों पुलिस दलाल तथा कुछ गांव के लोग इकट्ठे थे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे दलालों ने हम लोगों के विरुद्ध माईक से मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किये तथा वापस जाने को कहा। इतना ही नहीं हम लोगों की गाड़ी को भी तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। थाना इंचार्ज नरवल तथा वहां की पुलिस खड़े-खड़े तमाशा देखती रही। भीड़ के उग्र स्वरुप को देखकर श्री हरिमोहन सिह ने जनता के बीच खड़े होकर यह आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते घटना की सच्चाई की जानकारी करने के लिये अपना कर्त्तव्य पालन करने हम लोग यहां आये हैं। हमें किसी पक्ष से कोई मतलब नहीं। पुलिस जो भी न्याय संगत काम करेगी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब उपस्थित भीड़ शांत हुई इसके पश्चात पुलिस द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ तथा पुलिस दलालों ने थाना इंचार्ज को एक नोटों की माला पहनाई और लोकदल मुर्दाबाद थानाध्यक्ष जिन्दाबाद के नारे लगाय। इसके बाद में श्री हरिमोहन सिह जी थाने के अन्दर गये और वहां के पुलिस द्वारा पकड़े गये लोगों को देखा जिन्हें पुलिस ने मारते-मारते बेदम कर दिया था। इनके चूतड़ों की खाल उधड़ चुकी थी। एक आदमी तो मरने के करीब था जो बराबर पानी मांग रहा था पर उसे पानी नहीं दिया जा रहा था। इसी समय हमें यह भी सूचना मिली कि थाने से निकलने के बाद आप लोग भी सुरक्षित नहीं जा पायेंगे। तो हम लोगों ने इस घटना की सूचना देने के लिये उच्चाधिकारियों से बात की और थाने से चल पड़ा। ज्यों ही हम लोग गाड़ी पर जाकर फिर बैठे तो फिर ईट पत्थर चलने शुरू हो गये जिससे हमारी गाड़ी बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गयी। हम लोगों के आने के बाद थानाध्यक्ष ने चारों ही पकड़े गये लोगों की फिर जमकर पिटाई की जिससे छेद यादव की थाने में ही मृत्यु हो गयी। शेष तीन लोगों को गम्भीर हालत में जेल भेज दिया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व की उपरोक्त सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर माननीय मुख्य मत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह थानाध्यक्ष नरवल के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे और सारे ही मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे।

इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान टाउन एरिया एवं विकास क्षेत्र शंकरगढ़ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उक्त विकास क्षेत्र में हर साल जनवरी से जून तक घोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है और सरकार उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहती है। जल निगम के अभियन्तागण बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज कल तो कभी-कभी मात्र 24 घंटे में केवल एक घन्टे पानी मिल पा रहा है। पानी न देने पर भी 7 रुपये प्रतिमास कर वसूल करने की धमकी अधिकारी वर्ग दे रहे है और पुलिस फोर्स लेकर पाइप लाइन काटने की व्यवस्था कर रहे हैं। जल निगम के मू0 पू0 स्वायत्त शासन मंत्री श्री रामाधार पांडेय ने यह आदेश कर दिया था कि 3 रुपये प्रतिमास जल कर शंकरगढ़ में भी लगेगा जो अन्यत्र लगता है किन्तु इलाहाबाद जिले में इस जल निगम के एक स0अ0एस0पी0 शर्मा कोई हैं उनका कहना है कि मंत्री तो सन्त्री हो जाते है, मैं तो 7 रुपये वसूल करूंगा पानी मिले या न मिले। मान्यवर, एस0 पी0 शर्मा, स0 अ0 जल निगम का व्यवहार आम जनता के साथ बड़ा ही अभद्रपूर्ण है और वह अभियन्ता पूर्ण तानाशाही प्रवृत्ति के मालूम पड़ते हैं। हमारे शंकर गढ़ के कार्यकर्त्ता जब कभी पेयजल की समस्या कहने जाते हैं तो वह उन सब की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते और उन कार्यकर्त्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अभी ही तीन दिन पहले शंकरगढ़ कस्बे में जाकर वहां के सभी लोगों की पाइप लाइन कटवाने को तैयार थे किन्तु आम जनता ने संगठित होकर आन्दोलनात्मक रूप धारण कर लिया जिससे वह पुनः वापस चले गये।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि जनहित सें वहां का पेय जल कर 7 रु 0 के बजाय 3 रु0 प्रतिमास कर दिया जाय और पेयजल समस्या का समाधान करे ताकि पेय जल संकट दूर रहा।

एटा जिले के थाना जैथरा की पुलिस द्वारा डाकुओं को पनाह देने तथा डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अलीगंज विधान सभा क्षेत्र के जैथरा थानान्तर्गत जैथरा पुलिस की मौजूदगी में पड़ी डकैती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, दिनांक 3-2-80 को लगभग 3 बजे दिन के लगभग 20 बदमाशों ने रामसनेही जोगी के घर में घुस कर आग लगा दी और लगभग 5,000 का कीमती जेवल, नकदी, कपड़े अन्य सामान लूटकर ले गये। मान्यवर, सबसे आंश्चर्य की बात है कि एक सब इन्सपेक्टर विजय बहादुर सिंह मय चार सिपाहियों के मौके पर खड़ा रहा और उल्टे घर वालों को डाटता रहा। रामसनेही को बदमाशों ने पकड़ लिया था। उसकी औरत थाने में भागी। लेकिन उसको वहां फटकार दिया गया तो वह सीधी एटा गई और एस0 पी0 से मिली। एस0 पी0 फौरन जैथरा आये और उसी मकान में अवैध रूप से बठे लगभग 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। शेषलोग भागने में सफल हो गये।

मान्यवर, यही नहीं दिनाँक 1-2-80 को दिन दहाड़े बाजार से पुत्तू लाल दुकानदार का नाती केवल 6 वर्ष को बदमाश उठा ले गये। पुलिस को सही मुलजिमों का पता चल गया और मुलजिम पकड़ कर भी आये। थाने में दो दिन बाद राजनीतिक दबाव के कारण छोड़ दिये गये।

मान्यवर, क्षेत्र थानान्तर्गत लगभग 10 भीषण डकैतियों पड़ चुकी हैं, जिनमें प्रत्येक में एक लाख रुपये से कम कीमती की डकैती नहीं पड़ी है। जैथरा टाउन एरिया में भीषण आतंक व्याप्त हो गया है और क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण जनता शहरों की ओर भाग रही है।

[श्री गेंदा लाल गुप्त]

मान्यवर, मैं कई बार इस विधान सभा में शासन का ध्यान क्षेत्र की गुन्डागर्दी तथा डकैतों के आतंक के बारे में दिला चुका हूं। शासन को मेरे जनपद के सभी विधायकों ने तथा संसद् सदस्यों ने मानीय उप-मुख्य मंत्री श्री राम नरेश जी यादव के माध्यम से कुछ विशेष पुलिस व्यवस्था जिस में केवल एक डी० एस० पी० मय फोर्स के तथा जीप के इस अपराधिक क्षेत्र के लिए डाकू उन्मूलन हेतु मांग की गयी थी। लेकिन वह भी ठुकरा दी गई है।

मैं शासन से आपके माध्यम से पुनः जोरदार मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में फैले डकैतों के आतंक को शीघ्र समाप्त किया जाय और जैथरा थाने के पुलिस को उसकी अक्षमता तथा बदमाशों को पनाह देने सम्बन्धी कार्यों के लिए शीघ्रातिशीघ्र दंडित किया जाय।

कानपुर के टैनरी मजदूरों में व्यापक असंतोष तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, कानपुर चमड़ा उद्योग के मामले में एशियांस का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहां से करोड़ों रुपया का चमड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता है। किन्तु इस उद्योग के मजदूर बिलकुल नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन मजदूरों को रहने के लिये क्वार्टर नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, दवाइयों के लिए बीमा अस्पताल की समुचित सुविधा नहीं है। मजदूरों की कुल संख्या में से सत्तर प्रतिशत अस्थायी है। अर्थात् दैनिक वेतन भोगी है। श्रम विभाग भी इनकी दयनीय दशा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है। अतः माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से टैनरी मजदूरी के लिए निम्नलिखित सुविधायें देने की शासन से मांग करता हूं--

1--समस्त चमड़ा उद्योग में लगे टैनरी मजदूरों के लिए वेज बोर्ड बनाया जाय तथा बोर्ड की अनुशंसायें आने तक 50 रु० प्रतिमास अंतरिम सहायता देने की व्यवस्था करें।

2--टैफको तथा टैक्सटाइल मजदूरों की भांति सभी टैनरी मजदूरी को भी कानपुर के मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाय।

3--टैनरी मजदूरों को भी क्वार्टर भत्ता, समुचित चिकित्सा सुविधा तथा साल में एक बार टैनरी मालिकों की ओर से वर्दी दी जाय।

4--टैनरियों में मालिकों द्वारा सीधी भर्ती बंद करके भर्ती रोजगार दफ्तर के माध्यन से की जाय।

5--जिन मजदूरों ने किसी टैनरी में 240 दिन काम कर लिया है, उन्हें स्थायी घोषित कर दिया जाय।

6--टैनरी मजदूरों के लिए भी अन्य औद्योगिक मजदूरों की भांति औद्योगिक विवाद अधिनियम कड़ाई से लागू किया जाय।

इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील मे जमुना नदी पर स्वीकृत लिफ्ट माइनर का कार्य शुरु किये जाने की मांग के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, उ० प्र०, इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के दक्षिण में पश्चिम से पूरब को जमुना नदी बहती है। उक्त जमुना नदी से उत्तर लगभग 10 कि० मी० चौड़ा सम्पूर्ण क्षेत्र असिंचित है। इस असिंचित क्षेत्र की सिंचित बनाने हेतु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील में जमुना नदी पर स्वीकृत लिफ्ट माइनर का कार्य शुरू किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अधिशासी अभियन्ता राम गंगा नहर–इलाहाबाद एवं परगनाधिकारी मंझनपुर के भ्रमण करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जमुना नदी की लिफ्ट किशुनपुर से एक माइनर लिफ्ट उद्गम से ढाई किलो मीटर पूरब से दक्षिण की ओर लगभग 1 मील लम्बी निकाल कर पुरानी माइनर शाहपुर से मिला दी जाय । किन्तु अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ । इसी तहसील के पूर्व ग्राम गुरौली के पास अगाध पानी जमुना नदी में है । जिसको लिफ्ट करके रजबहा बेरौंचा में गिराकर, सिंचाई व्यवस्था करने का भी निर्णय किया गया था । किन्तु अब तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई और मैं इलाहाबाद, फतेहपुर तथा लखनऊ के सम्बन्धित कार्यालयों के चक्कर लगाता ही रहा । अतएव आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त दोनों सिंचाई साधनों को तुरन्त लागू करायें, ताकि सूखापीड़ितों को राहत कार्य मिले और भविष्य का निर्णय हो। उक्त सर्वे का कार्यक्रम माह अक्तूबर, 1979 को पूरा हो चुका है ।

बस्ती जनपद में कटहना -महरथा मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा टेस्टवर्क में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद की नवगढ़ तहसील के अन्तर्गत कटहना–महरथा मार्ग पर मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराया गया था । इससे सम्बन्धित मजदूरों का लगभग 50,000 रुपया का भुगतान आज तक नहीं हुआ है । भयंकर सूख से परेशान मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहें हैं, लेकिन उनकी बकाया मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है । इस बारे में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना विगत सत्र में आपको दिया था, लेकिन आज तक मुझे आपके माध्यम से या प्राक्कलन समिति से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । सम्बन्धित अधिकारीगण इस पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । यहां तक कि पत्रावली भी गायब कर दी गयी है । मजदूरों में काफी रोष है ।

अतः आपसे निवेदन है कि मजदूरों को शीघ्र उनकी मजदूरी का भुगतान कराने की कृपा करें क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के समय मजदूर मुझे स्थान-स्थान पर घेरकर अपने भुगतान के लिये दबावपूर्ण अनुरोध करते हैं तथा उत्तेजित हो रहें हैं । यदि मजदूरों ने उत्तेजित होकर कोई कार्यवाही किया तो पूर्ण दायित्व सरकार पर होगा ।

बाराबंकी की हैदरगढ तहसील के कतिपय ग्रामों में ओले से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, दिनाँक 4–2–80 दिन करीब 4 बजे लगभग भीषण दैविक ओलों के प्रकोप से हैदरगढ़ तहसील के 43 ग्रामों में ओला गिरने से गेहूं, अरहर, चना, पोस्ता की सारी फसल चौपट हो गयी है । यही नहीं पेड़ों की पत्तियां भी गिर गयी हैं । परगना हैदरगढ़ के मौलावाद, मझांर, बेहटा, शाहपुर, सिदवी, लखौरा, दौलतपुर, दोहरी,करमेमऊ, मितरी, घौरहरा, नसीरपुर, कोठी, सादुल्लापुर तथा अन्य 43 ग्रामों की लहराती हुई फसल ओला गिरने से लाखों रुपये की क्षति जनता को उठानी पड़ी । इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन एवं प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि इस घटना की जाँच करवा कर ओले से पीड़ित किसानों की लगान व सिंचाई माफ करनें तथा किसानों को आर्थिक अनुदान देकर सहायता करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वी क्षण नहीं किया ।

बस्ती जनपद में सूखा पीड़ित किसानों को खाद म दी गई छूट में कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि खाद की छूट शासन ने भीषण सूखे से पीड़ित किसानों के लिए स्वीकृत की थी उसकी बस्ती जनपद में अवहेलना की जा रही है। शासन नें 28–11–79 को रेडियोग्राम भेज कर यह निदेश दिया था कि सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत, लघु को 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 50 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 25 प्रतिशत व 20 प्रतिशत उसके जोत के आधार पर छूट दी जायगी और इस रेडियोग्राम की पुष्टि शासन ने विस्तृत शासनादेश दिनाँक 28–11–79 द्वारा किया साथ ही यह भी निर्देशित किया कि यह छूट 8–11–79 से लागू मानी जायेगी। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ किसानों के बारे में कृषि विभाग बस्ती का ध्यान आकृष्ट किया। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से यह माँग करता हूं कि छूट के मामले तथा इनके भ्रष्टाचार और लूट खसोट की यथोचित ढंग से जांच कराई जाय। मुझ यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि यह सीड स्टोर इंचार्ज तथा परिक्षेत्र अधीक्षकों को डरा धमका कर नाजायज़ धन वसूल करके नैपाल देश की यात्रा करते हैं।

विगत 18–19 जनवरी को श्री गयापाल सिंह नौगढ़ में स्टाफ मीटिंग करने के बाद लुम्बनी बिना शासन की अनुमति के गये। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन द्वारा मितव्ययता पर जोर दने के बावजूद भी यह जीप से लखनऊ आत हैं, जिससे काफी पेट्रोल का व्यय एवं धन का अपव्यय होता है तथा इन्होंने विकास क्षत्र इटवा में खाद के सैम्पुल भरन की एक फाइल जिसमें यह दोषी थ इस वजह से कि यह दंडित न हो जायं इन्होंने गायब करा दी है। मान्यवर, इनकी अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार से पूरे बस्ती जनपद की जनता अत्यधिक त्रस्त है। अतः अनुरोध है कि तत्काल शासन को निर्देश दें कि इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर समस्त कृषकों को छूट दिलाई जाये। इनका जनपद से अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाय। इनको परियोजना अधिकारी का चार्ज लेने से रोकने का आदेश निर्गत किया जाय तथा बस्ती जनपद में किसी परियोजना अधिकारी की नियुक्ति अविलम्ब की जाय।

बाराबंकी जनपद के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान अपने क्षेत्र में हुए भीषण ओला वृष्टि की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, 4 फरवरी सोमवार को जब लखनऊ में पानी बरस रहा था तो मरे क्षेत्र के अधिकाँश भाग म ओला वृष्टि हो रही थी। प्रत्यक्ष दर्शी के अनुसार ओलों का वजन 500 ग्राम तक था उससे आदमी और जानवर तक मरने की सूचना मिली है। मेरे क्षत्र के कोठी मदरखपुर, बुद्धनई, बरई खेरा, कुसुम्भी, मल्लपुर खरीका, सरसा, खुसेहती गाँव से लेकर राम सनेही घाट तक सैकड़ों गाँव की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी। पेड़ों की पत्तियाँ और मकानों के छप्पर बिल्कुल नष्ट हो गये। खरीफ की फसल सूखा और रबी की फसल ओला में नष्ट हो गयी। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार से चाहता हूं कि तुरन्त जनपद बाराबंकी के ओले वृष्टि का गाँव गाँव से मूल्यांकन कराकर लोगों को खाना, कपड़ा आदि आवश्यक वस्तुएं तथा जानवरों के चारा आदि की व्यवस्था की जाय। साथ ही लोगों के परिवारों को पलने के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीलीभीत जिले के जिला विकास अधिकारी द्वारा श्री श्याम लाल रोड में लाखों रुपये कें घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

पीलीभीत जिले के जिला विकास अधिकारी द्वारा श्री श्याम लाल रोड में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुनीन्द्रपाल सिह (जिला पीलीभीत)—

महोदय, जिला पीलीभीत के जिला विकास अधिकारी ने श्री श्याम लाल रोड में अन्त्योदय तथा स्थानीय विकास योजना क बीसों लाख रूपय का घोटाला कर रखा है और जिला परिषद पीलीभीत की परामर्शदात्री समिति द्वारा पारित प्रस्तावों की अवहेलना करके केवल सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्वयं अध्यक्षता करके सारे धन को मनमाने ढग से खर्च करने का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है। और गैर सरकारी सदस्यों को कोई सूचना नहीं दी। दृष्टान्त स्वरूप दिनाँक 20-11-79 के प्रस्ताव संख्या 3(1) की स्पष्ट अवहेलना करते हुए दिनाँक 11-12-79 को केवल सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर और स्वयं अध्यक्षता करके उपरोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध अवैधानिक रूप से अन्त्योदय के 5,67,200 और स्थानीय विकास योजना के 7,90,700 रुपयों के खर्च करने की मनमानी स्वीकृति कर ली है। साथ ही साथ इसी जनपद के ग्राम मूरा सरैदा के प्रधान को मिलाकर फर्जी तौर पर तालाब बनाने के नाम पर 40 हजार रुपयों को हड़प लिया है। और तालाब बनाने के लिए ग्राम सभा ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है जिसके विरुद्ध जिला पंचायत अधिकारी से सम्बन्धित थाना में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करा दी है। इस प्रकार पीलीभीत जनपद के बीसों लाख रुपयों का घोटाला जिला विकास अधिकारी ने किया है। इस सम्बन्ध में शासन को कई बार अवगत कराया गया किन्तु उक्त विभाग में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पूरे जिले में क्षोभ तथा असंतोष का वातावरण व्याप्त है और सारा विकास कार्य ठप है।

अत: तत्काल उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए माननीय सदन के माध्यम से शासन को अवगत करा रहा हूं।

सेतु निर्माण खण्ड, कानपुर के कर्मचारियों को राष्ट्रीय मार्ग निर्माण में लगाये जाने से कर्मचारियों में विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खंड उरई जो राष्ट्रीय मार्गों को बनाते एवं देखरेख करते हैं। अस्थाई सेतु खंड के अधिशासी अभियन्ता एवं वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से मिल कर जो कालपी यमुना का एप्रोच मार्ग था उसे सेतु निर्माण खंड कानपुर को दे दिया है जिससे वहाँ पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया है, क्योंकि सेतु निर्माण के कमचारी राष्ट्रीय मार्ग के कार्य में लगा दिये गये हैं जिससे जो कर्मचारी उरई खंड में थ, कानपुर को दिये जाने से स्थिति भयंकर हो गयी है। सारा निर्माण कार्य ठप हो गया है। जो सड़कें बनायी जा रही हैं उसमें दोनों खंडों के अधिकारी झगड़ा कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का फिजूल खर्च किया जा रहा है। उससे पक्षपात करके सेतु खंड ने अधूरे कार्यों का पेमेंट कर दिया है जबकि कार्य नहीं होता है। एक अधिशासी अभियन्ता जो यहीं कानपुर प्रान्तीय खंड में है उन्हें पदोन्नति देकर इसी स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता बना दिया गया है जिसके खिलाफ बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप थे तथा एन्टी करप्शन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मौजी लाल कुरील]

द्वारा जांच कराये जा रहे हैं। जांच अभी पूरी नहीं हो पायी थी उसी स्थान पर पदोन्नत करने से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अनुरोध है कि पदोन्नत किये गये अधीक्षण अभियन्ता को हटा कर ऐंटीकरप्शन की जांच पूरी करायी जाय तथा कालपी एप्रोच का कार्य राष्ट्रीय मार्ग खंड, उरई को वापस कराया जाय ताकि निर्माण कार्यों में बिलम्ब न हो तथा स्थिति सामान्य बनायी जा सके।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

लोक हित में वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर विचार विमर्श। श्रीमन्, आज सम्पूर्ण देश व प्रदेश का जन मानस वैद्यलिंगम रिपोर्ट में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सम्बन्धियों के भ्रष्टाचार की जानकारी से विक्षुब्ध हो उठा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया था।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 301 के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' द्वारा कुछ पढ़ते रहने तथा कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह तरीका ठीक नहीं है। इस समय कई माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

आहपुर कोठी, जिला लखीमपुर निवासी श्री इन्द्र प्रताप सिंह यादव एडवोकेट की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन्, आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिनांक 21-1-80 को सवा सात बजे श्री इन्द्र प्रताप सिंह यादव एडवोकेट निवासी .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप उस समय थे नहीं।

श्री गुलाब सेहरा--

नियम 301 की सूचना है। जो आपने स्वीकार की है। बगैर पढ़े आपने स्वीकार कर लिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़ दीजिये।

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा--

शाहपुर कोठी जिला लखीमपुर में उनके दफ्तर के अन्दर जब वह इन्द्र प्रताप सिंह जूनियर एडवोकेट व अवतार सिंह व बाबू राम तिवारी से बातचीत कर रहे थे तो गोली मार कर हत्या कर दी गयी।

इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली लखीमपुर खीरी में उसी दिन 19-15 बजे शासन को कर दी गयी है परन्तु आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जबकि अभियुक्त शहर में सरे आम घूम रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से माँग है कि उपरोक्त घटना की जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाय ताकि अभियुक्त पकड़े जा सकें।

नारायणपुर काण्ड के सम्बन्ध में श्री संजय गांधी द्वारा दिये गये बयान पर औचित्य का प्रश्न

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

औचित्य का प्रश्न है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

नियम 301 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी। बिला इजाजत आप बोल रहे हैं।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, 4 फरवरी को मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री संजय गाँधी के विरुद्ध दिया था और वह आपके विचाराधीन है और उसमें केवल एक ही प्रश्न विचाराधीन था कि जब इस सदन का यह निर्णय हुआ था कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो....

श्री उपाध्यक्ष--

उसके सम्बन्ध में फैसला हो चुका है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

श्रीमन्, मुझे सुन तो लें। जब यह मसला आपके विचाराधीन है और आपने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया तो क्या उस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति जो सदन के बाहर का हो, उसके सम्बन्ध में चर्चा कर सकता है? मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की एक मिसाल बता दूं कि हाउस आफ लार्ड्स में या हाउस आफ कामन्स में यह परिपाटी है कि जब कोई मसला लोक सभा या राज्य सभा हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स में विचाराधीन हो तो उस समय हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स को वे ही अधिकार होते हैं जो कि एक न्यायालय के होते हैं। मैं किसी प्रश्न के गुण और दोष पर कमेन्ट नहीं करता। पूर्व इसके कि आप उस पर व्यवस्था देंगे माननीय संजय गाँधी ने जो कहा, उसका समाचार पत्र भी मैंने आपको दिया, कि जुडिशियल इन्क्वायरी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वे उसको नहीं चाहते और इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि न्यायाधीश ने वहाँ के लोगों की जमानतों को खारिज कर दिया था। मान्यवर, यह किसी दल और पार्टी का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट ठीक कर रही है या नहीं यह हमारा काम नहीं है लेकिन यह सदन जो निर्णय करता है उसके हिस्सेदार हम सब है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिह तोमर]

मान्यवर, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज 113 पर लिखा है कि—

"As was said in the Commons in "1953", This court for its dignity and highness hath privilege, as all other courts have. And, as it is above all other courts, so it hath privilege above all other courts; and as it hath privilege and jurisdiction too, so hath it also Coercion and Compulsion; otherwise the jurisdiction is nothing in a court, if it hath no Coercion".

यह न्यायालय अपनी गरिमा और महानता में विशेषाधिकारों के बारे में दूसरे न्यायालयों से ऊपर है और विशेषाधिकारों को लागू करने में यह अधिकार या किसी भी दंड का प्रयोग करेगा। आपके सामने जो प्रश्न विचाराधीन है जिस पर आपकी रूलिंग भी रिजर्व है तो इस बात से है कि माननीय संजय जी ने हाउस का कन्टेम्प्ट किया है और वे रिपोर्टेड कन्टेम्प्ट कर रहे है। इस पर, श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिस मामले में आपका निर्णय रिजर्व है उस पर सदन के बाहर का आदमी कोई कमेन्ट कर सकता है ?

श्री मैनेजर सिह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है, वह घोषणा सदन का कोई निर्णय नहीं है। यदि सदन का कोई संकल्प होता और उस संकल्प के संबंध में श्री संजय गाँधी टीका करते तो उनके खिलाफ यह प्रश्न बनता और वे अपराधी होते। इसलिये यह सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अखबारी खबर के ऊपर यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, इसलिये श्री सोहन बीर सिह तोमर के प्रश्न को मैं अस्वीकृत करता हूं। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) मैं इस पर अपना निर्णय दे चुका हूं, अब इस विषय पर माननीय सदस्य कृपया न बोलें।

श्री बाबू राम शुक्ल, सदस्य, विधान सभा को गोली मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मैं अपनी अनुज्ञा से एक गम्भीर विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, दिनाँक 4 और 5—व 6 की रात को मुझे टेलीफोन पर धमकी दी गयी है कि अगर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यालय लखनऊ लाने के आन्दोलन के खिलाफ जो कार्यवाही आप कर रहे है उससे अपने को अलग नहीं करतें तो आपको गोली मार दी जायगी। एक पर्चा भी छपा हुआ बटा है जिस पर कोई प्रेस लाइन नहीं छपी है जिसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों से 50 हजार रुपये रिश्वत के ले लिये हैं इसलिये कि मैं उनके साथ हूं कि यह बोर्ड कानपुर में ही रहे लखनऊ न लाया जाय। यह पर्चा युवक काँग्रेस की ओर से बटा है। मैंने 29 तारीख को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के समय भी इसे कहा था कि खादी ग्रामोद्योग विभाग के प्रशासक की रुचि इसलिये उसे यहाँ लाने में है क्योंकि उनको वहाँ जाना पड़ता है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप नया प्रश्न उठा रहे है । आप कृपया बैठें । जो आपको धमकी दी गयी है इसके लिये आपके पत्र को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा ताकि वे इस मामले में आवश्यक छानबीन कर लें और उचित कार्यवाही करें ।

श्री बाबू राम शुक्ल--

युवक कांग्रेस के रामेश्वर नाथ मिश्रा मुझे धमकी दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । यह आप अलग से प्रश्न उठा रहे हैं । अब मुझे एक सूचना देनी है, सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रयास

श्री उपाध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने विधान सभा में अपने दल परिवर्तन की सूचना दिया है:--

(1) श्री मन्सूर अली, शाहजहांपुर जनता पार्टी (बनारसी दास) से निर्दलीय .....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, जनता पार्टी एक अलग दल है और 'लोक दल' एक अलग दल है । इसको मान्यवर, शुद्ध कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं शाम को सूचना दूंगा । इसमें दो एक जगह गलती है । यह सूचना मैं शाम को 4 बजे दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे यह आज्ञा चाहता था कि आप हमको यह प्रस्ताव रखने की अनुमति दें कि इस देश में बड़े पैमाने पर दलबदल और क्रय-विक्रय शुरू होगया है। मान्यवर, एक प्रस्ताव भेजा गया था कि दलबदल विधेयक केन्द्र में पारित हो, मान्यवर, वह प्रस्ताव ठीक था, आपने उसको स्थगित कर दिया है, तो मैं मान्यवर, चाहता हूं कि दल बदल का जो कोढ़ है, इसको गुलाब सेहरा जी के ही नाम से चाहे ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसको फिर से देख लें तब मेरे पास भेजे, तब मैं विचार कर लूंगा ।

मतदाता सूची में संशोधन के उपरान्त ही चुनाव कराये जाने सबन्धी प्रस्ताव लिये जाने की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, देवकुमार जी, शतरुद्र प्रकाश जी, हरिश्चन्द्र जी, राम आसरे वर्मा जी ने आप से आज्ञा माँगी है....

श्री उपाध्यक्ष--

किसके बारे में आप बात कर रहे हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, एक चुनाव आयोग को संस्तुति करना है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को पूर्णतया संशोधित किये जाने के उपरान्त किसी प्रकार का चुनाव रखा जाय। मान्यवर, इस संबंध में नियम निलंबित किया जाय और प्रस्ताव आज ही रखा जाय। जब तक नियम निलंबित नहीं होते, तब तक हमारा प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

आज जो प्रस्ताव आपने भेजा है उसमें आपने संस्तुति की बात कही है। मैं उसके ऊपर विचार कर रहा हूं। अगर वह ग्राह्य होगा तो उसको आज ही ले लेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मन्यवर, कल जो आपने ग्राह्य किया था.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, यहाँ पर लगभग सभी सदस्य इस संबंध में बोले है, चाहें वह काँग्रेस (आई) के लोग हों या अन्य दलों के लोग रहे हों, तो यह विचार यहाँ प्रदर्शित हुआ है कि जो वोटर-लिस्ट (मतदाता सूची) है, उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ थीं, तो इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो आ रहा है, इसमें मेरा ऐसा ख्याल ह कि इसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्ताव ले लिया जाय और इसमें मेरा ख्याल है कि यूनानीमिटी है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में विचार कर लूंगा। ये जो आज के लिये प्रस्ताव है, बाद में लिये जायेंगे। यह प्रस्ताव जो विधान सभा भंग किये जान के औचित्य के सम्बन्ध में है, उसको क्योंकि सदन के ज्यादा सदस्यों का मत है कि इसको आज लिया जाय, तो इस पर विचार करके मैं निर्णय दे दूंगा और 4 बजे के बाद सदन क कार्य के उपरान्त इन प्रस्तावों को फि र ल लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी कह रहें हैं, तो इसको ले लिया जाय।

श्री अजीत सिह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, प्रस्ताव के ऊपर जो आपने कहा है, उसके ऊपर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

(श्री अजीत सिह सेठी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था हो गयी है, तब इनको कैसे मौका दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैने उनको सुनने के लिये बुला लिया है।

*श्री अजीत सिंह सेठी---

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव मेरे आदरणीय सदस्य श्री श्यामधर मिश्र जी ने रखा और आपने कह दिया कि 4 बजे उसको हम सोच लेंगे। मेरा कहना है कि क्या कोई प्रस्ताव भारत के संविधान के आर्टिकिल 356, 277 ए, 278 के आधार पर जिस पर भारत सरकार को सोचने का अधिकार है इस विधान सभा में विचार कर सकते हैं? जिस पर हमारी गवर्नमेंट आफ इण्डिया को शक्ति है सोचने की उस पर एसेम्बली में विचार करना, मैं समझता हूं, रुकावट डालना है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह पूरा प्रस्ताव ही गलत है, संविधान के आधार पर भारत सरकार को इस विषय पर सोचने का अधिकार है।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी सहमति दी और मान्यवर, आपने अपनी सम्मति जाहिर कर दी तो इस समय मा० सेठी को सुनने का क्या औचित्य है? इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने दूसरे प्रस्ताव के ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया, उनको मैं सुन सकता हूं। मैंने तो यह कहा कि निर्णय दूंगा, इसके पहले अगर मैं, मुनासिब समझता हूं, तो सुन सकता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

श्री सेठी को आपने सुन लिया क्या और किसी को नहीं सुनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय किसी को नहीं सुनूंगा, अब मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह---

एक विषय की ग्राह्यता पर आपने एक सदस्य को सुना। इसी पर दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो जाय तो कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री श्यामधर मिश्र जी के प्रस्ताव पर ग्राह्यता के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा और दूसरी तरफ से आपत्ति आ गयी। तो उनको आपत्ति करने का हक है, अब और किसी को सुनने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। यह प्रस्ताव आ जायेगा 4 बजे, अगर स्वीकार हो जाता है।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के उत्तर प्रदेश सहकारी संघ मूल्य संरक्षण नीति के अन्तर्गत मार्केटिंग वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय पूल के लिये सहकारी संघ द्वारा गेहूं की खरीदारी से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)

मैं, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1979–80) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यक) 1973–74 तथा 1974–75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से संबंधित अनुच्छेदों पर आधारित और निगम के लेखों आदि के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव तिथि की सूचना तथा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 8 (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के निलम्बन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, यह प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले एक सूचना सदन में देना चाहता हूं। मैंने जो परसों कहा था जब श्री मैनेजर सिंह और श्री राम आसरे वर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया था कि अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है। तो मैंने उन्हें उस वक्त कुछ सूचना दी थी और अब हमारी तरफ से यह निर्णय हुआ है कि महामहिम राज्यपाल से हमने यह सिफारिश कर दी है कि 8 तारीख को यहां अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाय। चूंकि मैंने 8 तारीख की सूचना भेज दी है और इसकी सिफारिश भी कर दी है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि 23 तारीख का जब से अधिवेशन शुरू हुआ है और 7 तारीख के बीच के समय में 15 दिन नियमानुसार पूरे हो जाते हैं। अब एक दिन का फर्क हो रहा है। इसी फर्क को हटाने की दृष्टि से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रस्ताव यह है कि यह सदन 4 सितम्बर, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तु के खण्ड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करते हुये एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, वर्तमान अधिवेशन में ही ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस संम्बंन्ध में नियत करें, हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन 4 सितम्बर, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1)

---

†छापा नहीं गया।

के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करते हुये एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, वर्तमान अधिवेशन में ही ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस संबंध में नियत करें हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई कथित अनियमितताओं से सिचाई कार्य में बाधा के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिचाई राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)---

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में कहा गया है कि डाल सिचाई खण्ड, जिला कानपुर में 16 नलकूप चालकों के अभाव में बन्द हैं। इस संबंध में स्थिति यह है कि उक्त खण्ड में केवल तीन नलकूप ही ऐसे हैं जिन पर स्वतन्त्र रूप से चालक नियुक्त नहीं है और जो दोहरे कार्यभार के अन्तर्गत चल रहे हैं। इस खण्ड में नलकूपों की कुल संख्या 185 है जिनमें से 13 नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक दोषों के कारण बन्द है। इनमें से 12 नलकूप 1 जनवरी, 1980 से ही बन्द हुये हैं। चालकों के अभाव में इस खण्ड का कोई भी नलकूप बन्द नहीं है। वर्तमान रबी फसल में इस खण्ड के राजकीय नलकूपों से 9680 एकड़ सिचाई का लक्ष्य था जिसके विपरीत 1 अक्टूबर 1979 से 25 जनवरी, 1980 तक 10900 एकड़ सिचाई की जा चुकी है।

जिला नलकूप चयन समिति द्वारा ग्राम पिचौरा एवं खारिका में नलकूपों के निर्माण का निर्णय मार्च, 1979 में लिया गया था। स्थानीय सर्वे के पश्चात् तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्राम पिचौरा में नलकूप के छिद्रण हेतु स्थल जून, 1979 में तय किया गया था। ग्राम खरिका में स्थानीय सर्वेक्षण के पश्चात् स्थल के चयन वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा नवम्बर, 1979 में किया गया था। इन ग्रामों में नलकूपों छिद्रण में थोड़ा बिलम्ब हुआ। पिचौरा ग्राम में नवम्बर, 1979 में तथा खरिका ग्राम में दिसम्बर, 1979 में छिद्रण हुआ।

नलकूप निर्माण हेतु ग्राम भूइसराय तथा सलारपुर का चयन जिला चयन समिति द्वारा नवम्बर, 1979 में किया गया था। स्थानीय सर्वे के उपरान्त ग्राम भूइसराय में नलकूप छिद्रण हेतु स्थल का निर्णय जनवरी, 1980 में किया गया। इस ग्राम में भी छिद्रण किया जा चुका है।

दिनांक 27 जनवरी, 1980 को अधिशासी अभियन्ता विधायक महोदय के साथ ग्राम सलारपुर में स्थानीय निरीक्षण के लिये गये। निरीक्षण में कुछ समय तक अधिशासी अभियन्ता के साथ रहने के पश्चात् विधायक महोदय एक स्थान पर रुक गये। अधिशासी अभियन्ता ने पूरे क्षेत्र के निरीक्षण के उपरान्त यह पाया कि इस ग्राम में समतल क्षेत्र कम होने के कारण नलकूप का निर्माण उपयुक्त न होगा। जब क्षेत्र में देखने के पश्चात वापस चलने के लिये विधायक महोदय को बुलाने के लिये खबर भेजी गई तो विधायक महोदय ने कहलवाया कि वे बाद में आयेंगे। अतः यह समझकर कि विधायक महोदय को वहां और कोई कार्य होगा, अधिशासी अभियन्ता अपनी जीप से वापस चले आये। अधिशासी अभियन्ता ने स्पष्ट किया है कि माननीय विधायक की अवमानना करने की उनकी मंशा नहीं थी और यदि अनजाने में विधायक महोदय को कोई कष्ट हुआ तो उसके लिये उन्हें खेद है। अधिशासी अभियन्ता इसके पूर्व भी माननीय विधायक के साथ इस क्षेत्र में दौरे कर चुके हैं। इन अवसरों पर माननीय विधायक से उनका व्यवहार सम्मानपूर्ण रहा।

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने ग्राम सलारपुर का निरीक्षण दिनांक 31 जनवरी, 1980 को किया। उन्होंने सूचित किया है कि इस ग्राम का अधिकतर क्षेत्र ऊंचा नीचा है एवं एक साथ 250 एकड़ समतल क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं है। अतएव इस क्षेत्र में नलकूप का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के निर्णय से अधीक्षण अभियन्ता भी सहमत हैं।

अधिशासी अभियन्ता ने इस बात से इन्कार किया है कि किसी भी ग्राम में राजकीय नलकूप लगाने हेतु रुपयों की मांग की गयी या रुपया लिया गया। अधीक्षण अभियन्ता ने सूचित किया है कि ग्राम सलारपुर में उनके निरीक्षण के समय इस आरोप के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में यह कहा गया है कि अधिशासी अभियन्ता ने चतुर्थ उप खण्ड की एम0 बी0 384 के आधार पर श्री सिद्ध नाथ शुक्ल के नाम 1872 रु0 का फर्जी भुगतान किया। वास्तव में माप पुस्तिका 384 के स्थान पर माप पस्तिका 385 द्वारा श्री सिद्ध नाथ को 1872 रु0 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान जिन नलकूपों के कार्य से सम्बन्धित है उनके चालकों ने लिखित रूप से प्रमाणित किया ह कि कार्य वास्तव में कराया गया है।

ईटों की सप्लाई के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि नलकूप संख्या 20 बी0 पी0 जी0 पर एक लाख ईट लिये जाने की बात सही नहीं है। इस नलकूप पर पचास हजार ईंट ही ली गई है जिनका इस नलकूप के रेगुलेटर पर प्रस्तावित मरम्मत के कार्य में तथा पास के नलकूप संख्या 45 बी0 पी0जी0 पर हुआ, साइफन इत्यादि बनाने में उपयोग किया जायेगा। नलकूप संख्या 38 बी0 पी0 जी0 पर ली गई ईट प्रथम श्रेणी की है। नलकूप संख्या 37 बी0 पी0 जी0 पर ली गई ईटों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। ईटों की खराबी की जांच करवा ली जायेगी और अगर ईटें खराब पाई गई तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। बहुत लम्बा वक्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप बैठें।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर अगर आपकी आज्ञा होगी वरना मैं बैठ जाऊंगा। जो इन्होंने रिपोर्ट सुनायी तो जो शिकायत आयी जिस पर एक वक्तव्य देना पड़ा उसमें ईटों की जाँच अभी तक क्यों नहीं हुई। दूसरी यह कि जो 1872 रुपये का अपव्यय हुआ है उसमें कहा गया है कि इसके बारे में आपरेटर से प्रमाण-पत्र ले लिया गया है। तो क्या गाँव के प्रधान से, किसानों से पूछा गया या कोई वरिष्ठ इंजीनियर न जाकर देखा कि मौके पर नाली की सफाई वगैरह कर दी गई या नहीं या केवल आपरेटर के प्रमाण-पत्र से ही आप सन्तुष्ट हैं?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

यह जो पहला प्रश्न था 1872 रुपये के संबंध में यह आपरेटर से लिया गया है। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे.....

श्री मैनेजर सिंह ––

चोर-चोर मौसेरे भाई ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष––

बहस न करें । आप उसका जवाब दे दें ।

श्री धीरेन्द्र सहाय––

ईट की जांच तो हो चुकी है । जहां जांच वगैरह नहीं हुई उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह जांच करवा कर बता देंगे । यह आवश्यक है । इसके ऊपर अनुपूरक प्रश्नों की अब मैं इजाजत नहीं देता और न ही यह नियमों में है ।

(शोर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

नियम 56 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार की सूचना प्रदेश में डीजल वितरण के लिये चालू की गयी व्यवस्था से ऐसे गरीब किसान जिनके पास पंपिंग सेट नहीं हैं, को डीजल न मिलने के संबंध में है । 25–1–80 को इस विषय पर सूचना सदन के संज्ञान में आ चुकी है और वक्तव्य भी हो चुका है । आज मैं इसको स्वीकार नहीं करता ।

श्री श्याम नारायण तिवारी की सूचना जो कि राज्य में लम्बे समय से बन्द नक्सली एवं राजनीतिक बन्दियों के द्वारा जेल में उच्च श्रेणी एवं रिहाई के लिए किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में है, को मैंने अस्वीकार किया है, लेकिन जाँच के लिये माननीय मंत्री जी को चैंज देंगे ।

श्री देव कुमार की सूचना जनपद बांदा में भूसा और चारे के नितान्त अभाव के कारण लगभग 10 लाख जानवरों के जीवन के खतरे में होने के संबंध में है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव हाल में घटित किसी घटना के संबंध में होना चाहिये । यह कई बार सदन में आ भी चुका है । नियम 301 में मैंने स्वयं स्वीकार किया था । अब इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)––

मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं । कृपया सुन लें । स्थिति यह है कि बांदा जनपद में. . . . . .

उपाध्यक्ष––

यह विषय कई बार इस सदन में आ चुका है । पहले भी कहा जा चुका है । मैं इसे अस्वीकार करता हूं । इसके बाद आपको कुछ नहीं कहना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार--

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री देव कुमार--

[* * * *]

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि इसको मुख्य मंत्री जी के पास भेज देंगे, इसको दिखला लेंगे और निराकरण कर देंगे।

(श्री देव कुमार सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, नियमावली का नियम 125 देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम 125 देख लें मान्यवर, वन मंत्री जी के बारे में।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, 6 महीने से श्याम नारायण शुक्ला अनशन पर हैं। यह ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ग्रेजुएट हैं। इन्हें उच्च श्रेणी नहीं दे रहें हैं। इनमें असंतोष है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि मंत्री जी को भेज देंगे। फिर आप उस वक्तव्य को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं यह गैर मुनासिब समझता हूं। इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

अब मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

इस पर मैं इस सभा का कुछ समय के लिये त्याग करता हूं।

(श्री श्याम नारायण तिवारी सदन त्याग कर चले गये।)

नोट--(****) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने की मांग

(वन मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, जो विधेयक माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस संबंध में नियम 125 के अन्तर्गत मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, नियम 125 में है कि "विधेयक के पुर:स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जायं।" मान्यवर, उच्च न्यायालय में कोई रिट गयी थी उसका जजमेंट हुआ। उस निर्णय के तहत बहुत बिल पेश किया गया है। मान्यवर, जब तक हमको यह न पता हो कि उस संबंध में सरकार के क्या आर्गूमेंट्स थे, वादी का क्या पक्ष था, तब तक सही रूप से हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पायेंग। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज इसके पारण के पहले इन चीजों की प्रतियां हम सदस्यों को वितरित करा दी जायं, जिससे हम सही विचार प्रकट कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने जब आज्ञा मांगी थी। तब आपको आपत्ति करनी चाहिए थी। आप बाद में उठा सकते थे। आज जब इसके ऊपर विचार होने जा रहा है तब आप उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुर:स्थापन के उपरान्त। मान्यवर, पुर:स्थापन हो चुका है। इस संबंध में आप द्वारा दी गयी व्यवस्था को, आपको स्मरण करना चाहता हूं। थोड़े दिनों पहले एक शिक्षा आयोग विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। सोहनबीर सिंह तोमर जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस समय आपने विधेयक पर विचार करने के पहले उस रिपोर्ट का संक्षिप्त भाग हम लोगों को दिला दिया था। यह आपने स्वयं अपने अध्यक्ष काल में, इसी पीठ से व्यवस्था दी है। मैं पुन: अपनी बात प्रेस करता हूं कि जो इसकी मुख्य बातें हैं, शासन की तरफ से तर्क क्या थे और वादी की तरफ से तर्क क्या थे वह हमको दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय आपत्ति उठाना उचित नहीं है। आपने कल उठाया होता तो मैं कहता कि संबंधित पत्र माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें। इस समय इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, पुर:स्थापन के बाद उठाया है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने वन मंत्री को बुला लिया है। अब मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप गतिरोध पैदा न करें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, हम विधेयक पर बोलना चाहते हैं। आप जो व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति उठायी है उस संबंध में विवरण दिलवा दें। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस विधेयक पर विचार करने से पूर्व उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जिनके कारण आपको यह संशोधन रखना पड़ा। उच्च न्यायालय के फैसले का ब्यौरेवार जिक्र कर दें जिसके कारण आपको संशोधन लाना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जिक्र वन मंत्री जी अपने भाषण में कर देंगे।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 1980[1]

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत ही मामूली सी तब्दीली तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 में की जा रही है। इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश के अन्दर बाहर से पत्ता लाने के लिए और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने के लिए, या पत्ता यहां से होकर ले जाने के लिए ट्रान्सपोर्ट परमिट लेना पड़ता था। मध्य प्रदेश से कुछ व्यापारी पत्ता लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से गुजरते थे और फिर मध्य प्रदेश में चले जाते थे। उनसे हम 3 रुपए फी स्टैण्डर्ड बोरा लिया करते थे। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट की कि यह उचित नहीं है। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, तो हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि चूंकि कोई इसके बदले में सर्विस, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी नहीं करती ह इसलिए फीस नहीं लगायी जा सकती और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ली गयी फीस है वह एक महीने के अन्दर वापस कर दी जाय। उस समय हमारे वकील की राय यह बनी और न्याय विभाग की राय बनी कि फीस के बजाय अगर "कर" कर दिया जाय तो लाखों रुपया अदा नहीं करना पड़गा। उस वक्त चूंकि विधान सभा का सेशन नहीं हो रहा था, इसलिए आर्डीनेंस निकाला गया और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की गयी। तो इस आर्डीनेन्स को रिप्लेस करने के लिए आज यह बिल रखा गया है। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इससे प्रदेश का बहुत लाभ है और अगर यह फीस किसी वजह से नहीं ली जाती है तो केवल रकम का ही नहीं नुकसान होगा बल्कि इससे प्रदेश के पत्ते को भी नुकसान होगा। बाहर से पत्ता आने लगेगा और काफी नुकसान होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी अनुमति प्रदान करेंगे।

---

[1]विधेयक 5 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की है, वह किस स्टेज पर है? वहां क्या हुआ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

अपील सुप्रीम कोर्ट में है, अगर स्टे होता तो फिर आर्डीनेंस की आवश्यकता न होती।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह उत्तर गोल है। मामला सब जुडिस है। मन्त्री जी ने साफ कहा कि स्टे नहीं मिला, तो बतायें कि किस स्टेज पर है। सुप्रीमकोर्ट में पहली हियरिंग में क्या आबजरवेशन्स हैं। अगर ऐसी हियरिंग हुई है तो सब जुडिस बन जाता है तो क्या हम विचार कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

अपील में होते हुए हम इस सभा में इस पर विचार कर सकते हैं। विधेयक के ऊपर विचार कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम 110 देखने की कृपा करें।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, अगर यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचारणीय है तो जब तक विचारणीय रहेगा सदन में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके किसी प्राविजन पर कोई विचार नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक पर विचार हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियम देख लीजिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने गलत बता दिया था, नियम 89 देख लीजिए।

मान्यवर, नियम 89(5) में लिखा है, उनको आप देखें तो यह विधेयक एक संकल्प ही है। इसकी पृष्ठ भूमि देखें तो जो सदन में फैसला होना ह वह चाहे संकल्प के रूप में हो या विधेयक के रूप में या प्रस्ताव के रूप में हो।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

पैसा वसूल किया जायगा तो इससे किसी का मान्यवर, मतलब तो नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जिसे विधयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने एक बुनियादी बात उठा दी और वह यह कि जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में मन्त्री जी ने स्वयं जाहिर किया है कि

[श्री राम आसरे वर्मा]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मेससं मोहन लाल हर गोविन्द दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस सम्बन्ध को विखंडित कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार इस प्रकार संग्रहीत फीस की सम्पूर्ण धनराशि को वापस करने की जिम्मेदार हो गयी। मन्त्री जी ने यह बताया कि मामले की उच्च न्यायालय में अपील दायर है। जब तक अदालत में मसला पेंडिग है तब तक यहां एक विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नियमावली में भी यह चीज है और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उसकी ओर इंगित भी किया। उसमें साफ है कि संकल्प के ग्राह्य होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे जिसमें है कि उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत हो। मन्त्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सें अपील है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट से स्थिति साफ हो जाय तब विधेयक आता तो ज्यादा अच्छा होता।

इसमें दूसरा मसला उठाया गया है कि फीस स्थान पर कर के रूप में पैसा लिया जाय। आमतौर पर जो फीस ली जाती है उसका बोझ जनसाधारण पर पड़ता ह और तेंदू पत्ता से बीड़ी बनायी जाती ह। बीड़ी सभी कहीं जन साधारण प्रयोग करते हैं। जो कल तक फीस के नाम पर पैसा लेते थे उसको अब 'कर' के रूप में लेंगे। इससे जनसाधारण पर बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि मध्य प्रदेश पर बोझ पड़ेगा चूंकि वह हमारी सीमा से पत्ता लेकर गुजरते हैं तो उनसे पैसा लेंगे, हमारे यहां पत्ता जो तोड़ेंगे, उनसे लेंगे। गरीब जनता चाहे मध्य प्रदेश की हो या उत्तर प्रदेश को हो या और कहीं को हो उन सब पर उसका बोझ पड़ता है, इसलिए इसको उचित नहीं कहा जायगा, यह न्यायिक और व्यावहारिक पक्ष है। इसको देखते हुए मैं यह चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ताकि इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से विश्लेषण करने के बाद फिर नये ढंग से विधेयक सदन में लाया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, बिल के सैद्धान्तिक पहलूको देखते हुए प्रवर समिति को जो भेजने का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी मन्त्री जी जब अपने बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने सदन को जानकारी दिया कि पहले फीस लेते थे लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि फीस नहीं ले सकते हैं चूंकि आप कोई सर्विस नहीं देते है।

अब मैं आपका ध्यान जो मूल अधिनियम है और जिस को संशोधित किया जा रहा उस ओर दिलाना चाहता हूं। मूल में लिखा है——"कोई व्यक्ति जिसे अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जायं ऐसी फीस का देनदार होगा जो विहित की जाय" वहां पर फीस शब्द का प्रयोग है। जो संशोधन माननीय मन्त्री जी कर रहे है उस में वह कहते हैं "तेंदू पत्ते के प्रति मानक थैले पर तीन रुपए की दर से विहित रीति से कर का देनदार होगा"। इसलिए फीस और कर का जो मामला है वह स्पष्ट नहीं होता। माननीय मन्त्री जी उसे स्पष्ट करें।

दूसरी बात मैं इस बात को सदैव सैधान्तिक रूप से खिलाफ समझता हूं कि कोई भी मामला जिसमें पैसा इनवाल्व हो, कोई फैसला हो, वह रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से लागू किया जाय। बिक्री-कर के बारे में बहस हुई थी तो मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार का तरीका ठीक नहीं है। फैसला आज होता है और पसा 6 साल पहले से वसूल किया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात यह है कि अगर हाईकोर्ट ने तमाम न्यायपालिका ने सरकार के किसी निर्णय को यह बता दिया कि जनहित में नहीं है और हमारी विधायिका शक्ति इसका उपयोग करे और उसको बदल दे तो यह बात साफ है कि हम न्यायपालिका के सम्मान से, उसकी भावनाओं से अपने को अलग कर रहे हैं।

इसलिए मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि इस पर विचार हो सके फीस और कर का मामला है,कौन से तथ्य न्यायालय ने प्रस्तुत किये है, उन्हें देख लिया जाय और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ह उसको देखते हुए भी न्याय संगत विधेयक लगाया जा सकता हजिससे प्रदेश की जो गरीब जनता है उसका लाभ हो सके। मने अनक बार यह बात सदन में कही ह कि तेंदू पत्तों की निकासी में भी भ्रष्टाचार है। यह मान्यवर, कभी ठेके पर हुआ करता था अब मानक तय कर दिया गया है।मानक के साथ-साथ इतने पैसे देने पर इतने तेदू पत्ते यहां पर निकाले जा सकते हैं। बात सही है। भ्रष्टाचार के कारण वहां पर तेदू पत्ते ज्यादा होते हैं। इस दृष्टि के साथ भी मैं प्रस्ताव पास होने पर फिर से बल दे रहा हूं। कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, माननीय मन्त्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है उसमें सिर्फ एक लफ्ज का हेर-फेर है। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी जो यह फिगर है इसे पूरे तरीके से नहीं बता पाये हैं कि कितने लाख, करोड़ रुपये हैं जो हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर लोगों को वापस किये जायेंगे वह पूरी फिगर नहीं आयी। मैं मानता हूं कुछ लाखों की है जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा, लाखों का इस्तेमाल किया। एक हमको सन्देह हो रहा है और हम चाहते हैं कि वह चीज सामने आये, लेकिन नहीं आ पायी। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी स्वंय इस बात को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील कर दी है। ठीक है। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने व्यवस्था दी। एक संशोधन विधेयक यहाँ पर पेश कर दिया है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट न अपना निर्णय दे दिया जो अपने अधिकारियों में बिल्कुल इन्डीपेंडेंट है, चन्द लाख रुपयों की वजह से जिस के लिए मन्त्री जी चिन्तित हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाय कि माननीय सदन में और सुप्रीम कोर्ट में कनफ्रन्टेशन की स्थिति पैदा न हो जाय। यदि कोई बहुत बड़ी रकम होती तो ठीक है सिर्फ चन्द लाख रुपयों के लिए, यह अच्छी बात नहीं होगी।

दूसरी बात इसमें यह है कि कोई भी कोर्ट डिक्री दे सके। अगर किसी ठेकेदार का रुपया सरकार पर है जिसे उसने सरकार में जमा किया है और भूल चूक से उसे डिक्री मिल गयी किसी कोर्ट से और संशोधन कहता है कि डिक्री भी कोई कोर्ट नहीं दे सकता तब क्या स्थिति पैदा होगी? फिर आज हमें मालूम हुआ है कि इस के बारे में कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उत्तर प्रदेश की किसी कोर्ट को यह मालूम न हो कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और वह डिक्री दे दे तो फिर कन्फ्रन्टेशन पैदा हो जायगा। यह तेंदू पत्ता का काम मिर्जापुर, राबर्टसगंज, मध्य प्रदेश तथा बिहार में हो रहा है और सन् 72 से इसके मुतालिक संशोधन होते चले आ रहे हैं और यह एक जरिया आमदनी आपके लिए बना है और प्रदेश के खजाने को इससे लाभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा यह फर्ज हो जाता है कि उस धन्धे में लगे हुए मजदूरों की दशा को देखें और उस टैक्स में से उनके वेलफेयर के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कुछ खर्च भी करें। इस तरफ ध्यान देने के लिए ही इसकी परिधि बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय मन्त्री जी वहाँ जा कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

स्वयं देख लें ताकि इन सारी चीजों पर प्रवर समिति में विचार हो सके और कन्फ्रन्टेशन की सूरतें न पैदा हों। इसलिए वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मन्त्री जी इस भ्रम में हैं कि तेंदू पत्ती का व्यापार करने वालों का सम्बन्ध बड़े आदमियों से है । उत्तर प्रदेश में यह व्यापार मिर्जापुर में ही नहीं ललितपुर तथा झांसी जिले में भी होता है और इस प्रकार हमारे प्रदेश में बीड़ी का व्यापार व्यापक रूप से हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ा काम इसका हो रहा है। बीड़ी का निर्यात हमारे यहाँ से अन्य प्रदेशों में भी होता है। उच्च न्यायालय ने आपके इस अधिनियम को निरस्त कर दिया और यह कह दिया कि आप फीस नहीं ले सकते, क्योंकि आप कोई सेवा नहीं करते हैं। अब आप यह कराधान पूर्वगामी तिथि से लगाने जा रहे हैं बजाय फीस लगाने के। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर आप कर लेना शुरू करते हैं तो आज की तारीख से करें न कि पूर्वगामी तिथि से। स्थिति यह है कि जो संशोधन यहाँ आते हैं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत उनमें ऐसी भावना, प्रदर्शित होती है जैसे कि न्यायालय से उनका बड़ा विरोध हो ।

मान्यवर, आपने कुछ गल्तियाँ की हैं और अगर उनका सुधार उच्च न्यायालय कर देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसको उच्च न्यायालय में जाने की ही भावना निरस्त कर दें। अगर उच्च न्यायालय ने कह दिया कि "इट इज अल्ट्रावाइरस आफ दि ऐक्ट" तब क्या स्थिति होगी। एक नहीं दर्सियों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को केवल निष्क्रिय करने के लिए संशोधन किया गया है और भावना आपकी यह है कि "फीस" शब्द के स्थान पर "कर" का प्रयोग होगा। इसे आप आज की तिथि से करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो इन सारे मामलों की छानबीन कर आपको रिपोर्ट दे सके। अन्यथा इसको उच्च न्यायालय में चैलेन्ज किया जायगा और निरस्त किया जायगा ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा ने इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के लिए कहा है, वह तो यथार्थ बात है और इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन अभी जो भाई रियासत साहब बोल रहे थे कि इसमें जो गरीब लोग काम करते हैं ठेकेदार लोग मजदूर लगाते हैं, यह उनका ही मामला नहीं है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

तो आपको कोई ऐतराज नहीं है ?

श्री ऊदल—

जी नहीं, लेकिन जो रियासत साहब ने कहा है कि जो लोग इन पत्तों को तोड़ते हैं उनकी कोई छोटी-छोटी सोसाइटी बन जायं, लेकिन जहाँ तक फीस का मामला है ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, बीड़ी बनाने वालों का शोषण करते हैं, न्यायालय न उसे अवैध करार दे दिया। उसके स्थान पर "कर" शब्द किया जा रहा है, मैं समझता हूं वह ठीक किया जा रहा है । यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा रियासत जी ने कहा और उनकी जो भावना है मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी उसके ऊपर विचार कर लें क्योंकि इसको व्यापक बनाया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकता है और उसके अन्दर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अधिक सुविधा दी जा सकती है। एक मेरे भाई वकील साहब हैं, बुन्देल खण्ड के लायर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अवैध करार दे दे तो क्या स्थिति होगी। तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक उसी स्थिति को निपटने के लिए लाया जा रहा है। अगर फिर चैलेन्ज होगा तो क्या होगा ? न हम रहेंगे न आप रहेंगे तो इस समय जो है, उस दृष्टि से जो संशोधन आया है वह बिलकुल सही है। इसको ऐसे ही मान लिया जाय। इसको और व्यापक बनाने के लिए विभाग को एक नया विधेयक लाना चाहिए ताकि तेंदू के क्षत्र में काम करने वालों का भी उसमें समावेश हो जाय।

श्री देव बहादुर सिह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर,संशोधन विधेयक में दो मुख्य बातें है। एक है फीस को कर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और दूसरे इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया जाय। यदि पिछले दिनों से यह प्रभावी नहीं होगा तो सरकार को सारा पैसा वापस करना पड़गा। मैं नहीं जानता कि वह धनराशि कितनी है लेकिन मेरा ख्याल है कि लाखों रुपयों में होगी। अगर यह रकम लौटानी होगी तो ऐसा नहीं है कि वह मजदूरों की जब में जायगी। वह पैसा तो ठेकेदारों की जेब में जायगा जिन्होंने मजदूरों का शोषण करके पैसा प्राप्त किया है। इसलिए सिद्धान्त रूप में यह जनधन ह और इसको प्रदेश की जन कल्याण की योजनाओं में खर्च किया जायगा, इसलिए यह बिल्कुल समर्थन योग्य विधेयक मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन रखा है 'कर' के रूप में वसूल करने का यह स्वागत योग्य है। इतनी बात जरूर है कि जिस प्रकार अपने पैसे को बचाने के लिए वन विभाग ने और मन्त्री जी ने सोचा है उसी तरह से जो छोटे-छोटे मजदूर तेंदू पत्ते में लगे हुए हैं जिनका ठेकेदारों द्वारा शोषण होता है जो चुन-चुन कर पत्ते इकट्ठा करते हैं उनके कल्याण के लिए कोई विधेयक इस सदन में लायें तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। इस आग्रह के साथ मैं जो यह संशोधन विधेयक रखा है उसका स्वागत करता हूं।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, वन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत जो विधेयक हैउसका टेकनिकल आधार पर विरोध करता हूं। अभी माननीय ऊदल जी ने कहा कल आप रहें या न रहें इसलिए इसको पास कर दिया जाय। सवाल यह है कि कोई भी काम किया जाता है तो उसमें पहले सार्वजनिक हित देखते हैं या आप अपना हित देख कर उसे करते हैं ? चूंकि सार्वजनिक हित के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। यह मामला टेकनिकल आधार पर हाईकोर्ट ने सेट एसाइड किया है और मामला अभी पेंडिग में सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए बगैर सारे कानूनी लैकूना को देखे और उनको ठीक किये यह कानून यदि बन गया तो कोर्ट में सेट-एसाइड हो जायेगा और कोई भी मौलिक अधिकारों के आधार पर उसे हाईकोर्ट में ले जायेगा तो आपको परेशानी होगी और सरकारी पैसा जो उसमें खर्च होगा वह जनता का पैसा होगा। इस बात को बिना सोचे ही यदि कानून बन गया तो इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय राम आसरे वर्मा वगैरह ने जो कहा है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय और ठोस आधार पर सरकुलेट करके कोई संशोधन किया जाय जिससे सार्वजनिक हित होगा तो मेरे ख्याल से उससे जनता का हित होगा। इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री देव बहादुर सिह--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, अभी जो अधिनियम पर भाषण हुए.....

श्री देव बहादुर सिह--

घंटी बजा दीजिए बहुत से लोग सोए होंगे।

(कुछ देर बाद)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं,कोरम देख लेने दीजिए। कोरम है। मन्त्री जी, आप बोलिए।

श्री काजी महम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, अभी जो विधेयक पर बहस हुई उससे ऐसा प्रतीत होता था कि इसकी स्प्रिट से तो सब मुतफिक हैं। केवल टेकनिकल तौर पर माननीय सदस्यों ने और रियासत साहब ने बहस की और वह बहस फार दि सेक आफ बहस की ताकि माननीय गुलाब सेहरा फिर यह न कहें कि विरोध में बैठने वाले लोगों ने कुछ नहीं कहा वैसे इससे सभी सहमत नजर आते हैं,किसी ने उसकी नीयत पर एतराज नहीं किया है। एक चीज आम तौर पर उठाई गयी और जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट और विधान सभा के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाय। यह एक खास बात है, यह साफ अवश्य होना चाहिए था।

श्री देव बहादुर सिह--

रियासत हुसैन और आपका टकराव तो नहीं होगा।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

इस सम्बन्ध में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है, जिसको आपके सामने जानकारी के लिए रख दूं।

"If a provision regarding the levy of luxury tax is within the competence of the State legislature, the said legislature would be well within its competence to enact a law for recovery of an amount which, though already refunded to a party, pertakes of the nature of luxury tax in the light of that law. If an amount can answer to the description of luxury tax, there would be no legal impediment to recovering the same as luxury tax, even though initially it was recovered or sought to be recovered as something different from luxury tax."

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब संक्षेप में इसका हिन्दी कर दें।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

अगर किसी टैक्स को लगाने का हक राज्य सरकार के दायरे अख्तयार में है तब मुतालिका लेजिस्लेचर अपने दायरा अख्तयार में होगा कोई ऐसा कानून बनाने में जिसमें कि कोई

रकम अगर किसी पार्टी को रिफण्ड कर दी गयी है और कानून के मुताबिक वह टैक्स की नवैय्यत की है तो उस रिफन्डेड रकम को टैक्स के रकम की सूरत में दुबारा वापस वसूल करन में कोई रुकावट नहीं होगी चाहें वह रकम टैक्स के अलावा किसी और शक्ल में ली गई हो।

यहाँ तो अभी यह रिफण्ड भी नहीं हुई है। तो इस उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही हमारे न्याय विभाग ने यह राय दी है कि आपको अधिकार है कि आप इस के लिए आर्डिनेंस बना सकते हैं और कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई टकराव करने की न हमारी मंशा है और न कभी थी।

श्री रियासत हुसैन--

इस मामले में आपको न्याय विभाग ने यह राय अब आपको दी है, जैसा आपने जिक्र किया, तो पहले जो बना है और जो वहाँ से अल्ट्रावायरस करार दे दिया गया है वह क्या बिना न्याय विभाग की राय के बनाया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपको समझना चाहिए, आप तो पुराने मेम्बर हैं बिना विधि विभाग की राय के यह कुछ नहीं होता है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

आपने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गयी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी अपील किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ऐडमिट हो गई है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

सुप्रीम कोर्ट में अपील है और यह मैं पहले अर्ज भी कर चुका हूं। तो मैं रियासत हुसैन के बारे में . . . .

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मैं आधार जानना चाहता हूं ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

अपील किसी आधार पर ही ऐडमिट होती है वरना रेजेक्ट हो जाती है। इस समय आधार हमारे सामने नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

हमें सुप्रीम कोर्ट ने ही अधिकार दिया है। हम इसका नाम बदल कर रख सकते हैं। श्री गुप्त जी न कहा कि उद्देश्य में कहीं फीस का जिक्र नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारण की तीसरी लाईन में दिया हुआ है कि "विहित फीस का देनदार होगा"। तो इसको आप देख लें। फीस की जगह कर लगाया गया है। श्री राम आसरे वर्मा और ऊदल जी आदि ने जो सुझाव दिये हैं... मजदूरों की भलाई के लिए सरकार को काम करना चाहिए, वह बहुत मूल्यवान है। अगर्चे फीस और कर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ पर इस तरह के सुझाव आते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उन पर अमल किया जाय और मैं माननीय विधायकों से दरख्वास्त करूंगा कि जो जानकारी हो कि मजदूरों को कठिनाइयाँ हो रही हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह दूर हो जायें। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो कानून यहाँ

[श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन]

पर नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर यह कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि सीलिंग के कानून बनाये गये हैं और उनके अमेंडमेंट भी हुए हैं। अगर यह मान लिया जाय कि दूसरे कानून नहीं बन सकते हैं तो सीलिंग में एक बार भी विधेयक न आता। तो यह पेश्तर होता रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह परम्परा रही है। तो इन शब्दों के साथ माननीय रियासत हुसैन साहब और राम आसरे वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे संशोधन के प्रस्ताव वापस ले लें। माननीय सदस्यों की जो नियत है कि स्टेट का फायदा हो यही नियत हमारी भी है। जो उनकी गलतफहमी है कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव उत्पन्न हो जायगा तो वह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के मुताबिक ही कार्यवाही की गयी है। यह भी कहा गया कि बीड़ी मंहगी हो जायगी तो वह मंहगी नहीं होगी। पसा भी नहीं बढ़ने जा रहा है। वैसे भी बीड़ी तन्दुरुस्ती के लिए फायदेमन्द नहीं है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि जो अमेंडमेन्ट प्रस्तुत किये गये हैं उनको वापस ले लें और जो उनके सुझाव हैं मैं कोशिश करूंगा कि आइन्दा उन पर अमल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

वर्मा जी, आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा——

मेरी बात का समर्थन तो कई लोगों ने किया है और माननीय मन्त्री जी की बात का समर्थन कम लोगों ने किया ह इसलिए मेरा प्रस्ताव वापस लेन का प्रश्न नहीं उठता ह।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधयक की परिधि बढ़ान का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित करके निर्णय घोषित करते समय)

श्री रियासत हुसैन——

मान्यवर, हां की संख्या अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष——

मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री रियासत हुसैन——

शुरू में ही मैंने खड़े होकर कहा था। मैं तो शुरू से कह रहा हूं।

(विभाजन के लिए घंटी बजाई गयी।)

श्री उपाध्यक्ष——

पांच मिनट हो जायेंगे तो अपने आप घंटी बन्द हो जायगी।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह 28 सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1972 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया ह, धारा 5 में,उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और सदव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया गया है, तेंदू पत्ते के प्रति मानक थैले पर तीन रुपए की दर से, विहित रीति से, कर का देनदार होगा।"

धारा 18 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (2) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात—

"(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार, और शर्तें जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकते हैं और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कर का भुगतान किया जायगा या उसे वसूल किया जायगा।"

वैधीकरण

4—(1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान था) के अधीन कृत या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश,की गयी कार्यवाहियाँ,प्रयुक्त अधिकारिता भी है) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी और सदव से इसी प्रकार कृत समझी जायगी और इस प्रकार विधिमान्य और विधिपूर्वक कृत समझी जायगी और सदा से विधिमान्य और विधिपूर्वक कृत समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियम या अधिसूचनाओं के अधीन अनुज्ञा-पत्रों के लिए उद्ग्रहीत या संग्रहीत, या उद्ग्रहण या संग्रह की गयी तात्पर्यित, फीस, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल

अधिनियम के अधीन विधि के अनुसार, कर के रूप में विधिमान्यतः उद्ग्रहीत या संग्रहीत समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार---

(क) मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या जारी की गयी अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान की गयी तात्पर्यित किसी फीस को वापस करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो की जायेगी और न जारी रखी जायगी ।

(ख) कोई न्यायालय या प्राधिकारी उक्त अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान की गयी तात्पर्यित किसी फीस की वापसी के लिए किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन नहीं करेगा ।

निरसन और अपवाद

5---(1) उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी---

(क) उक्त अध्यादेश की धारा 5 के अधीन पुनर्विलोकन के लिए दाखिल किया गया और इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को विचाराधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र का निस्तारण उक्त धारा के अनुसार किया जायगा मानों उक्त अध्यादेश के उपबन्ध प्रवृत्त बने हों; और

(ख) उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की कार्य सूची में जो मेरा संकल्प छपा हुआ है वह अशुद्ध है। अतः मैं इसे ठीक करके पढ़ता हूं :

"यह सदन उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।"

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस सदन में कई बार यह चर्चा हो चुकी है कि स्थानीय निकायों के चुनाव बराबर टाले जा रहें हैं। यह न तो जनहित में है और न हमारी जनतांत्रिक परम्पराओं के ही अनुकूल है। इसलिये मैंने यह अननुमोदन का प्रस्ताव किया कि अध्यादेश के द्वारा चुनाव की तिथि बढ़ा दी गयी है। यह ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं एक दो तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज वहाँ पर जन प्रतिनिधियों का शासन नहीं है। वहाँ पर नौकरशाही के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। जिला परिषदों में जब जिलाधिकारी का हाथ था तो जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का अनुभव किया था कि अगर उनके पास अधिकार कम होंगे तो वह कम दुरुपयोग करेगा और वह एकाधिकार नहीं समझ पायेगा। इसलिये जन प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति बना दी गयी जिसमें विधायक रहेंगे और अन्य लोग भी। वह समिति 3 माह में एक बार अवश्य बैठेगी और जो उनके सुझाव या प्रस्ताव होंगे, जब तक उनमें वित्तीय मामला न रहा हो, प्रशासक को मानने के लिए बाध्य किया जायेगा।

मान्यवर, मैं अपने जिले की बात बताता हूं कि किस प्रकार से वहाँ पर अधिकरों का दुरुपयोग किया गया। इसी सदन में अन्त्योदय की बहुत चर्चा की गयी, उसकी निन्दा और तारीफ भी की गयी। हमारे जिले में 12 1/2 लाख रुपया जिला परिषद् में जमा था जिसको वहाँ के प्रशासक ने अल्प बचत योजना में जमा कर दिया और नतीजा यह हुआ कि अल्प बचत के आँकड़े दिखा कर उस मंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। अगर यह 12 1/2 लाख रुपया हमारे उन गरीबों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, दे दिया जाता तो कितने ही लोगों का भला हो जाता। लेकिन उसका आवंटन न करके उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। जैसा कि नियमावली में प्राविधान है कि 3 महीने में उस सलाहकार समिति की बैठक अवश्य होगी और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने अपने जिलों की बात भी जानते होंग लेकिन हमारे जिले में 11 1/2 महीनों में आज तक एक भी इस सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई क्योंकि वहाँ के प्रशासक नहीं चाहते है कि वे इस समिति की बैठक का सामना करें। इस प्रकार से तमाम जिला परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

---

†दिनाँक 5 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिह चौहान पीठासीन हुए।)

अब मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे नियमों में है कि जिला परिषद, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन, तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट खंड (ग) के अधीन अपन अधिकार प्रतिनिहित करे] जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति समझा जायगा। उनको डेलीगेट कर दें। आज तक वह मामला शासन के पास पड़ा हुआ है, और शासन ने उस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इसी तरह का लखीमपुर का मामला है। प्रशासक ने एक भी सुझाव वहाँ का नहीं माना। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनके चुनाव को टालना सत्ता का दुरुपयोग है और जनता के साथ खिलवाड़ है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहाँ सदन में आश्वासन दिया था 30 सितम्बर तक चुनाव अवश्य करा दिये जायेंगे। आज यहाँ माननीय मंत्री जी की ओर से स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इसके बाद कभी भी चुनाव की तिथि नहीं बढ़ायी जायेगी। इन शब्दों के साथ में इसका अननुमोदन करता हूं।

पशुधन मंत्री (श्री लक्षमण सिह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह बात सही है कि कुछ परिस्थितियों के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके। उसके लिये केवल मौजूदा सरकार ही दोषी नहीं कही जा सकती। कुछ कानूनी कठिनाइयाँ थीं। जिस समय पहले वाला जनता पार्टी का शासन प्रदेश में आया तो उस समय भी स्थानीय निकायों का प्रबन्ध जिला मजिस्ट्रेटों के हाथ में था। पहले चुनाव सन् 71 में हुये थे, उसके बाद सन् 76 में होने चाहिये थे। काँग्रेसी शासन काल में भी वे चुनाव नहीं हो सके। बीच में यह कठिनाई भी आयीं कि हमने आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की। फिर एक बार निर्णय हुआ था कि चुनाव सीधे कराये जायें, बाद में माँग आयी कि अप्रत्यक्ष हों। इन कारणों से भी देर हुई।

मान्यवर, 4 अगस्त, 1979 को दो अध्यादेश जारी किये गये थे एक—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1979), दूसरा—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1979)

प्रथम अध्यादेश कतिपय स्थानीय निकायों की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिला मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1980 तक बढ़ाने की दृष्टि से जारी किया गया था। इसी प्रकार द्वितीय अध्यादेश जिला परिषदों की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिला मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल 9 अगस्त, 1980 तक बढ़ाने की दृष्टि से जारी किया गया था। उपर्युक्त दोनों अध्यादेशों की अवधि 11 अक्टूबर, 1979 के तत्काल पश्चात् समाप्त होने जा रही थी। दोनों अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये विधेयक पिछले सत्र के दौरान राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित किये गये थे किन्तु वे पारित नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति में यह आश्वयक समझा गया कि उपर्युक्त स्थानीय निकायों का वर्तमान प्रबन्ध चलते रहने दिया जाना चाहिए। चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया था अतएव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 10 अक्तूबर,

1979 को उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1979) प्रख्यापित किया था। तदनुसार यह विधयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है। मैं बहुत लम्बा इसमें व्याख्यान करना नहीं चाहता हूं, माननीय सदस्यों को सदन में यह आश्वासन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन कर चुके हैं कि इसके पश्चात् और समय सदन से नहीं माँगा जायगा और निश्चित रूप से 30 सितम्बर, 1980 के अन्दर-अन्दर कोई तिथि तय करके इसका चुनाव करा दिया जायगा। एक निवेदन मुझको और करना है कि यह बात तो ठीक है कि इसमें शासन की ओर से त्रुटि रही, बहुत जल्दी ऐक्शन किया जा सकता था, यह भी बहस की जा सकती थी कि पहले अध्यादेश किया, फिर प्रत्यक्ष रूप से किया, फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया। मगर जिला परिषद् का जहाँ तक संबंध है, उसमें पंचायतों के चुनाव, क्षेत्र समितियों के चुनाव भी कराने आवश्यक थे। जिला परिषद् का जो गठन है, जो उसकी संख्या है, जो उनमें नुमाइंदे होते हैं, उनमें कई प्रकार के संबंधित संगठन हैं और उनमें किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो सके और जो हमारा उद्देश्य है कि एक सही तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो। उसमें अब जितना बिलम्ब हो गया, वह हो गया, लेकिन अब उसमें तेजी से काम करना है। माननीय गुप्ता जी ने मुझसे अलग से भी बताया था, यह बात सही है कि इसमें कठिनाई आई। यह निर्णय कर दिया गया कि जो जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, वे मीटिंगों में सदस्य रहेंगे। इसमें जो जिलाधिकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको शायद बहुत पसन्द नहीं किया गया। हम इस पर विचार कर रहें हैं। अगर हमारे जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्य संसद सदस्य, विधायक, जिनकी रुचि जिले के विकास में है, खाली इस बात की नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठ कर अध्यक्षता करें, तो इसकी हम मीटिंग बुला कर इस पर विचार कर रहें हैं। गुप्ता जी ने जो डेलीगेट पावर करने की बात कही है, यह पुराने और नये नियमों में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम वह पावर डेलीगेट कर दिये होते। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री वर्मा साहब से पेशगी से यह निवेदन करता हूं कि वह सूक्ष्म में अपनी चाहे जितनी बातें रखें, लेकिन इसमें राय की बात न लायें। एक दम हम अभी चुनाव नहीं करा सकते। तो इस आशा के साथ मैं यह चाहूंगा कि यह पारित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जब से हमारे वर्तमान शासक गद्दी पर आये हैं, उस समय से एक शब्द बड़े जोर शोर से सुनाई दिया कि उनका एक-एक काम लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप होगा और लोकतंत्र की मर्यादा को कायम करने के लिए होगा। यह सही बात है कि ऐसे समय में गद्दी पर आये थे जिस समय लोकतांत्रिक मान्यताओं को उखाड़ कर फेंक दिया गया था उन मान्यताओं को कायम करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और वह जिम्मेदारी की कड़ी के रूप में स्वायत्त शासी संस्थाओं में जो पहले से चुनाव टालते रहने के कारण वहाँ के जन प्रतिनिधियों को कार्यभार लेने से वंचित रखने का एक सिलसिला शुरू हुआ था उस सिलसिले को तोड़ने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। करीब ढाई साल पूरे हो गये इस ढाई सालों में लोकतंत्र की बातें तो बहुत हुई, लेकिन एक बार भी यह प्रयास नहीं किया गया कि लोकतंत्र की मान्यता के नाम पर कम से कम स्वायत्त शासी संस्थाओं का चुनाव

[श्री राम आसरे वर्मा]

करा दिया होता । जब कभी सवाल आया माननीय मंत्री जी ने कहा दुबारा समय नहीं लूंगा । इसके बाद जब कभी अध्यादेश आया, बजट का समय आया तब शासन की ओर से यही कहा गया कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे । स्वायत्त शासी संस्थाओं की आज दुर्दशा होती जा रही है । वहाँ के प्रशासन में जिस तरह की गड़बड़ी है वह किसी से छिपी नहीं है कोई उपाय कारगर इस तरह का नहीं निकाला गया कि संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़ती ।

मान्यवर, जिला परामर्श दात्री समितियों का गठन तो किया गया लेकिन माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि वहां जिलाधिकारी और परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के बीच इस बात का मतभेद पैदा हो गया हो कि परामर्शदात्री समिति कोई निर्णय लेती है तो जिलाधिकारी के लिये परामर्श होगा या फैसला होगा । जिलाधिकारी अपने अधिकार के लिये चुनौती समझते हैं और परामर्शदात्री समिति के चाहे जितने अमूल्य निर्णय रहे हों चाहे जितने कारगर उपाय समिति ने बताये हों उसके ऊपर पर्दा डाला गया है । पिछले कांग्रेसी शासन की भाँति इस शासन न भी नौकरशाही के हाथों में इन संस्थाओं को सौंपने का काम किया है । जनता के दुखों से नौकरशाही का कितना वास्ता है यह किसी से छिपा नहीं है ।माननीय मन्त्री जी ने खुद कहा, कुछ बातों की तरफ संकेत किया, जिनके ऊपर आगे सोचा जायगा । जब अभी सोचने के लिये बाकी है और दूसरी बात प्रत्येक बार जब समय मांगते हैं तो यह कहा जाता है कि दुबारा समय नहीं मांगेंगे तो मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें एक बार खूब सोच समझ कर सभी पहलुओं का विश्लेषण करके एक निर्णय ले लिया जाता ताकि उसके बाद बार-बार संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़े ।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह स्वीकार तो हो ही जायेगा इसलिये कि आप निर्वाचन कराने की स्थिति में नहीं हैं और आपको आखिर इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को किस प्रकार उसका गठन है, जनतंत्र की दोहाई देने वाले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र की इकाई, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, म्यनिसिपैलिटी टाउन एरियाज और अन्य कारपोरेशन के चुनाव बार-बार टालने के बाद किसी न किसी बहाने से और फिर हम कहें कि जनतंत्र की परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं, बड़ आश्चर्य की बात है । माननीय मत्री जी ने अभी एक बात कहीं मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं , जो उन्होंने कहा उसकी गम्भीरता को वह समझ रहे हैं कि नहीं । एक सुझाव आया था कि जिला परामर्शदात्री समितियां जो हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा और न उस राज्य शासन की ओर से बताया गया कि गैरसरकारी सदस्यों में से जो भी उपस्थित होगा वही सभापतित्व करेगा, लेकिन जिलाधिकारी इसको सूचित नहीं समझते । इसलिये जैसा अभी हमारे साथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा साढ़े चार महीने से मीटिंग नहीं हुई । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष कोई जन प्रतिनिधि हो या संसद सदस्य हो और उसके सभापतित्व में मीटिंग हो तो बी० डी० ओ० से लेकर जिलाधिकारी तक उस मीटिंग में भाग लेने में अपना अपमान क्यों समझते हैं ? अगर इस प्रकार से यह अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार की विचार धारा और उनके सुझावों पर कोई बल नहीं देते, कोई कार्यान्वयन यदि नहीं करते हैं, तो यह खुले रूप में माननीय सदस्यों का अपमान है और इससे जनतंत्र को गहरी ठेस पहुंचेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि आप टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज तथा जिला परिषदों के चुनाव के लिए चाहे कितना समय मांगते जाएं, बढ़ाते जाएं उससे स्थित साफ नहीं होगी बल्कि और गम्भीर होती जायेंगी।

मान्यवर, एक बात के लिए मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपन परामर्श दात्री समितियां बनाई हैं और जो आपने उसके अध्यक्ष के रूप में माननीय सदस्यों या संसद सदस्यों को तैनात किया है, उनके द्वारा दिये गये परामर्श एवं सुझावों को यदि इन अधिकारियों द्वारा रद्दी की टोकरी में फेंका जायगा और परामर्श पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और अधिकारियों द्वारा सोची गयी मनमानी कार्यवाही यदि की जायेगी तो यह बड़े दुःख और अपमान की बात होगी।

जिला जालौन की जिला परिषद् का हाल भी अजीब है। वहां इतना पैसा नहीं है कि कर्मचारियों की तनख्वाह समय से बांटी जाए। वहां के डाक्टरों को वेतन नहीं मिलता है, चपरासियों को वेतन नहीं मिलता है। गनीमत है कि अध्यापक वहां से हट गये वरना उनके वेतन के संबंध में भी आय दिन सदन में माननीय मंत्री जी से चर्चा होती रहती। तब पता चलता कि वेतन न मिलने से क्या-क्या परेशानियां होती हैं।

मान्यवर, जिला परिषदों की आमदनी बढाने के लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें जो अभी मामूली खर्चे और वेतन आदि के लिए जो परेशानी हो रही है वह न हो। इसके अन्तर्गत जो जिला ग्राम विकास है इनके जरिये जो जमीन एवं सड़कें हैं, उनके विकास के लिए एवं जो भवन है, इनके रख-रखाव के लिए है। इसकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता। और इस बात की भी कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं करत कि जिला परिषदों की क्या आर्थिक स्थिति है और यदि आर्थिक स्थिति गम्भीर है तो इस मामले को परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखा जाए और उनके द्वारा दिये गय सुझावों पर अमल करके विकास की ओर अग्रसर हो। ऐसा न करने वाले अधिकारी के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व ठीक से न निभा सके, न समझ सके, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ऐसा करने पर, सख्ती से काम लेने पर श्रीमन् जिला परिषदों की आमदनी बढ़ सकती है।

मान्यवर, मैं उन्हीं समस्याओं पर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप भले ही अभी चुनाव के लिए समय बढ़वा लें और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक आप जिला परिषद् को परामर्शदात्री समितियों के निर्णयों को छोटे से छोटा बी0डी0ओ0 से लेकर डी0एम0 और एस0डी0एम0 तक उस पर गम्भीरता से विचर करें और उनके परामर्श को मानें और अनिवार्य रूप से उसको स्वीकार करें और इस बात का भी प्राविधान किया जाए कि जो परामर्शदात्री समितियाँ सुझाव या प्रस्ताव प्रस्तुत करें उसकी मैं चाहता हूं कि एक प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी के पास भी आया करें। माननीय मंत्री जी के पास आये और मैं समझता हूं कि जो विवेचना जनहित में हो उसका अनुपालन कराया जा सके।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

स्थानीय निकायों, जिला परिषदों के चुनाव न कराके हमने जन प्रतिनिधियों को उनके उस अधिकार से वंचित कर दिया है कि वे स्थानीय समस्याओं में योगदान और सुझाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

दे सकें। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं, जिला परिषदों के कामों की देख-रेख की जिम्मेदारी हाकिम परगना को आ गयी। हाकिम परगना को अपने काम रहते हैं अतः वह इस कार्य को सुचारु रूप से नहीं करा पा रहे हैं। जो अनुदान शासन से उन्हें सड़कों आदि के लिए मिलता है उसका वे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बदायूं में सड़कों के निर्माण के लिए जो अनुदान मिला 2 वर्षों में भी प्रशासन इस्तेमाल नहीं कर सका जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर सड़कें खराब हो गयीं दूसरी ओर आगे के वर्षों के लिए बदायूं नगरपालिका अनुदान से वंचित हो गयी। हाकिम परगना और जिलाधिकारी समय से न टेण्डर मंगा सके और न खोल सके इसके कारण उन सुविधाओं से बदायूं वंचित हो गया जिसको आज शासन देना चाहता है।

जो परामर्शदात्री समिति बनायी गयी है अगर गैर सरकारी व्यक्ति उनकी अध्यक्षता करे तो जिलाधिकारियों को अपमान नहीं समझना चाहिए और इतना ही नहीं जो निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं उनका कार्यान्वयन भी जिलाधिकारी और डी0 पी0 ओ0 नहीं करना चाहते। सारे जिले के संसद सदस्य और विधायक यदि सर्वसम्मति से कोई निर्णय करते हैं तो उनको न मानने का कोई कारण नहीं होता।

जिला परिषदों में कोई अनियमितता और भ्रष्टाचार हो और परामर्शदात्री समिति जानकारी करना चाहे तो जिलाधिकारी और डी0 पी0 ओ0 इसमें अपना अपमान समझते हैं। इस प्रकार जो सुविधायें मिलनी चाहिए थीं, चुनाव न करा कर हमने ढील दी है।

मंत्री जी कह रहे थे कि उनकी जानकारी में आया है कि जिला परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्य करें, इसको अच्छा नहीं समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आल इण्डिया स्पीकर्स कान्फेन्स में यह निर्णय लिया गया है कि जिस किसी कमेटी में विधान सभा के सदस्य, संसद सदस्य बैठें उसकी अध्यक्षता किसी सरकारी अधिकारी को नहीं करनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष थे, मुझे स्मरण है, उन्होंने विधायकों को पत्र लिखा था कि जिस किसी बैठक की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी करें यथासम्भव वे उसमें न जायें। जिलाधिकारी अगर अध्यक्षता करें तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। उनके सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय का पालन अगर जिलाधिकारी नहीं करते हैं तो मैं मांग करता हूं कि उन अधिकारियों से यह पूछा जाये कि वे उस सर्वसम्मति के निर्णय को क्यों टाला जा रहा है।

बदायूं में लगभग 25 लाख रुपया स्कूलों की मरम्मत के लिए गत वर्ष से ऐसे पड़ा है। एक ओर रुपया पड़ा है दूसरी ओर स्कूलों की छतें गिर गयी हैं और जिलाधिकारी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो सर्वसम्मति से निर्णय हों उसकी एक प्रतिलिपि आपके पास आये और अगर वह विकास के लिए हो सर्वसम्मति से होती जिलाधिकारी को कहा जाये कि उसका पालन करे। यथासम्भव में उनका डिस्क्रीशन हो गया और इसीलिए इसका कार्यान्वयन नहीं करते हैं। उनको इतना काम रहता है कि बदायूं नगर में सड़क खराब हैं, स्कूल खराब हैं, 5 लाख रुपया पिछली सरकार ने दिया और वह इसका उपयोग नहीं कर पाये। इसलिए चुनावों को टाला न जायें और यथाशीघ्र चुनाव कराय जायें।

*श्री गुरू प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, स्वायत्त शासन सम्बन्धी जो प्रस्ताव आपके सामने पेश हैं, सदन में समें मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि जब सरकार बनी थी तो बनने के बाद इन संस्थाओं के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विघटन में तो बहुत जल्दी की परन्तु इनके बनाने में क्यों विलम्ब कर रही है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको समय चाहिये, समय की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आज महापालिका और जिला परिषद् में जो परामर्शदात्री समितियां बनी है, जैसी कि गुप्ता जी ने कहा उन परामर्शदात्री समितियों के प्रस्तावों और सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमको परामर्श देनें का अधिकार तो है लेकिन अधिकारी उसको मानें या न मानें, कार्यवाही करें या न करें। हमारे यहां की जिला परिषद् की मीटिंग में वहां के अधिकारियों ने कहा कि शासन के ऐसे आदेश हैं, आदेश भी दिखाया कि आपके परामर्श को मानने के लिये यहां के अधिकारी बाध्य नहीं हैं। इस प्रकार का आदेश पालन शासन से गया है और इस आदेश के बावजूद भी आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। यह जनतंत्र के साथ अन्याय है, जन प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी अवहेलना है।

दूसरी बात यह है कि जिला परिषदों में जो परामर्शदात्री समितियां हैं, वह समय-समय पर परामर्श देती हैं। आप जानते हैं कि जिला परिषद् समय-समय पर यह सलाह देती है कि प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, इनको बनना चाहिये। उनको बनाने के लिये एक रूरल इंजीनियरिंग विभाग कायम कर रखा ह। वह उनको बनायेगा और बेसिक शिक्षा परिषद् इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। यह काम जिला परिषद् करता था। आज यह तीन भागों में है। इस तरह सारी व्यवस्था अव्यवस्थित है। जब तक इस व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का काम ठीक नहीं होगा। हमारे एक भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे हैं और एक भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया कि चुनाव कराये जायें। यह जनतंत्र की हत्या है, जनतंत्र की अवहेलना है। हमारी मांग है कि यह मंत्री जी यथा व्यवस्था करेंगे, कि स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला परिषदों, नगरमहापालिकाओं और टाउन एरिया के चुनाव जल्दी से जल्दी हो जायें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि और सभी जानते हैं कि यह जो संस्थायें हैं, यह हमारी आजादी और स्वायत्त शासन की मौलिक संस्थायें हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, कोई भी विधान हो, हर एक में यही माना गया है कि यह मौलिक संस्थायें हैं। यहां पर जनतंत्र की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक सभी ने इसको माना है। खेद है कि पिछले ढाई वर्षों से हमारे प्रदेश में यह चुनाव टालते जा रहे हैं। एक नारा विकेन्द्रीकरण का देते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो ग्राम पंचायत स्तर तक हो, लेकिन उसके विपरीत सत्ता लखनऊ में केन्द्रित होती चली जा रही है। छोटे-छोटे काम भी लखनऊ के इशारे पर होते हैं। सहारनपुर जिला परिषद् की 5 महीने से कोई परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं हुयी। 12 हजार रुपये मरम्मत के लिये मंजूर किया गया था जिसमें 10 हजार रुपये राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, ज्वालापुर के लिये और 2 हजार रुपया बहादुरपुर जट ग्राम की प्राइमरी पाठशाला के लिये मंजूर हुआ था, लेकिन जिला परिषद् और गवर्नमेंट दोनों में टकराव है। गवर्नमेंट कहती है कि हम मरम्मत नहीं करायेंगे क्योंकि भवन हमारा नहीं है और जिला परिषद् कहती है कि हम मरम्मत नहीं करायेंगे क्योंकि विद्यालय सरकार का है। इस प्रकार से विद्यालय बरबाद हो रहा है, उसकी बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, लेकिन मरम्मत नहीं हो पा रही है।

[श्री राजकुमार शर्मा]

नगरपालिका के अधिकार भी इसी प्रकार से छीने जा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण के बजाय केन्द्रीकरण हो रहा है। बेसिक प्राइमरी स्कूल सरकार ने ले लिये। बिजली सरकार ने ले ली। जल आधा ले लिया है। केवल एक काम नगरपालिकाओं के लिये छोड़ा है वह है झाड़ देने और नालियां साफ करने का। इसमें भी कमी की जा रही है। बजट बन कर आता है, जन प्रतिनिधियों की कोई संस्था नहीं है, इसलिये डी0 एम0 और कमिश्नर रकम काट देते हैं। हमारे यहां नगरपालिका के 40 हजार रुपये कम कर दिये गये। नालियों की सफाई और झाड़ू के लिये रखा गया था लेकिन वह पैसा काट दिया है। 1935 में स्वीपर्स का जो आंकड़ा था वह बराबर चला आ रहा है। 1935 से लेकर आज तक डेढ़ दर्जन नयी कालोनियां बन गयी हैं, पहले हरिद्वार की आबादी 6 हजार थी और आज 1 लाख से ज्यादा हो गयी है, लेकिन स्वीपर्स की व्यवस्था सन् 35 के अनुसार ही है। पिछले डेढ़ दो साल से नगरपालिका के अधिकारियों ने मांग की है कि स्वीपर्स की तादाद बढ़ायी जाय लेकिन सेक्रेटेरियट के दफ्तर तक जाकर कागज गुम हो जाता और स्वीकृति नहीं दी जाती है।

म निवेदन करूंगा कि हरिद्वार नगरपालिका में स्वच्छता के संबंध में जो प्राविधान किया गया है उसको सरकार स्वीकार करे और नगरपालिका के अधिकारियों ने जो मांग की है उसको सरकार स्वीकृति प्रदान करे। परामर्शदात्री समिति जो है उसमें अफसरशाही का बोलबाला है। परामर्शदात्री समिति में जो प्रस्ताव पास होते हैं उनको, खटाई में डाल दिया जाता है, उन पर अमल नहीं होता है। इसलिये जो कुछ हम करते हैं वह नहीं के बराबर हो जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे जिले सहारनपुर की परामर्शदात्री समिति के जो प्रस्ताव हैं उन पर अमल करने के लिये आप डी0 एम0 को लिखें और नगरपालिका ने जो प्रस्ताव स्वच्छता के लिये भेजा है उनको स्वीकृत कर भेजें। मुझे आश्चर्य है कि अर्द्ध कुम्भ मेले के लिये जो बजट भेजा गया था, 40 लाख रुपये का उसमें काट दिये गये हैं और केवल 35 लाख मंजूर किया गया है और 15 लाख और मंजूर किया गया है। पहले 97 लाख रखा गया था। अगर अर्द्ध कुम्भ मेले में दुर्व्यवस्था हो गयी और कोई महामारी आदि हो गयी तो इसका दायित्व सरकार पर होगा और उन अधिकारियों पर होगा जिन्होंने रकम को काट दिया ह। मैं आंशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जायगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है। लक्ष्मण जी के ऊपर तरस भी आता है। क्योंकि यह इतिहास हो गया है, माननीय गणेश दत्त बाजपेयी को पेश करने का मौका मिला तो उनकी छुट्टी हो गयी। मालवीय जी ने जब समय मांगा तो उनका भी तबादला हो गया। पांडेय जी को मौका मिला तो उनका भी तबादला हो गया। उसके बाद बोस जी को मौका मिला तो उनका भी पत्ता साफ हो गया। आज आपका नंबर आ गया है और इस समय आप मुख्य मंत्री से भी जुड़े गये हैं। आपने यह जो एश्योरेंस दिया है तो यह गर मुमकिन ह कि आप चुनाव करा द। क्यों? आपने 9 अगस्त, 1980 तक का समय मांगा है। जिला परिषद् के चुनाव के लिये कौन सी शर्त है कि चुनाव करा देंगे। ग्राम सभा का चुनाव हुआ ही नहीं ह। अशोक मेहता की कमेटी की रिपोर्ट पर शासन ने अभी फाइनल फैसला लिया नहीं। डाइरेक्ट चुनाव होंगे या इनडाइरेक्ट चुनाव होंगे क्षेत्र समितियों के, कुछ पता नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके चुनाव डाइरेक्ट होंगे या इनडाइरेक्ट होंगे कुछ पता नहीं है । फरवरी का महीना चल रहा है, 9 अगस्त तक का समय मांगा है, जून के बाद बरसात शुरू हो जायगी तो कौन से तरीके से आप इन चुनाओं को सम्पन्न करा देंगे ।

श्रीमन्, मुझको ऐसा मालूम हो रहा ह कि इन डाइरेक्ट चुनाव की बात मंत्री जी कहते हैं, लेकिन जब इधर आ जाते हैं तो डाइरेक्ट चुनाव की बात सोचन लगते हैं । सन् 1977 में जब आप बैठें तो पिछले इतिहास को सामने रख कर आपने डाइरेक्ट चुनाव के लिये कहा, लेकिन आप फिर कहने लगे कि अब इनडाइरेक्ट चुनाव के बारे में शासन सोच रहा ह । अगर समय ऐसा ही चलता रहा और उधर से उधर आ गये तो फिर आप कहने लगेंगे कि डाइरेक्ट चुनाव होंगे । यह चुनाव इनके बस की बात नहीं ह । अगर आप समय न मांगते और यह कहते कि जब तक शासन चुनाव न करा ले तब तक का समय दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होता । अब लक्ष्मण सिंह जी की बारी ह, देखिये वह कहां तक सफल होते हैं ।

मैं एक चीज के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक कहावत है कि "भूख न देखे झूठा भात" देहाती मसल है । प्रजातंत्र के अन्दर जो लोग हैं उनकी अलग-अलग स्टेजेज उसके अन्दर होती हैं । कुछ लोग ग्राम सभा के चुनाव में इच्छुक होते हैं, कुछ जिला परिषद् और कुछ म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं। श्रीमन्, यह सब आपने कराये नहीं जिसका नतीजा हुआ कि यह लोग भूखे हो रहे हैं । इसका नतीजा हुआ कि लोक सभा के चुनाव में 30–30 उम्मीदवार खड़े हुये । वह सभी लोग जो भूखे बैठे थे पार्लियामेंट के चुनाव में उम्मीदवार हो गये । अगर ग्राम सभा के चुनाव होते तो कुछ लोग उसमें ऐडजस्ट हो जाते, कुछ जिला परिषद् में ऐडजस्ट हो जाते और कुछ क्षेत्र समितियों में ऐडजस्ट हो जाते, लेकिन वह आपने कराये नहीं और जिला परिषद्, म्युनिसिपल, टाऊन एरिया सारी चीजों को भंग कर दिया जिससे यह महसूस हुआ कि किसी चीज को बनाना कितना कठिन है और बिगाड़ना कितना आसान है । इसलिये आपने जो चीजें बिगाड़ी हैं उसको दुबारा नहीं बना पायें हैं ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने क्षेत्र समितियों के बारे में कहा है कि क्षेत्र समितियों का मामला गंभीर ह, इसलिये मुख्य मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए जब वह अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) थे तो आपका पत्र पहुंचा कि इस संबंध में माननीय सदस्यों को ऐसी मीटिंगों में भाग नहीं लेना चाहिये जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश करें, यह बात स्पीकर्स कांफ्रेंस के आधार पर कहा था । क्षेत्रीय समितियों का अध्यक्ष जिलाधिकारी है । इन समितियों में हम सब लोग मेम्बर होन के नाते बुलाये जाते ह । य समितियां ऐसी हैं जिनसे हमारे क्षेत्र के विकास का संबंध होता ह । इसलिये उसमें यदि हम नहीं जाते हैं, मुख्य मंत्री जब अध्यक्ष थे तब के पत्र का पालन यदि करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वह पिछड़ जाते हैं और दूसरे लोग जो वहां पहुंच जात हैं, उनके सुझाव के अनुसार, उनके क्षेत्र के विकास के लिये मिलेगा । इसलिय जिला परिषदों की स्थिति गम्भीर हैं और शिक्षा मंत्री ने आज बताया है कि इस सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण सिंह की मदद लेना पड़ेगा ।

मान्यवर, मुरादाबाद में, हमारे क्षेत्र में, भोजपुर में जिला परिषद् का जूनियर हाई स्कूल था जिसको कमिश्नर ने अपग्रेड करके हाई स्कूल किया । स्कूल की 30 एकड़ जमीन गांव वालों ने दिया है । मान्यता समिति का प्रस्ताव ह कि 80 हजार रुपए की स्कूल के

[श्री रियासत हुसैन]

लिए आवश्यकता है। लेकिन जिला परिषद् के पास आय के साधन न होने से इतना पैसा नहीं है। इसलिए जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किया कि इस स्कूल का प्रान्तीकरण कर दिया जाय। लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि नियम बन गया है कि प्रस्ताव ग्रामीण विकास, जिला परिषद् के विभाग के थ्रू आना चाहिए। इसलिए जो बिल दिया है उसमें चुनाव म्युनिसिपलटीज के 30-9-80 तक और ग्राम सभाओं के चुनाव 9-8-80 तक होने हैं। दोनों को आपने जोड़ लिया है। इसलिए मैं श्री राम आसरे वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि यह मामला बड़ा गम्भीर है--डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट इलेक्शन का, 18 साल की उम्र का और अशोक मेहता कमेटीज की संस्तुतियों को पालन करने का, क्योंकि रिसोर्सेज लोकलबाडीज के क्या होंगे यह मुख्य बात है।

फिर ये समय मांगेंगे इसलिए अच्छा होगा कि दो साल का समय ले लीजिए और इसे प्रवर समिति को भेज दीजिए। वहां पर ऊदल जी हैं, और सब लोग हैं, सारी चीजों पर, डाइरेक्ट-इन-डाइरेक्ट के कम्पलीकेटेड इश्यू पर समिति विचार कर लेगी। टाइम तो आप मांग ही लेंगे, एक साल और बढ़ा दीजिए, 6 महीने बढ़ा दीजिए। इसलिए आप दो साल का टाइम ले लीजिए और इसे प्रवर समिति को भेज दीजिए जो बैठकर इस पर विचार करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, जो संशोधन माननीय राम आसरे वर्मा जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

भाई रियासत ने ठीक ही कहा है। अब लक्ष्मण सिंह जी के हाथ पड़ गया है। अब इसको कहां तक यह करा पायेंगे इसमें तो शंका है। अब तक बहुत से बहाने भी थे, क्यों कि सरकार की मिसचीफ भी थी कि 18 साल के लोगों को मताधिकार का अधिकार देंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि लिस्ट बन गई है थोड़ी बहुत त्रुटि है, जो वार्डों की समस्या है वह भी हल कर ली गयी है। डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट का मामला तो बाद में आया है। इसके पहले डाइरेक्ट हो गया था। इनडाइरेक्ट का मामला तो बाद में विचाराधीन होगा सरकार के। मेरा अपना ख्याल है कि डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट का मामला जो है उसमें डाइरेक्ट को जो स्वीकार कर लिया था वह गलत था मेरी राय में क्यों कि पिछला अनुभव यह बताता है कि मेम्बर किसी दल के और चेयरमैन दूसरे दल के नतीजा यह होता था कि आये दिन चेयरमैन दूसरे दल के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव लाते थे और सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगाया था कि दो साल तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते इस लिए कि ऐसे लोगों को किस तरह बचायें। इसके बाद इनडाइरेक्ट वाला फारमूला स्वीकार किया गया। इसे माननीय सदन में स्वीकार किया गया और उसे भी बदल दिया गया। मैं समझता हूं कि यह सब गलत हो गया था। ये सब ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी। और सितम्बर, 80 तक श्रीमन्, मेरी राय में नहीं हो सकते।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का कृतज्ञ हूं कि वह इस पक्ष में रहे हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में, गांव सभाओं और जिला परिषदों में चुने हुए लोगों को रखा जाय, उन्हें ये अधिकार दिये जायें। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जितनी ये संस्थायें हैं आज चुने हुए लोगों के हाथ में नहीं रह गई हैं नौकरशाही के हाथों में चली गयी हैं। मैं समझता हूं कि हम इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार प्रजातन्त्र का सम्मान न कर उसका तिरस्कार कर रहे हैं । इस गलती को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए ।

अब सितम्बर, 80 तक की बात है । अभी तो गांव सभा के बारे में कोई प्लानिंग

(व्यवधान)

लक्ष्मण सिंह जी ने मिला दिया । यह बड़ा अच्छा काम किया । बोस जी के जमाने में अलग होते थे, स्वायत्त शासन मन्त्री अलग करते थे, इसे इन्होंने मिला दिया, मैं धन्यवाद देता हूं । इसलिए भी कि विधान परिषदों का भी चुनाव मिला-जुला होता है । जनता के अन्दर जो ख्याल बन रहा है वह बन रहा ह । सितम्बर तक चुनाव नहीं करा पायेंगे क्योंकि गांव सभाओं के चुनाव में 5, 6 महीने का समय लगेगा । म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नगर महापालिकाएं हैं उनके लिए आप चुनाव सितम्बर तक करा दें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है । इससे कम से कम जनता के अन्दर कुछ तो आपकी छवि निखरेगी कि आप चुनाव के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति जागरूक हैं । गांव सभाओं का चुनाव आप अप्रैल मई में करा दें । इस प्रकार जो आप समय ले रहे हैं उसके दौरान आप गांव सभाओं का चुनाव करा दें । स्वायत्त शासी संस्थाओं के बारे में जो दिक्कतें हैं वे गांव सभाओं के सम्बन्ध में नहीं है । ब्लाक प्रमुख भी वहां नहीं है, बी0डी0सी0 भी वहां नहीं है इसलिए गांव सभाओं के चुनाव के बारे में आज ही आप घोषणा कर दें आप भी वही कर रहे हैं जैसा इधर के भाई करते रहे हैं । चार्ज उनका यह है कि अगर हम को मौका मिल जाय तो हम चुनाव ही नहीं करायेंगे लेकिन जो इस वक्त डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, उनसे नहीं बल्कि जो डेमोक्रेसी के अलमबरदार है उनसे मैं मांग कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

ऐसे लोग ये आ गये हैं जो आपके वक्त के नहीं हैं । वर्ना कुछ सीखे होते । सच्चे तो हो ही नही सकते । संगत के गुण अवश्य आते हैं जैसे इनके नेता होगे वैसे ही गुण इनमें आयेंगे ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

आप ने भी तो काफी संगत की थी ?

श्री ऊदल---

उसी का फल हमने भोग लिया है । जैसा रियासत साहब ने कहा बार-बार वादा करना और पूरा न करना ठीक नहीं ह । एक बार दो तीन वर्ष का समय ले लें तो वह ठीक होगा, लेकिन बार-बार वादा खिलाफी से छवि धूमिल होती है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

हसीनों की आदत है वादा करके मुकर जाना ।

श्री ऊदल---

हम तो उसमें हैं "वादा किया तो निभाना पड़ेगा" । उसी का खमियाजा भी हमने भुगता है, मेरी पार्टी ने भी भुगता है । जिनका साथ निभाया उन्होंने हमारे साथ गद्दारी कर दी ।

श्री अधिष्ठाता---

आप और सोहन वीर सिंह जी आपस में तय कर लें ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभाओं के चुनावों के लिए तो आप तिथि अलग से निश्चित कर दें और जो टाइम आपने इस पर मांगा है, उसे तो पास कर ही दें। गांव सभाओं की आप आज ही घोषणा कर दें।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि चुनावों को बार-बार स्थगित करना एक अच्छी परम्परा नहीं है मुझे इस बात का भी खेद है कि ढाई साल के अर्से में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के चुनाव जून तक कर दिये जायेंगे और जितनी अवधि हमने बढ़ाने की यहां पर मांग की है उसे आगे नहीं बढ़ायेंगे। नगरपालिकाओं के चुनाव, टाउन एरिया के चुनाव, नोटीफाइड एरिया के चुनाव, नगर महापालिकाओं के चुनावों की जो निश्चित अवधि रखी है उसके अन्दर ही सम्पन्न करायेंगे क्योंकि समय पर चुनाव न होने से जनता के अन्दर भी अविश्वास पैदा होता है और चुनाव होने से स्वस्थ परम्पराएं पैदा होती ह। लेकिन यह जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है जो राम आसरे जी ने रखा है उससे तो चुनाव कराने में और देरी होगी। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के चुनाव, उसके बाद ब्लाकों के चुनाव और फिर उसके बाद जिला परिषदों की क्या रूपरेखा हो इन सबके बारे में आपने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। जो सम्मेलन हुआ था, जो अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश थी उससे हम लोग सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि ब्लाक तोड़ दिए जायं क्योंकि वे बहुत दिनों से स्थापित हैं। उनको तोड़ना उचित भी नहीं लगता था। तो श्रीमन, यह एक निर्दोष बिल है जिसमें केवल समय की वृद्धि की बात है और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जून तक चुनाव करा दिए जायेंगे। इसलिए मैं राम आसरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि इस पर काफी चर्चा हो गयी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। अभी माननीय मन्त्री जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के बारे में सुझाव आ चुके हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जिले में जो सहकारी समितियां हैं वे कायम रहें किन्तु केवल इतना कर दिया जाय कि जो जिलाधिकारी हैं, प्रशासक हैं वह इस समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे और समिति की अनुशंसाओं को करने का उत्तरदायित्व उसको होगी। मान्यवर आज कोई सदस्य इस पर राजी नहीं होगा कि वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वहां पर बैठे। शासन ने यह ठीक ही किया है। आज प्रशासक इन बठकों में नहीं आते हैं। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ह। इसलिए उसके सचिव के रूप में वह कार्य करे और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वियन करे। दूसरी बात यह है कि अभी मन्त्री जी बोल रहे थे लेकिन कहीं भी अधिनियम में प्राविधान नहीं है कि प्रशासक अपनी शक्तियों को प्रतिनिहित कर सकेगा। मैंने उनको दिखाया था और उसमें सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि जिलाधिकारी को प्रशासक के नाते जो शक्तियां दी गयी हैं, उन शक्तियों को किस वक्त एक अधिकारी को वह डलीगेट कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं उसमें कोई अनियमित काम नहीं है और मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे और अध्यक्ष भविष्य में इस तरह से काम करेंगें जिससे दोनों का कार्यान्वियन हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और वर्मा जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने का अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इनका वापस होगा मैं वापस नहीं ले रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आदर के साथ कहना चाहता हूं उन्होंन केवल यह आश्वासन दिया है कि चुनाव यथा समय हो जायेंग लेकिन उसके साथ कई और मुद्दे हैं जैसे जिला परिषदों की रचना का और उसकी सलाहकार समितियों के बारे में जो सुझाव आय हैं। यदि उनके बारे में यह आश्वासन प्राप्त हो जाय कि प्रशासन सचिव की हैसियत से काम करेगा और सलाहकार समितियों की अनुसंशाओं का पालन करना जरूरी होगा।

श्री बनारसी दास—

जो सलाहकार कमेटियां हैं उनके बारे में हम इस बात का निर्देश देंगे कि यदि उसमें विधायक हैं तो जो सबसे उम्र में बड़ा हो वह अध्यक्षता करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वह तो अब भी हैं, मैं मुख्य मन्त्री जी को स्मरण करा दूं कि जो गैर सरकारी सदस्य उनमें से होगा, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो अनुशंसाएं होती हैं उनका पालन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि बैठकें नही होती। तीन महीने का उदाहरण मैन सीतापुर का दिया और माननीय श्याम सुन्दर गुप्त जी तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा तो यह बन्धन हो जाय कि 3 महीने के भीतर बैठक होगी। अभी तक प्रशासक बैठक में नहीं आते। मैंने सीतापुर का मामला सदन में भी उठाया था। प्रशासक कहते हैं कि जाना जरूरी नहीं है, बरेली जिले का भी यही मामला है। तो अगर तय कर दें कि कोई भ्रष्टाचार का मामला सामन आए, अनियमितता का मामला आये और हमने कहा कि सब कमेटी बना दी गयी लेकिन प्रशासक सब-कमेटी में काम नहीं करते। मैं चाहता हूं कि हमारी अनुसंशाओं का कार्यान्वयन किया जायगा और प्रशासक सचिव की हैसियत से विराजमान होकर हमारी आलोचनाओं को सुनेगें।

श्री बनारसी दास—

इसका मतलब हुआ कि कोई अध्यक्ष मनोनीत किया जाय। इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जिला परिषदों या समितियों में मनोनीत व्यक्ति किए जायं। तो इसमें फिर दलगत राजनीति का प्रश्न आ जाता है जिसमें बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ होंगी। इसी प्रकार नगरपालिकाओं में भी मनोनीत अध्यक्ष मुकर्रर होंगे। लेकिन जो सलाहकार समिति के निश्चय हैं अगर उनके परिपालन में कठिनाई आती हैं तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसका इलाज भी यही है कि ग्राम सभा या नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र हों तब यह कठिनाई दूर हो सकती है। उसमें जिला परिषद् के सचिव अलग हैं और विकास अधिकारी भी हैं। इस वक्त जिस परिपेक्ष्य में हम बात कर रहें हैं उसका एक मात्र निदान चुनाव है और चुनाव प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

गुप्त जी, क्या अब आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी मंशा का समाधान नहीं हुआ इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं। मैं निरनुमोदन के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन का प्रस्ताव करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, को वापस लेन की अनुमति दी जाय।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

चूंकि संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण हो गया, तो जिन माननीय सदस्यों ने इसे दिया था उनकी सबकी ओर से यह है। अब आप विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जैसा सबको आश्वासन दिया है, वैसा ही रियासत साहब को भी दे दें तो वह मान जायं।

श्री रियासत हुसैन—

सिर्फ आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है जबकि उनका कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। फिर इसमें तो और भी कई चीजें हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी सबके विचारों में सारी चीजें यहाँ आ गयीं और माननीय वर्मा जी ने अपना प्रस्ताव वापस लेन की बात कही है तो प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे वर्मा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन

विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

(2) यह 4 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1977 की धारा 2 और 3 का संशोधन ।

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 और 3 में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष की अवधि" आये हों, उनके स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980 तक" रख दिए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन ।

3—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1979" के स्थान पर, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" रख दिए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन ।

4—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, अंक "1979" के स्थान पर, अंक "1980" रख दिए जायेंगे ।

निरसन और अपवाद ।

5—(1) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980

*परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

इसमें मान्यवर, थोड़ी सी कानूनी दिक्कत थी और इसीलिए माननीय सदस्य आगरा श्री श्यामदत्त पालीवाल जी ने विधान सभा के प्रथम सत्र में चौथे सोमवार को यहाँ एक प्रश्न किया था और फिर शासन को एक पत्र भी उक्त सम्बन्ध में लिखा था । होता यह था कि जिन बर्तनों में दूध ले जाया जाता था वह उससे मुक्त होता था । लेकिन वह बर्तन जब खाली हो जाता था, बिना दूध या दुग्ध पाउडर के तब उस पर मालकर लगता था । तो इस कमी को दूर करने क लिए यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है । इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जो ऐस बर्तन हैं, जिनमें दूध का प्रयोग होता है, उनमें भी माल कर से छूट दी जाय । चूंकि एक कर लगा हुआ था और हम उसमें छूट द रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई वाद विवाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं है । और राम आसरे वर्मा जी इसको वापस ले ले ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कौन सा पढ़ रहे हैं ? मोटर गाड़ी वाला मान्यवर, देखें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उसी को तो पढ़ रहा हूं । मान्यवर, स्थिति यह थी कि कराधान अधिनियम के अन्तर्गत जितने बर्तनों में दूध लाया जाता था वह माल कर से मुक्त रहते थे लेकिन जब वह खाली हो जाते थ तो माल कर लगाया जाता था । तो यह व्यवस्था की गयी है कि जितने बर्तनों का इस्तमाल किया जाता है, जब वह खाली हो जाये.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो कार्य सूची मिली है उसके आइटम नं0 15 को देखें । विधेयक की जो प्रतियाँ मिली हैं उसमें ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स का है, उसको माफ करन की बात है । हमको यह दिया गया है और माननीय मंत्री जी कुछ दूसरा पढ़ रह हैं । तो यह मेल नहीं खा रहा है और यही समझ कर हम लोगों ने संशोधन दिए थे ।

श्री अधिष्ठाता—

जो विधयक है वह आपके समक्ष है । यही विधेयक है जो संशोधन के रूप में होगा । वह आपके सामने होगा ।

---

†दिनांक 19 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जिस विधयक को वितरित किया गया है वह ट्रैक्टर ट्राली के सम्बन्ध में है और माननीय मंत्री जी कुछ दूसरा ही पढ़ रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कार्य सूची सं 015 व 16 में है कि परिवहन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये और उसको पारित किया जाय। जो प्रति माननीय सदस्यों को वितरित की गयी है वह मेरे पास उपलब्ध है और उसमें दिया हुआ है मोटर गाड़ी माल कर संशोधन विधेयक, 1980 और उसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बात साफ हो गयी। माननीय मंत्री जी ने अपनी गलती मान ली।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को व्यवस्था का प्रश्न रख लेने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर आप कार्य सूची को देखें। उसमें लिखा हुआ है कि परिवहन मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये। परन्तु माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहें हैं मोटर गाड़ी माल कर संशोधन विधेयक। यह कन्फ्यूजन हो गया है मेरे पास जो कापी है उससे। यह कापी मुझे सचिव ने कार्य मंत्रणा समिति में दी थी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इसको रखेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

माल कर वाला आज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको कुछ भ्रान्ति हो गयी है।

श्री देव बहादुर सिंह—

इसको नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो भ्रान्ति है वह सही है। मुझसे भूल हो गयी है। लेकिन यह सही है कि ट्रैक्टर ट्राली के सम्बन्ध में जो विधेयक है उसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि पिछले सत्र में मांग की गयी थी कि जो ट्रैक्टर और ट्राली है उस पर से टैक्स समाप्त कर दिया जायगा। और बाद में, मान्यवर, माननीय विधायकों एवं सदन की इच्छा का आदर करते हुए इस प्रकार का प्राविधान कर दिया गया था कि जो ट्रैक्टर और ट्राली पर कर लगाये गये थे उनको समाप्त कर दिया गया था। इस संबंध में अध्यादेश से यह कर दिया गया था। विधिवत् यह विधेयक माननीय सदस्यों क समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जसा पूर्व मैंने कहा माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए ट्रैक्टर और ट्राली के संबंध में जो उनके ऊपर कर लगाया गया था इस विधेयक में समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है माननीय सदन स्वीकार करने की कृपा करेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

[श्री राम आसरे वर्मा]

इस विधेयक में दो हिस्से हैं। एक तो ट्रैक्टर ट्राली पर जो छूट दी गयी सदन ने पहले ही उसका स्वागत किया था और आज भी उससे सहमत है। लेकिन मान्यवर, इसमें 1 सितम्बर, 1979 के पहले जो टैक्स ट्रैक्टर के बारे में लगा था और बकाया लग गया उसको वसूल करने का प्राविधान बनाये रखा गया और उसके बाद से छूट दे गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ट्रैक्टर मालिक इस स्थिति में होते कि टैक्स का भुगतान कर सकते तो क्या जरूरत थी टैक्स बाकी पड़ा रहता, और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती। जिस प्रकार एक सराहनीय बात की है अगर यह भी स्वीकार कर लें कि जो पहले कर की बकाया है उससे भी मुक्त का आश्वासन दे दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, और प्रवर समिति का प्रस्ताव भी वापस हो सकता है। मैं जानता हूं कि उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत है और उसे प्रवर समिति को भजने का प्रस्ताव है उस पर बोलते हुए मुझे संकोच होता है। वास्तविकता यह है कि इस विधेयक का सर्व सम्मति से स्वागत करना चाहिये और मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियाँ रह गयी हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है और जिनसे जो शासन की मंशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिए उन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक कमी यह रह गयी है, उन्होंने यह बता दिया एक अप्रैल से कर माफ कर दिया और जिन लोगों ने टैक्स जमा कर दिया होगा उनको वापस कर देंगे। लेकिन इस बीच में एक बात और हो गयी जिन लोगों ने बिना टैक्स अदा किए हुए ट्रैक्टर ट्राली चलायी है उनके चालान हो गये होंगे उन्होंने जुर्माने की रकम अदा की होगी अगर विधेयक की इस तरह की मंशा है कि 1 अप्रैल से कोई इसके ऊपर टैक्स था ही नहीं तो मेरे दो सुझाव हैं --- इस बीच में यदि कोई मुकदमें चालू हो गये हों तो उनको वापस करने की सूचना दे दी जाय। जिन काश्तकारों पर मुकदमे चालू हो गये वह वापस हो जायेंगे अगर जुर्माने की रकम जमा हो चुकी है तो जैसे टैक्स वापस होगा उसी तरह जुर्माने की रकम भी वापस कर दी जाएगी। जिस उद्देश्य और जिस पवित्र भावना के साथ उत्तर प्रदेश के काश्तकारों का हित देखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे यह दो संशोधन स्वीकार करेंगे। यदि उन्हें सरकार स्वीकार नहीं करती तो स्वाभाविक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाना चाहिए। वहाँ पर प्रवर समिति ठंडे दिल से विचार करेगी और रास्ता सुझाएगी जिससे वास्तव में लाभ हो सके।

*श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने माननीय सदस्यों की भावनाओं और इच्छाओं को अंगीकार करके जो घोषणा की थी कि ट्रैक्टर ट्राली पर जो टैक्स लगा दिया था, उसको माफ कर दिया जायगा आज उसको एक विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किया है। इसे पहले ही उन्होंने एक अध्यादेश के जरिए से समाप्त कर दिया था। वास्तव में मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इसमें कहा है कि जो टैक्स लगा है, उसको माफ कर देंग, और जो जमा हो गया है, उसको वापस कर देंगे। मेरी यह भी प्रार्थना है कि 1 अप्रैल, 1979 के बाद जो चालान या जुर्माना कर दिया गया है, वह भी समाप्त कर दिया जाय जिससे सदन की जो भावना है, उसका सम्मान हो सके। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि माफ करने के दिनाँक से अगर कोई और भी टैक्स लग रहा हो या लगा हो तो उसको भी माफ कर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पहली अप्रैल, 1979 से ट्राली पर से यह टैक्स माफ कर दिया गया था। पहले यह टैक्स 200 रुपया 2 पहियों की गाड़ी पर था और 4 पहियों की गाड़ी पर कुछ और था। जब से सरकार ने माफ करन की घोषणा की है, ऐसे उदाहरण कम हैं कि टैक्स जमा न करने के कारण चालान हुए हों लेकिन हमारे माननीय त्रिपाठी जी बताते हैं कि उनसे ट्राली का टैक्स 600 रूपया प्रति क्वार्टर क हिसाब से लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गल्तियां प्रदश में बहुत सी जगहों पर हुई होंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि टैक्स माफ करने के बाद अगर कहीं पर किसी ट्राली या ट्रेलर वाले से टैक्स आज भी परिवहन के अधिकारी द्वारा वसूला जा रहा हो तो जिस तिथि से माफ किया गया है, उस तिथि स उसका सारा रुपया माफ कर दिया जायेगा और अधिकारियों को तम्बीह कर दी जायगी कि वे आगे भी वसूल न करें और जिन लोगों ने वसूल कर लिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे कुछ अधिकारी आज भी किसानों को तंग कर रहें हैं सरकारी घोषणा के बाद भी। उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज गाँवों में ट्रैक्टरों की तादाद बहुत बढ़ रही हैं इसलिए माननीय मंत्री जी जन भावना के अनुरूप और जिसकी माँग सचमुच में किसान किया करते हैं, उसको ध्यान म रख कर जो इस विधयक को लाये हैं, वह सचमुच स्वागत योग्य है। इस कार्य के लिए मैं माननीय मालवीय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्रीमन्, सदन में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यवत किए हैं उनके सम्बन्ध में एक जीती जागती मिसाल देना चाहता हूं। एक शासनादेश है, माननीय मंत्री जी कृपया नोट कर लें। इसका नम्बर है 6414/टी-30/4(47)-(बी) 78, दिनाँक 24 अक्टूबर, 1979। यह शासनादेश 24-10-79 को भेजा गया है। इसके अन्तर्गत 600 रूपये क्वार्टरली के हिसाब से पैसा वसूल किया जाता है। अभी माननीय सदस्य त्रिपाठी जी ने मुझ बताया है कि उनका खुद का ट्रैक्टर है, उनसे इस शासनादेश के अनुसार वसूल किया जा रहा है। यहाँ सदन के सामन कुछ कहा जा रहा है और सदन के बाहर शासनादेश दूसरे निकल रहे हैं। कम से कम दोनों में मेल तो खाना चाहिये। यह ठीक नहीं है कि यहाँ घोषणा कोई और हो और शासनादेश कोई दूसरे हों। यह तो कानून का खुला उल्लंघन है। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि पुराना टैक्स वसूल करने का जो प्राविधान है उसको समाप्त किया जाये और जो वसूल हो गया है उसे वापस कराया जाये।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, किसानों को राहत देने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की धारा 3 (ख) में स्पष्ट प्राविधान है कि "1 अप्रैल, 1979 को और उसके पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में वसूल किया गया कोई कर, जो इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप देय नहीं होता, वापस कर दिया जायगा"। तो यह स्पष्ट प्राविधान है। इस विधेयक में कहीं भी किसी प्रकार के संशय की गुन्जायश नहीं है। माननीय राजेन्द्र जी ने और माननीय वर्मा जी ने जो कठिनाई बतायी है, वे मुझे कोई उस तरह की शिकायत लिख कर देंगे तो मैं उसे देख लूंगा, उसका निराकरण करूंगा। जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है आपसे अनुरोध है कि इसे पारित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस संबंध में माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि अगर इस संबंध में किसी पर जुर्माना किया गया है वह माफ कर दिया जायेगा और यदि वह वसूल कर लिया गया है तो वापस कर दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अब जुर्माने के संबंध म तो देखना पड़ेगा क्योंकि जुर्माना तो न्यायालय द्वारा होता है। न्यायालय में अगर धनराशि जमा हो गयी है तो वह निकल सकती है या नहीं, इसे देखना पड़ेगा। अगर कर सकत हैं तो इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह तो आपके अधिकारी ही चालान करते हैं और परिवहन विभाग इसके लिये सक्षम हैं। आप यह आश्वासन दे दें कि विधि परामर्शी से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या मंत्री जी, आप कोई आश्वासन देना चाहेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यही कह सकता हूं कि राजेन्द्र कुमार जी के सुझाव के पहलू पर भी सहानुभूति-पूर्वक विचार कर लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहें हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

जी, नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर माड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह ह किउत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायेगा।

(2) यह 24 अक्तूबर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 5 सन् 1935 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1979 को किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(क) अनुच्छेद छः में, शब्द "जिसके अन्तर्गत ट्रेक्टर से सम्बद्ध ट्रेलर नहीं है" निकाल दि जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद नौ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"नौ—ट्रैक्टर—ट्रैक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता हो और जिसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टीकुलेटेड) गाड़ी न बने, उसके द्वारा खीचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये जानें वाले करके अतिरिक्त 100 रुपये प्रतिवर्ष की समान दर से कर।";

(ग) अनुच्छेद दस निकाल दिया जायगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मूल अधिनियम के जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन,—

(क) 1 अप्रैल, 1979 के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में वसूली योग्य कोई कर वसूली योग्य रहेगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो;

(ख) 1 अप्रैल, 1979 को और उसके पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में वसूल किया गया कोई कर, जो इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप देय नहीं होता, वापस कर दिया जायगा।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1979

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री मधुकर दिघे]

मान्यवर, इसमें बहुत ही साधारण प्रकार का प्रस्ताव है, और बजट के दौरान इसकी इस सदन ने स्वीकृति दे दी है। बजट के प्रस्ताव को यहाँ विधेयक के रूप में इसको लाया जाता है, बाद में उसी दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है, जिस पर कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि मैं विस्तार से कहूं। जैसे पद नाम के परिवर्तन के संबंध में स्टाम्प निरीक्षक लोग थे, उनके नामकरण में कुछ दिक्कतें होती थीं। उन्हें हटाने के लिए मुख्य स्टाम्प निरीक्षक को स्टाम्प आयुक्त में बदल दिया गया है। उसी प्रकार से उप स्टाम्प आयुक्त तथा सहायक स्टाम्प आयुक्त के रूप में और उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक या सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के रूप में पदाभिहित करने की बात है। इसी प्रकार धारा 6 के बारे में कहा गया है उसमें भी जो अद्यावधिक नामों का प्रस्तावना करना है, ठीक तरह से एडजेस्टमेंट करने की दृष्टि से, कानूनी या विधिक पद्धति का उसमें अनुकरण किया गया है।

इसमें मुख्यतः जो बात मुख्तारनामे के सम्बन्ध में जो अब तक 75 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उसको पड़ोसी प्रदेशों के अनुरूप करने की दृष्टि से इसमें बढ़ोत्तरी की गई है। यही एक चीज है जो हमने वादा किया था बजट सत्र के समय उसके मुताबिक यह विधेयक में यहाँ प्रस्तुत करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें। मान्यवर, इस विधेयक में जहाँ तक प्रशासनिक नामों का परिवर्तन का अधिकार है पदों की अदला बदली का मामला है उसके सम्बन्ध में किसी को आपत्ति नहीं है। मान्यवर मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि कोई आदमी जो निर्धारित मात्रा में स्टाम्प की चोरी करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही न की जाय, उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न की जाय उसको पकड़ा न जाय। (इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) यानी जो भ्रस्टाचार तरीके से स्टाम्प की चोरी करता हो उसको सजा न दी जाय। लेकिन मान्यवर सरकार ने जो अपनी आय बढ़ाने के लिये धन को बढ़ाने के नाम पर स्टाम्प की वृद्धि की गई है उसमें विचार करना आवश्यक है कि जो सेवायें हम देते हैं जो व्यवस्था करते हैं और जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि पड़ोसी प्रदेशों के अनुरूप हम वृद्धि कर रहे हैं तो मान्यवर यह देखना पड़ेगा कि जो फीस बढ़ रही है वह कितने प्रतिशत बढ़ रही है, जब कोई आदमी वहाँ जाता है तो उसको क्या सुविधायें प्रदान करते हैं, क्योंकि मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कम से कम में ट्रांसफर हो। मान्यवर, 15 दिन के अन्दर प्रवर समिति इस बात पर गम्भीरता और युक्तसंगत रूप से इस बात पर विचार कर लें कि सरकार को जो वृद्धि का अधिकार दिया जा रहा है वह न्याय संगत है और सही रूप में खर्च हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इन सब बातों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को भज दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष, हमारे साथी माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि जहां तक पद नामों को बदलने की बात है हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमन् मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मुझे सख्त आपत्ति है। जब से आयुक्त की बीमारी हमारे उत्तर प्रदेश में चली, आप चाहे किसी कार्यालय में चले जायं इस सचिवालय में सैकड़ों आयुक्त हो गये हैं, यह पहले बड़े विभागों में आयुक्त पद रखे गये और अब छोटे-छोटे विभागों में भी रखे जा रहे हैं। पद बढ़ाने से सम्मान बढ़ेगा, सुविधायें बढ़ेंगी और उससे खर्चा बढ़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मैं इन पदो का नाम बढ़ाने का घोर विरोधी हूं। इसलिये समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। मान्यवर, आप देखें इस प्रदेश में अफसरों के पद बढ़ रहे ह लेकिन चपरासियों की छटनी हो रही है, क्लर्कों की छटनी हो रही है बड़े-बड़े पदों का अनेकानेक अतिरिक्त डायरेक्टर, अतिरिक्त अभियन्ता और अन्य बड़े पदों का सृजन किया जा रहा है, उससे शासन के ऊपर अतिरिक्त व्यय भार बढ़ रहा है, इसलिये मैं इन पद नामों को बदलने का विरोध करता हूं और कहता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय। माननीय वित्त मंत्री जी एक किसान नेता रहे हैं और इन्होंने किसानों के लिये बहुत काम किया है। इनको पता होगा कि हमारे क्षेत्र बलिया एवं स्वयं माननीय मंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर में कई नदियां घाघरा जैसी पड़ती है। अतः इन क्षेत्रों में भूमि ऊबड़-खाबड़ तथा बलुई है, जिसके कारण ऐसी भूमि का मूल्य भी कम हैं। 4–5 सौ रुपये एकड़ लगभग ऐसी जमीनों का मूल्य है। शासन के नियमों के अन्तर्गत 18 हजार रुपये बीघा के दर से विक्रय शुल्क बलिया जनपद में लगाया जाता है जो दियारे की भूमि के मूल्य से भी अधिक पड़ता है। इसलिए कृपाकर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि इसमें व्यापक सुधार करे।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, यह मूव तो कर दिया गया है मेरी ओर से।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मूव हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष––

मूव हो चुका है, पहले इस पर आप बोल लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं। वह मैं समझता हूं कि जनहित में है और इसको और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर मैं समझता हूं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति में भज दें ताकि इस पर विस्तृत रूप से विचार कर लिया जाए।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, श्री मैनेजर सिंह, जी ने जो प्रश्न उठाया है कि अधिकारियों के पदनाम बदलने या बढ़ाने से, उससे अधिक व्यय भार भी बढ़ता है, इस सम्बन्ध में मैं यह स्थिति साफ कर देना चाहता हूं कि पदनाम बदलने से वेतनमान की बढोत्तरी का प्रश्न नहीं उठता। वेतन नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। जैसे सेल्स-टैक्स कमिश्नर है और मनोरंजन कर कमिश्नर है, इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प कमिश्नर के पद नाम बदल जाने से कोई उनका वेतनमान बदलने वाला नहीं है। जिस बात की तरफ ध्यान माननीय मैनेजर सिंह जी ने आकर्षित किया है, उसे मैं अनुचित नहीं मानता हूं। मान्यवर, ऐसा है कि स्टाम्प ड्यूटी के सिलसिले में कोई आपत्तिजनक निर्णय नहीं लिये गये हैं। इस विभाग के संबंध में पिछले वर्षों में जो प्रश्न उठाये गये, उन आरोपों के बारे मे नहीं जानता। बल्कि इस बार हमारे और हमारे पूर्व श्री त्रिपाठी दोनों ने सरकार के ध्यान में यह बातें लायी गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुये महामहिम राज्यपाल ने घोषणा की है कि रु0 251 से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। दूसरा फैसला यह हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फीस द्वारा जो आमदनी होती है उसे जो इससे संबंधित लोग हैं उनको ठीक तरह से सुविधा देने के लिए खर्च किया जाय उस पर विचार किया जा रहा है और जो सर्विस चार्ज लिया जाता है, उसे सामान्य राजस्व में निहित नहीं होनी चाहिए यह स्पष्ट फैसला हो चुका है इस पर भी विचार किया

[श्री मधुकर दिघे]

जा रहा है कि इस पैसे का सदुपयोग जनहित में वैसे किया जाये। फिर इसमें कमी बेशी की जाये इस पर भी विचार किया जा रहा है । नियमों के अनुसार भूमिधरी हक जिनके पास है उसमें जो लगान लगता था उसमे विचित्र स्थिति पैदा हो गयी। ऐसी बहुत सी जमीने है जिनकी कीमत कम है लेकिन बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है। इसको वैसे सुधारा जाय इस पर विचार हो रहा है । इसलिए मैं जो प्रस्तत कर रहा हूं बिल इसमें इतना है कि जो पड़ोसी प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी है उसमें और हमार यहां में फर्क है। इसके बारे में पड़ोसी प्रदेशों ने जैसे उनके यहां स्टाम्प ड्यूटी कम थी तो उनके यहां बैनामा हो जाता था और अब हमारे यहां कम है तो बैनामा हमारे प्रदेश में हो जाता है ? अब दूसरे प्रदेशों को शिकायत है कि आपके यहां कम है इसलिए आपके यहां हो रहे हैं। इसको ध्यान में रख कर समकक्ष बनाने के लिए मैं विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र जी ने और श्री मैनेजर सिंह ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके लिए जो चार्ज 8 सौ गुना लगाया जा रहा है इस संबंध में विधायकों ने भी कहा है, इस पर अलग से विचार किया जा रहा है। जो स्टेम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वसूल होती है उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक कैसे खर्च किया जाय इस पर की विचार कर रहा हूं। अतः मरा निवेदन है कि जो प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें और जो बजट सत्र में कहा गया था उसके अनुरूप मैंने यह विधयक प्रस्तुत किया है इसे पास कर दिया जाय।

श्री मैनेजर सिंह—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आयुक्त स्टैम्प का पद सृजन करने जा रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि जो आयुक्त का स्वीकृत पद है उसमें से एक की बढ़ोत्तरी तो नहीं हो जायेगी ? यदि होगी तो व्यय बढ़ेंगे। जो आई० ए० एस० आफिसर है उसमें एक और बढ़ा दिया है ?

श्री मधुकर दिघे—

नहीं, यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रस्ताव रख दें । हर सदस्य को मौका मिलेगा अपनी राय प्रकट करने का ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 13, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 10 तुरन्त प्रवृत्त होगी, उसकी धारा 11 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और शेष धारायें 21 नवम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी।

अध्याय 2

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का संशोधन

अधिनियम संख्या 7, सन् 1870 की

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में—

धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 या यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट 1901" के स्थान पर शब्द "मौलिक अधिकार या भू-राजस्व से संबंधित किसी विधि" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 6-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (3) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 6-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6-ख में, उपधारा (1) में, शब्द "मुख्य निरीक्षक, स्टाम्प" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 24-क का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 24-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

न्यायालय शुल्क पर नियंत्रण और स्टाम्प आयुक्त

"24-क—(1) इस अधिनियम के अधीन फीस का उद्ग्रहण मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण में होगा जिसके पर्यवेक्षण में उसकी सहायता स्टाम्प आयुक्त द्वारा और उतने अपर स्टाम्प आयुक्तों, उप स्टाम्प आयुक्तों और सहायक स्टाम्प आयुक्तों द्वारा जितने राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अन्य अधीनस्थ अभिकरण द्वारा की जायगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी और अभिकरण की पहुंच सभी अभिलेखों तक होगी, और उन्हें ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत की जायगी जिसकी वे इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये अपेक्षा करें।"

अध्याय 3

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 33 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में,—

(एक) उपधारा (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36", के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे ;

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् वर्तमान उपधाराओं के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, शंका की दशा म यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायगा और किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भारसाधक समझा जायगा।

(4) जहां संदत्त स्टाम्प शुल्क में कोई कमी किसी लिखत की प्रति से सूचना में आये, वहां कलेक्टर, स्वविवेक से या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उपस्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राजस्व परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्देश पर, मूल लिखत को, उस पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता ह, और कलेक्टर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया लिखत उसके कृत्यों के निर्वहन में उसके समक्ष प्रेस्तुत किया गया या आया समझा जायगा।

(5) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी को, यदि कोई हो,

लिखत की प्रति पर धारा 40 के अधीन शास्ति सहित संदाय करने की अपक्षा करेगा :

परन्तु यह कि लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।"

धारा 35 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 35 में, परन्तुक में, खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर शब्द और अक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे ।

धारा 47–क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 47–क में, उपधारा (4) में, शब्द "मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप-स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राजस्व परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 61 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 73–क का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 73 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा ी जायगी, अर्थात्—

परिसर में प्रवेश करने और कतिपय दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी को प्राधिकृत करने की कलेक्टर की शक्ति ।

73–क—(1) जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 5 और 43 में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या गलत रूप से प्रभारित किया गया है, वहाँ वह किसी अधिकारी को किसी परिसर में, जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखत से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागजादि, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हैं, प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने और ऐसे टिप्पण या उद्ग्रहण (जिसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे) लेने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा या अनुरक्षण में ऐसा रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख कागजादि दस्तावेज या कार्यवृत्त हो, सभी सुसंगत समयों पर ऐसे अधिकारी को उनका निरीक्षण करने देगा और जो टिप्पणी और उद्धरण वह आवश्यक समझे, लेने देगा" ।

अनुसूची 1–बी का संशोधन

11—मूल अधिनियम की अनुसूची 1–बी में,—

(क) अनुच्छेद 15 (बन्धपत्र) में, उचित स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित स्तम्भ में, निम्न सारिणी के स्तम्भ–1 में दिये गये शब्दों के स्थान पर

क्रमशः उनके सामने निम्न सारिणी के स्तम्भ–2 में दिये गये शब्द रख दिये जायेंगे

स्तम्भ–1 (वर्तमान शब्द)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले शब्द)
पैंतालिस पैसे	पचास पैसे
एक रुपया	दो रुपये
तीन रुपये पचहत्तर पैसे	चार रुपये पच्चीस पैसे
सात रुपये पचास पैसे	आठ पये पचास पैसे
ग्यारह रुपये पच्चीस पैसे	बारह रुपये पचहत्तर पैसे
पन्द्रह रुपये	सत्रह रुपये
अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे	इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे
बाइस रुपये पचास पैसे	पच्चीस रुपये पचास पैसे
छब्बीस रुपये पच्चीस पैसे	उन्तीस रुपये पचहतर पैसे
तीस रुपये	चौतीस रुपये
तैंतीस रुपये पचहतर पैसे	अड़तीस रुपये पच्चीस पैसे
सैंतीस रुपये पचास पैसे	बयालीस रुपये पचास पैसे
अठ्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे	इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे

(ख) अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण-पत्र) में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित स्तम्भ में, निम्न सारिणी के स्तम्भ–1 में दिये गये अकों के स्थान पर, क्रमशः उनके सामने निम्न सारणी के स्तम्भ–2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे :

स्तम्भ–1 (वर्तमान अंक)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले अंक)
0 पै 0	रु0 पै 0
2.00	4.00
7.50	8.50
15.00	17.00
22.50	25.50
30.00	34.00
37.50	42.50
45.00	51.00
52.50	59.50
60.00	68.00
67.50	76.50
75.00	85.00
37.50	42.50

(ग) अनुच्छेद 48 में, खण्ड (च) में शब्द "किसी अन्य मामले में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"जब एक से अधिक संव्यवहार में अथवा साधारणतया, संयुक्त : और पृथकत: कार्य करने के लिये दस से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय।"

अध्याय 4

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 की धारा 8 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 8 में,—

(एक) उपधारा (1) में शब्द "रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के निरीक्षक" के स्थान पर शब्द "सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक" रख दिय जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "निरीक्षक" के स्थान पर शब्द "सहायक महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1979

13—(1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा भंग करने का कोई औचित्य न होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं श्री श्यामधर मिश्र, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री हरिशचन्द्र, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री देव कुमार यादव का प्रस्ताव कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है, लेता हूं।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर।)

आप बैठ जाइए। मैं दोनों प्रस्तावों को साथ लूंगा। सेहरा जी, आप थोड़ी देर बाद बोलें। एक प्रस्ताव इन लोगों ने दिया था उसको मैंने देख लिया है, उसके ऊपर अपना निर्णय देने जा रहा हूं। दूसरा जो प्रस्ताव है. . . .

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

दूसरा प्रस्ताव कल देखिएगा, इसको ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा प्रस्ताव है कि यह सदन चुनाव आयुक्त से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश मतदाता सूचियों को पूर्णतः संशोधित किये जाने तक किसी भी प्रकार का चुनाव स्थगित रखें। यह प्रस्ताव है इसके ऊपर निर्णय देन जा रहा हूं।

(शोर)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लग।)

श्री सोहनवीर सिह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

दो मिनट हमको सुन लें निर्णय के पहले। एक मिनट आप दे दें। आप व्यवस्था देने जा रहे हैं, यह व्यवस्था रिकार्ड रहेगी। हो सकता है जो आपका विचार हो, उसमें मदद कर सकूं। दो प्रस्ताव आपके सामने हैं। एक सदन के विघटन के बारे में कि वह इसको उचित नहीं समझता दूसरा इसके विपक्ष में है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नियम 103 के बारे में, इसमें यह प्रस्ताव है, जो आपने स्वीकार किया है। नियम 103 आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो स्वीकार किया है, उसके ऊपर. . . .

श्री सोहनवीर सिह तोमर—

आपन सदन में नहीं स्वीकार किया, अपने कक्ष में स्वीकार किया है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निर्णय देने जा रहा हूं।

श्री सोहनवीर सिह तोमर—

व्यवस्था का प्रश्न है। जिस पर आप निर्णय देने जा रहे हैं उस पर व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, दूसरे को बाद में लूंगा। अब यह पहला प्रस्ताव जो यहां ले चुका हूं यह पहले होगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

यह जो प्रस्ताव है यह नियमानुसार नहीं है। ग्राह्यता के लिए अपने कक्ष में सुन लिया दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गुलाब सेहरा जी गलत बोल रहे हैं। आपकी ग्राह्यता को चुनौती दे रहे हैं।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने अपना संशोधन रखा है, जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया है, इसके बारे में वे कुछ कहना चाहते होंगे।

(शोर)

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा केवल इतना कहना है कि यह जो प्रस्ताव है यह नियमावली के अनुकूल नहीं है। नियमावली के नियमों को पूरा नहीं करता।

(शोर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी तक कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। किस प्रस्ताव पर श्री गुलाब सेहरा जी अपना मंत प्रकट करना चाहते हैं। जब प्रस्ताव सदन के सामने आने की आप इजाजत देंगे तो वह आ जाय और तब वैधानिक आपत्ति उठा सकते हैं लेकिन अभी जब प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ है, तो वैधानिक आपत्ति किस बात की।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंन स्वीकार किया है। श्री श्यामधर मिश्र।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैंने यह प्रस्ताव दिया है और निवेदन किया है, जिसकी अनुमति आपने दी है कि नियमों को निलम्बित करके निम्नलिखित प्रस्ताव रखा जाय —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव बहुत सरल और छोटा है।

*श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, अब प्रस्ताव रख दिया है, तो मेरी आपत्ति है कि यह प्रस्ताव वैधानिक नहीं है। इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा की बात सुनने दें।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव रखा है इसमें रखा है कि सदन की निश्चित राय है। तो श्रीमन्, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 105(2) को देखें। उसमें लिखा है कि —उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे। तो जिस बात की कोई घोषणा केन्द्रीय सरकार या गृह मन्त्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा कोई संस्तुति जिस बात की नहीं की गयी है उसकी कल्पना और अनुमान के आधार पर प्रस्ताव के रूप में देना ठीक नहीं है। धारा 105(5) में लिखा है कि "उसमें एसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेंगी जिस पर उसी सत्र में अथवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

पिछले 6 मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो।" श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाऊं कि विधान सभा के डिजालूशन के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्य मन्त्री का उत्तर भाषण जो था वह पूरा का पूरा डिजालूशन के बारे में था और केन्द्र सरकार द्वारा विधान सभा के भंग के बारे में सब बातें कही गयीं। इसलिए सदन में यह चर्चा हो चुकी है और उसमें अब प्रस्ताव आये तो यह कहाँ तक उचित होगा। धारा 105 के (7) में लिखा है कि जो किसी न्यायपालिका के क्षेत्र से या न्यायपालिका के अन्तर्गत हो। श्रीमन्, मैं उसको याद दिलाऊं कि अप्रैल, 1977 में डिजालूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिट की गयी थी। उसमें कहा गया था कि यह कार्य क्षेत्र क्षेत्राधिकारी राष्ट्रपति और संसद का है—डिजालूशन के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है उसके लिए मैंने स्वीकृति दी है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, जब आपने मान लिया तो फिर यह क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

इस प्रदेश में....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें....

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

दोनों पक्षों को सुन कर ग्राह्य किया जाय।

श्री मान सिंह आजाद—

जब आपने मान लिया...

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपन व्यवस्था का प्रश्न उठाया इसकी ग्राह्यता के बारे में.....

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसलिए.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुनासिब नहीं है। मैंने एक फैसला ले लिया।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, आप उदाहरण देख लें।

श्री मान सिंह आजाद—

यह नहीं....

(व्यवधान)

देश के नौजवान, इन्दिरा गाँधी के लोग देश का.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, इस तरह से नहीं.....

श्री ऊदल—

श्रीमन्, किसी प्रस्ताव को आपके द्वारा ग्राह्य करने के बाद....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न जो श्री गुलाब सेहरा ने उठाया मैंने इसे अस्वीकार किया।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा—

जो प्रस्ताव है इसकी शब्दावली. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को सुनना आवश्यक नहीं समझता. . . .

श्री गुलाब सेहरा—

इसलिए यह प्रस्ताव बिल्कुल गलत है ।

श्री मान सिंह आजाद—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

संशोधन तो सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका संशोधन सुना जायगा, पहले चर्चा होने दीजिए ।

*श्री श्यामधर मिश्र—

बहुत धन्यवाद आपको। श्रीमन्, श्री गुलाब सेहरा जी ने बार-बार गलत तर्क किए और आपने अमान्य कर दिए। जो बातें उन्होंने कहीं वे सचमुच अतार्किक हैं और जो इस प्रस्ताव को माना गया वह हमारी समझ से सही बात थी ।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया है वह सदन की भावनाओं को देखते हुए देश के वातावरण को देखते हुए, देश की हालत को देखते हुए रखा है। आप जानते हैं पूरा प्रदेश, देश जानता है कि संसदीय प्रणाली के अन्दर हम काम कर रहे हैं। सन् 52 के बाद ही संसदीय प्रणाली हम पर लागू है। हमारा विधान हमें अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है, विधान सभाओं को अधिकार देता है, प्रधान मन्त्री को अधिकार देता है, हमारे मुख्य मन्त्री को अधिकार देता है। हमारे लेजिस्लेचर को अधिकार देता है। और श्रीमन्, इस तरह से अधिकार देता है कि उसकी धाराओं में एक ही विधान है और उसी के अन्तर्गत 395 धाराओं के अन्तर्गत, एक लिस्ट राज्य सरकार के सम्बन्ध में है, एक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में और फिर एक दोनों के सम्बन्ध में है जिसें कानकरेन्ट लिस्ट कहते हैं। इनकी धाराओं को देख लिया जाय। एक अन्तर धारा निकलती है। अन्तर धारा जिसे कहते हैं, वह यह है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, विधान सभा और संसद, दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के और दोनों को साथ चलना है। दोनों को साथ मिलकर चलना है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से विधान सभाएं भंग की जा रही हैं। मैंने सन् 77 में इसका विरोध किया था। 77 में विधान सभा जब तोड़ी गयी थी तो कांग्रेस की ओर से विरोध हुआ था। वह गलत हुआ था लेकिन 77 में जिस बात का विरोध किया था आज वह सही नहीं हो सकती। कांग्रेस (आई०) के लोग आज उसे सही नहीं कह सकते. . . .

(व्यवधान)

दल तो बदल लिया उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर। हमसे क्यों कहलाते हैं। आज दल-बदलुओं की रानी श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं सन् 1969 से। पहले निजलिंगप्पा को छोड़ा, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। मैं तो उसका भुक्तभोगी हूं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

यह बीमारी चौधरी चरण सिंह ने शुरू की थी इसे तो बतला दीजिए ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मान सिंह आजाद—

सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद ।

श्री श्यामधर मिश्र—

संघीय व्यवस्था में विधान सभा तथा संसद को साथ-साथ चलना है, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि धारा 356 जो संविधान में है केन्द्र उसका साधारण तौर से दुरुपयोग कर रहा है। इस विधान सभा तथा अनेक विधान सभाओं को भंग किया गया था। आज भी केवल अनुमान नहीं है जैसा गुलाब सेहरा ने कहा। रोज अखबारों में निकलता है, केन्द्र में भी बात चल रही है। लोग दौड़ भी रहे हैं और यह अनुमान की बात नहीं है बल्कि वाकयात की बात है। इस पर केन्द्र में विचार हो रहा है, 356 के अन्तर्गत अगर नहीं तोड़ सकते तो किस नियम में तोड़ सकते हैं? अगर किसी नियम में नहीं तोड़ा जा सकता तो फिर अशाँति फैलाइए। इसलिए प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी है। यह जो मनगढन्त अशान्ति है इसको लेकर 356 का प्रयोग न किया जाय। आज काँग्रेस की सरकार केन्द्र में है और यहाँ लोक दल की है। कल जनता की सरकार हो सकती है, कौन जानता है परसों केन्द्र में किस की सरकार होगी। आप नहीं जानते थे कि 78 में काँग्रेस नहीं आयेगी। 85 में एक भी काँग्रेस के नहीं आये थे और इस बार 35 फीसदी काँग्रेस ने वोट पा कर 85 में 51 सीटें पायीं अगर जनता पार्टी ने उस समय विधान सभाएं तोड़ी थीं तो गलत किया था और काँग्रेस तोड़ना चाहेगी तो और भी गलत करेगी। इसलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं और मैं संसद से निवेदन करूंगा कि हालाँकि मैं वहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन मैं यह भी प्रस्ताव लाऊंगा कि इस 356 की धारा को निकाल दिया जाय। जैसे कि यहाँ के मन्त्री लोगों ने गाँव सभाओं, जिला परिषदों और म्युनिसिपैलिटियों को तोड़ दिया है उसी तरह से केन्द्रीय सरकार ने स्टेट एसेम्बलीज को तोड़ा है। मेरा कहना है कि बहुमत और अल्पमत होने पर असेम्बलियों को भंग होना चाहिए और जैसा कि धारा 172 में लिखा है, पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ही उसको समाप्त होना चाहिए। अगर कोई नालायक सरकार आती है या नालायक असेम्बली आती है और जैसा कि आज संसद है, जो साबित हो चुकी है 77 में, तो उसको दो ढाई साल तक और रखिए, जो उसका टर्म है। अगर यह सरकार अकर्मण्य है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, दो वर्ष और देखिए, स्वयं जनता उसको निकाल देगी चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 356 धारा का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रेसीडेंट की पावर को लेकर, प्रोक्लेमेशन को लेकर। मैं समझता हूं कि प्रोक्लेमेशन की पावर इमरजेंसी की पावर है। यह दुरुपयोग की पावर है। यह बड़े शर्म की बात होगी, इसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग होगा। ऐसे ही दुरुपयोग होगा जो आज काँग्रेस वाले खुश हो जायं लेकिन कल वे ही कान पकड़ कर निकाल दिये जायेंगे जैसे कि निकाले गए थे। यह न समझें कि क्या हालत है। मैं भविष्यवाणी करता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ज्योतिषी भी हैं?

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

ये घौंस दे रहे हैं और चैलेन्ज कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

अब वे लोग चुन कर नहीं आने वाले हैं। वह हालत हो गई है। दो वर्ष रह गये हैं। क्यों गुलाब सेहरा जी निकलना चाहते हैं, मन्ना लाल जी निकलना चाहते हैं? कुछ समय और यहाँ पर रहो। माननीय कौशल जी हैं, बड़े खूबसूरत हैं। आगरे से आये हैं इनका बड़ा खूबसूरत चेहरा है। फिर कहाँ देखने को मिलेगा? मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पर दिखाई देते रहें, फिर तो ये आयेंगे नहीं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने को प्रस्ताव तक सीमित रखें।

श्री गुलाब सेहरा—

ये खूबसूरती के चक्कर में पड़ गये।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक गये उसने फैसला किया। मैं नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, मैं नहीं कहता कि प्रेसीडेंट नहीं कर सकता, वे कर सकते हैं और 356 की धारा के अन्तर्गत कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई औचित्य नहीं है। वह गलत है। इसलिए मैं संस्तुति करता हूं कि राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए और वह नहीं करेंगे।

एक सदस्य—

होगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

होगा तो आप स्वयं भोगेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को रखता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री गुलाब सेहरा से)

जो संशोधन आपने भजा था वह समय के बाद आया और दूसरे इसमें कुछ ऐसी असंगति थी जिससे मैंने इसको अस्वीकार किया है। लेकिन आपका यह जो प्रस्ताव सदन में आया है इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपके संशोधन को अस्वीकार कर दिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

मिश्रा जी न पूरे भाषण में मेरे संशोधन का समर्थन किया है। उसी पर मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो भाषण आप देना चाहें वह दें लेकिन संशोधन जो आपका है वह मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री अरुण कुमार—

प्रस्ताव पर जो संशोधन दिया है वह आने दें. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह नियमानुसार नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मिश्रा जी संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण में जो चाहें वह कह दें लेकिन संशोधन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया है। आप अपनी बात कहें. . . . .

(व्यवधान)

इसे मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री अरुण कुमार—

मान्यवर, अभी प्रस्ताव पर सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए जैसा कि हमारे दल के नेता ने अपनी भावना व्यक्त की कि यह प्रस्ताव अपने आप में एक काल्पनिक प्रस्ताव

[श्री अरुणकुमार]

है जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं दिखाई पड़ती है। बड़ा दुख होता है मान्यवर, आज जिस ढंग से लोक दल की सरकार शंकाओं और भय से ग्रसित अपने आप को पा रही है उसी से मिला जुला यह प्रस्ताव भी है। अपने शासन काल में जनता पार्टी और लोक दल न ढाई साल के शासन में काम ही क्या किया वह सब शंकाग्रस्त रहे। श्रीमती गाँधी चुनाव हार चुकी थीं लेकिन इनकी शंका बराबर बनी रही, संजय गाँधी चुनाव हार चुके थे लेकिन उनकी शंका से यह ग्रस्त रहे। और उसी का परिणाम है कि वह सब चुनाव जीत कर चले आए। यह सरकार शंकाओं से कुंठित हुई और कोई काम नहीं कर पाई।

श्री उपाध्यक्ष—

उससे आपको ही लाभ हुआ।

श्री अरुण कुमार—

मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव शंकाग्रस्त है, काल्पनिक एवं सम्भावनाओं पर आधारित है। इसके पीछे जन-कल्याणकारी भावनाओं को दबाया जा रहा है। मान्यवर, आज जो शासन की दुर्व्यवस्था है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए यह कहा जा रहा है कि एसेम्बली भंग होने जा रही है और प्रदेश की जनता को आगाह कराया जा रहा है कि एसेम्बली भंग करायी जा रही है। यह शासन की अकर्मण्यता एवं अयोग्यता का द्योतक है। इस प्रकार का कोई आदेश न भारत सरकार का है और न प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी का है और न ही राज्यपाल का है। आज देश के अन्दर सूखा पड़ा है उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली मन्त्री बैठे हैं उनका दिल और दिमाग बिजली की समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए, जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए होना चाहिए लेकिन हमारी यह सरकार दिग्भ्रमित हो गयी है और वह अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम भंग होने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव द्वारा जन-कल्याणकारी समस्याओं एवं जिम्मेदारियों से अपने आपको दूर कर रहे हैं। इस प्रस्ताव से प्रदेश का प्रशासन अपने आप को पीछ ले जा रहा है। इससे यह अपने कुकृत्यों पर पर्दा डाल रहे हैं।

यह जो प्रस्ताव आया है इसमें मैं दो-चार बातें कहूंगा। आज जैसा आप लोगों ने स्वत: स्वीकार किया कि अगर श्रीमती गाँधी चाहती तो एसेम्बली को भंग कर सकती है राष्ट्रपति को यह अधिकार है जिस पर रूलिंग हो चुकी है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में है। संविधान की धारा में इसका प्राविधान है कि डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके बावजूद भी श्रीमती गाँधी या देश के राष्ट्रपति ने भंग करने की कोई बात नहीं सोची और न कोई सूचना दी है एसेम्बली भंग करने की कोई बात नहीं की। जबकि उनके पास अधिकार सुरक्षित है। जिस चीज का जिक्र आप करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि अप्रैल, 77 में जो सरकार चल रही थी वह अल्पमत की सरकार नहीं थी, मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार है वह अल्पमत की सरकार है। इस सरकार के सामने कोई नीति और दिशा स्पष्ट नहीं है। पता नहीं किस दृष्टि से जनता पार्टी के लोग और इधर बैठे लोग इनका समर्थन करते हैं। किन भ्रमों के वशीभूत होकर यह लोग इनका साथ दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। जब कभी मजदूरों की बात आती है, जब कभी हरिजनों का सवाल आता है या जब कभी प्रदेश के सामान्य हितों का सवाल आता है और तमाम ऐसे सवालों पर जब कि विरोध पक्ष को अपनी पुनीत भूमिका अदा करने का सवाल आता है यह सरकार के साथ होकर कैसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। यह अपने जनतांत्रिक कर्त्तव्यों से च्युत हो चुके हैं, इसके लिए जनता इनको क्षमा नहीं करेगी। सिर्फ घंटी बजवाकर और यहां कोरम की पूर्ति करवाकर ही क्या विरोधी पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका यह लोग

निभाना चाहते हैं ? इससे काम चलने वाला नहीं है। यह कहना कि यह लोकदल की सरकार है और हम इसके साथ नहीं हैं हम विरोधी पक्ष में हैं, यह घटिया काम है। विरोधी पक्ष में बैठ कर लोग विरोध पक्ष की मान्यताओं को स्वीकार करें।

जनतन्त्र में विरोधी पक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां सरकार का काम जनता की भलाई के काम को देखना है, वहाँ विरोध पक्ष का भी काम है कि वह सरकार के ऊपर अपना अंकुश रखे। शासन से बड़ी जिम्मेदारी विरोध पक्ष की हुआ करती है। मैं बड़े अदब से विरोधी पक्ष के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं असेम्बली भंग का झूठा हव्वा खड़ा करके जन हितकारी कामों से पीछे हटना जनता के साथ घोर विश्वासघात और प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात है। वर्तमान स्थिति में असेम्बली का जो स्वरूप है, शासन करने वाली पार्टी अल्पमत में है। वैसे मैं असेम्बली के डिजोल्यूशन का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इस शक्ल को देखने के बाद कहना पड़ता है कि प्रदेश को एक स्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए, जो जनता के दुख-सुख को सुन सके, उनको राहत दे सके और प्रदेश के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके, ऐसी स्थिति में इस असेम्बली को भंग होनी ही चाहिए। यह मेरी खुली माँग है, जिसके मार्फत आप अपने को छिपाना चाहते हैं और अपनी जिन्दगी को बढ़ावा देना चाहते हैं वह सब व्यर्थ है। अभी श्रद्धेय श्यामधर मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका घोर विरोधी हूं। असेम्बली में हमारी जिन्दगी रहे या न रहे, हम चुन कर आयें या न आयें, जिन लाख-डेढ़ लाख जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उनकी समस्याओं के साथ हमें वास्तविक रूप में जुड़ना चाहिए न कि हमें अपनी कुर्सियों से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना अपने पद का दुरुपयोग होगा।

यह कुर्सी जनता की धरोहर है न कि लिप्सा एवं भोग की सामग्री है। आप देखें आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज देश की प्रधान मन्त्री का प्रदेश में नारायणपुर का दौरा होने जा रहा है और यहाँ का शासन वहाँ के कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, उनके दौरे को आपत्तिजनक और अनुचित बताया जा रहा है। संघीय स्वरूप को नष्ट करने वाले संघीय स्वरूप को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। किन्तु यह कह और कर के क्या आप उस स्वरूप की रक्षा कर रहे हैं ? आज देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था और शान्ति और असुरक्षा की हालत बिलकुल चौपट हो गयी है। ब्यूरोक्रेसी का राज्य है। जिसके बारे में मुख्य मन्त्री ने कहा है कि भारत सरकार ब्यूरेक्रेसी को बढ़ावा दे रही है। हमें आपकी यह मान्यताएं स्वीकार नहीं हैं, आपके वचन स्वीकार नहीं हैं, लेकिन उसकी चर्चा करके ब्यूरोक्रेसी का जो नाटक सामने खेला जा रहा है, उसको कतई रोका जाय। इनकी (शासन की) दृष्टि और शक्ति को देखकर आज ब्यूरोक्रेसी बिलकुल निरंकुश हो गयी है। उस पर अकुश लगाने का कार्य मजबूत शासन ही कर सकता है। इसलिए यह जो प्रस्ताव आया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज मजबूत शासन की जरूरत है और ऐसे शासन की जरूरत है जो सम्पूर्ण शक्तिशाली हो इसीलिए इस असेम्बली का डिजोलूशन होना चाहिए। यह सरकार अल्पमत में चल रही है। इस सरकार के अन्दर हरिजन और मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोग, विद्यार्थी, मजदूर और किसान सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार पर किसी का विश्वास नहीं है। इसलिए असेम्बली का डिजोलूशनह ोना चाहिए।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, श्यामधर जी ने और कुछ दूसरे सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करती है। श्रीमन्,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न है प्रजातांत्रिक मूल्यों का। अभी हमारे मित्र अरुण कुमार जी बड़े जोर से बोल रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है प्रजातांत्रिक मूल्यों का, वह क्या है ? क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों को तानाशाही के तौर तरीकों से खत्म किया जायगा, एक तो यह प्रश्न है। दूसरा इन्होंने उठा दिया, जिसका जिक्र माननीय श्यामधर मिश्र जी ने किया। पिछली बार असेम्बली भंग करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। मेरी जहां तक जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय नहीं दी उस मामले में। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है और राष्ट्रपति के अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र जिसको कि अरुण कुमार जी ने किया, तो वह कोई फैसला नहीं हुआ, यह नम्बर दो है। अब अरुण कुमार जी कहते हैं कि यह सरकार अल्पमत में है, ठीक है। अल्पमत और बहुमत का फैसला हाउस आफ-दि-फ्लोर होता है, असेम्बली में होता है। दल में कम सदस्य हो सकते हैं लेकिन असेम्बली में आप गवर्नर महोदय के एड्रेस पर वोट के पहले ही आप लोग बिना वोट दिए ही अपने संशोधन पर बिना वोट दिए ही वाक आउट कर गये। कितने नैतिक हैं, कांग्रेस (आई0) के लोग कि अपने संशोधन पर वोट नहीं दिया जिसको उन्होंने पेश किया था। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं। अल्पमत के बारे में हमारी कुछ राय हो सकती है। यह इतने नैतिक लोग हैं, प्रजातन्त्र में इनका इतना विश्वास है और अगाध विश्वास है, डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाले हैं। 1969 में जब कांग्रेस में बंटवारा हुआ और मोरार जी देसाई बहुत बड़ी तादाद लेकर चले गए तो श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की तादाद क्या थी पार्लियामेंट में ? मैं चुनौती देता हूं ।

(शोर)

सुनिए, सुनिए। तथ्यों को सुनिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शान्ति रखिए ।

श्री ऊदल—

जो तथ्य हैं उनको हमारे भाई लोग सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

भाई ऊदल जो, उस वक्त भी अल्पमत के साथ थे और आज भी अल्पमत के साथ हैं ।

श्री ऊदल—

उनको पढ़ने-लिखने से कोई मतलब नहीं है, तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। उनकी एक बोली कोई बोल दे, वह उसी के साथ बोलने लगेंगे। जैसे हमारे देहात में आठ-नौ बजे रात को सुनते होंगे, एक कहीं बोले तो जितने हैं सब बोलने लगते हैं। आप उस जानवर को समझ गये होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुशासन तो है उनमें ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, 546 की पार्लियामेंट में उनकी सदस्य संख्या 220 थी ।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

एक बात इनसे पूछना चाहता हूं। माननीय ऊदल जी ने कहा कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। यह बात सही है। उस समय अल्पमत में अन्य पार्टियों के सहयोग से शासन चल रहा था। लेकिन यह बात भी सही है अपनी जगह पर कि अन्य पार्टियों

के सहयोग पर चलने वाला शासन हमेशा कमजोर होता है। इसी कारण इन्दिरा गांधी ने समय से पहले 1971 में पार्लियामेंट को डिजाल्व करवाया। आप भंग करने का विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बैठिए।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, वही बात मैं कह रहा हूं। एक तर्क अभी माननीय अरुण कुमार जी दे रहे थे उसी को मैं कह रहा हूं। दो वर्ष तक उस सरकार को चलाया 1969 से 71 तक। आप भी थे वहां। अब मैं बहुमत की बात करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री ऊदल—

मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुमत हो गया था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अलग नहीं थी। 28 महीने तक वह सरकार चली। जिस तरह से शान्ति व्यवस्था को आज हमारे भाई लोग भंग कर रहे हैं उसी तरह से आज की प्रधान मन्त्री और उस वक्त की कांग्रेस की अध्यक्षा ने दौरा किया और केरल में शान्ति व्यवस्था को भंग कराया और चुनी हुई सरकार जिसका बहुमत था, इस कांग्रेस की अध्यक्षा ने

(व्यवधान)

सुनिए कलेजा थाम कर सुनिए, कलेजे पर हाथ रख कर सुनिए, तथ्यों की बात है—अपने पिता प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से इसी संविधान का सहारा लेकर उस बहुमत की सरकार को भंग करा दिया।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप जो दावा करते हैं कि आज जन जीवन खतरे में है, ठीक है। इन्होंने कोई बहुत अच्छा उदाहरण मिली-जुली जनता पार्टी का शान्ति व्यवस्था के नाम पर नहीं दिया। बहुत से कामों में अच्छा नहीं किया। लेकिन आप लोग 70 चूहे खाय के बिलारी भई भगतिन। बिलारी 70 चूहे खाकर भगतिन हो गयी। यह समर्थन के राजा बहुत टेंटें बोलते हैं। अगर राजाओं और सामन्तों को जिन्दा किया है तो वह इन्दिरा जी ने. . .

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव के बारे में तो कुछ कहिए ?

श्री ऊदल—

नारायण दत्त तिवारी की बात करते हैं। उस जमाने में कितने अत्याचार हुए थे ? उनका जिक्र माननीय अरुण कुमार जी ने अपने भाषण में नहीं किया है। श्रीमती जी के नारायणपुर जाने की बात हो रही है लेकिन वे मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गयीं ? सुल्तानपुर श्रीमती जी नहीं गयीं, भिवन्डी में क्यों नहीं गयीं जहां पर साम्प्रदायिक दंगे कराए गये। वहां पर हजारों लोगों के घर जल कर राख हो गये। वहां पर श्रीमती जी क्यों नहीं गयीं ? मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी गलत फहमी में न रहिए। हिन्दुस्तान की जनता अब सचेत हो गयी है, वह धोखे में बहुत दिन तक नहीं रह सकती है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप नम्र बनिए, और दूसरों की बात को सुनिए। "बूंद अघात सहै गिरि कैसे, खल के बचन सन्त सहें जैसे"। आपको खल के वचनों को सुनने का साहस होना चाहिए। आप लोग बड़प्पन सीखिए। इसलिए मैं निवेदन करना

[श्री ऊदल]
चाहता हूं कि यहाँ पर सवाल सिद्धान्तों का है। हम रहें या न रहें, यह कोई प्रश्न नहीं है। सन् 1968 में मैं भोग चुका हूं। मैं कई बार कांग्रेसियों से जीत कर यहाँ पर आया हूं। मैंने राजाओं और सामन्तों के भी छक्के छुड़ाए हैं। उच्छृंखल मत बनिए। जिस प्रकार से आम के फल पकने पर लटक जाते हैं, तो उसी प्रकार से आप भी आचरण कीजिए। इसी में आपका बड़प्पन है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि नम्र हो जाइए। यही आज के युग का तकाजा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रस्ताव के ऊपर मैंने एक घंटे का समय निश्चित किया था और बोलने वाले काफी हैं। अतः मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के समय से अधिक कोई माननीय सदस्य समय न लें।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसके विषय में माननीय गुलाब सेहरा जी ने कहा कि यह प्रस्ताव काल्पनिक है। लेकिन उन्हीं की पार्टी कांग्रेस (आई) के जब श्री अरुण कुमार जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि असेम्बली भंग की जानी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि एक ही पक्ष से, एक ही पार्टी में बैठे हुए लोगों के मुंह से यह दो आवाजें कैसे आई हैं? माननीय अरुण कुमार जी कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुन कर आये हैं और केन्द्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। इससे स्पष्ट है कि इस समय श्री अरुण कुमार जी नहीं बोल रहे थे, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय कुमार बोल रहे थे कि विधान सभा भंग होनी चाहिए। तो आखिर कांग्रेस (आई) और केन्द्र की सरकार चाहती क्या है? स्पष्ट है।

मान्यवर, जब से केन्द्र में कांग्रेस (आई) की सरकार स्थापित हुई है प्रदेश में ऐसा भय पैदा कर दिया गया है कि विधान सभा भंग होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे यह मंशा नहीं है कि शासन अप्रभावी हो जाये, पंगु हो जाये और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह अवसर मिले, यह बहाना मिले कि क्यों न विधान सभा भंग कर दी जाये? मान्यवर, प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने 425 लोगों को इस विधान सभा में चुन कर भेजा है 1977 में। अब कोई व्यक्ति अगर मनमानी करके 10 करोड़ जनता के विश्वास पर आघात करता है, तो वह ठीक नहीं होगा, जनता उसे सहन नहीं करेगी।

मान्यवर, नारायणपुर काण्ड की बात कही जाती है। यह कहा गया कि केन्द्र उसे आँख मून्द कर नहीं देख सकता। यह भी कहा गया कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। वितरण व्यवस्था के लिए केन्द्र की सरकार को सहयोग करना होगा। उसमें केन्द्र का योगदान आवश्यक है। जहाँ तक नारायणपुर काण्ड का प्रश्न है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने तत्काल आवश्यक कदम उठाए हैं। अब उसके बाद भी मंशा यह है कि प्रधान मन्त्री वहाँ जायेंगी, कुछ घोषणा करेंगी और फिर ऐसा वातावरण पैदा किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा भंग हो। इसलिए यह प्रस्ताव बहुत उचित है और जब यह प्रस्ताव पास होगा तभी जनता में विश्वास पैदा होगा और तभी एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावी होगा।

जहाँ तक इसके औचित्य का प्रश्न है संविधान में 2 धाराएं दी हुई हैं---जिन हालात में विधान सभा को भंग किया जा सकता है--- वे हैं आर्टिकिल 356 व 174। इनके अन्तर्गत ही विधान सभा को भंग करने का औचित्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संवैधानिक संकट इस समय उत्पन्न नहीं है कि यहाँ की विधान सभा को भंग किया जा सके। कांग्रेस (आई) की तरफ से विधान सभा भंग कराने की माँग को लेकर आज प्रदेश की 10 करोड़ जनता के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए विपक्ष से भी हमने परसों महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन दिया है और

यह प्रकट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो सरकार चल रही है उसके साथ 300 लोगों का चट्टान सरीखा बहुमत है और विधान सभा को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज सूखे की स्थिति है, जहाँ इस बात की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चले, जनता में विश्वास पैदा हो, शासन का काम ठीक से चले, उसमें काँग्रेस (आई) की तरफ से जहाँ सहयोग मिलना चाहिए सूखे की हालत में, वहाँ पर इस उत्तर प्रदेश को विधान सभा को काँग्रेस (आई) के लोग भंग करने की बात करते हैं। मान्यवर, इस विधान सभा को भंग करना उचित नहीं है। मान्यवर, सदन से मैं अपील करता हूं कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव यहाँ श्यामधर मिश्र जी ने प्रस्तुत किया, मैं तो यह समझता हूं कि यह बिलकुल बेईमानी है, जिसका कोई मतलब नहीं है । मान्यवर, आप देखें कि हम लोग चुनाव पद्धति को मानने वाले हैं, प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं । चुनाव में प्रजातन्त्र के तरीके से जाकर और जनता का जनादेश प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है । मान्यवर, इस सदन में और इस सदन के बाहर आप देखे, चाहें वह मुरादाबाद में अमरोहा हो, चाहे वह नरायनपुर हो, चाहें वह अलीगढ़ की बात हो, जहाँ साल भर बराबर दंगा हुआ, चाहे पन्तनगर की बात हो. . . .

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलने दीजिए उनको ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, चाहे पन्तनगर की बात हो, चाहें सम्भल की बात हो, आज इस विधान सभा के सदन में ही नहीं, आज इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता न इस निकम्मे प्रशासन के लिए यह बात बिलकुल कह दी है इस पार्लियामेंट के चुनाव में कि ये शासन करने के अधिकारी नहीं हैं । ये शासन करने के लायक नहीं हैं और मान्यवर, इन्होंने इसको स्वयं माना है। इनका पूर्ण बहुमत पार्लियामेंट में था और वे आपस में लड़े, जनता की जो जीत थी, जो आकांक्षाएं थीं, उनको पूरा नहीं कर पाए और अपने ऊपर एक चुनाव लाद लिया । जनता के ऊपर चुनाव लाद दिया ।

तो आज सदन के और उसके बाहर भी सारे ओर इस बात को सभी मानते हैं कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बहुत खराब है । मान्यवर, एक मामूली कांस्टेबिल ने यहाँ चौक में एक आदमी को दाग दिया । उसके घर वालों को पकड़ कर ले आया था और मारा-पीटा । बीसों आदमी आज अस्पताल में हैं । आप नरायनपुर की बात करते ह ? ऐसे नरायनपुर जैसे काण्ड इस प्रदेश में बहुत से हो चुके हैं । मैं अपने श्यामधर जी और ऊदल जी से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि पाँच बार काँग्रेस को हराया । लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप अपने दल की तादाद यहाँ पर नहीं बढ़ा पाए। मान्यवर, हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]
तो जानते हैं कि ये चुनाव के हामी नहीं हैं। ये तो चुनाव चाहते ही नहीं। अब यह प्रस्ताव जो लाए हैं, आप देखें कि कुछ अच्छा भी नहीं मालूम देता कि हम अपनी रक्षा के लिए बजाय इसके कि हम कोई ऐसा प्रस्ताव लायें कि डीजल ह, तेल है या कोई प्रदश की प्रगति से सम्बन्धित हो, या कोई प्रदेश के निर्माण की बात हो या बिजली की बात हो, बजाय इसके कि हम इसमें उलझे पड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि उसी दिन इसको डिजाल्व कर देना चाहिए था जिस दिन राम नरेश जी ने मुख्य मन्त्री के पद से अपना इस्तीफा दिया था जो आदमी मुख्य मन्त्री रहा हो और वह अपने आप ही यह स्वीकार कर ले कि मुख्य मन्त्री वह न रहें, तो उसको उसी दिन ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आज नहीं, विधान सभा का डिजोलूशन उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन राम नरेश जी को मुख्य मन्त्री के पद से हटाया गया था, माननीय बनारसी दास जी को इस प्रदेश में कुछ चेतना डालनी चाहिए था, लकिन वह कुछ कर नहीं पाए। यह जो पार्टी शासन कर रही है, हुकूमत कर रही है. इसके डढ़ सौ से ज्यादा सदस्य नहीं हैं। डेढ़ सौ सदस्य हैं तो आपको अधिकार नहीं है इस प्रदेश में शासन करने का और कहा गया कि कांग्रेस को 35— कुछ वोट मिला है लेकिन अर्स कांग्रेस का ब्योरा नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष—
अब आप बैठिए।

श्री चेतराम गंगवार—
मान्यवर, इसको रिकमेंड करना चाहिए कि शासन हमसे नहीं चल रहा है इसको भंग किया जाय फिर से इलेक्शन किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह—
मान्यवर, हमको भी समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—
आपका संशोधन तो मैंने अस्वीकार किया है, लेकिन आपको बोलने का मौका मिलेगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—
यह प्रस्ताव जो हमने यहाँ रखा है उस प्रस्ताव को कुछ लोग काल्पनिक बता रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, इन्दिरा गाँधी को कि इस विधान सभा को भंग करें। अगर श्रीमती इन्दिरा गाँधी का बस चले तो इस विधान सभा को भंग कर दें, उनका बस चले तो भारत का नाम बदल कर, भारत के संविधान का नाम बदल कर इन्दिरा गाँधी कर दें। कई दिक्कतें आ गयी हैं उसमें 31 मार्च, 1980 तक राज्य सभा का इलेक्शन होना है अगर विधान सभा भंग हो जायेगी तो चुनाव कैसे करायेंगे और मान्यवर, श्री शकधर ने कह दिया कि 6 महीन से पहले चुनाव नहीं हो सकता है और कम से कम 2 महीने चुनाव करान में लगेंगे, और तो और मान्यवर, अनुसूचित जाति का आरक्षण आपके सामने आ गया है, वह आरक्षण करने के लिए जो संशोधन विधेयक है उसको आधे से अधिक विधान सभाओं द्वारा रेटीफाइड होना है तभी वह पारित कराया जायगा, और तो और मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कर दिया जाय तो संसद के दोनों सदनों के बहुमत से 2 महीने बाद उसको पास कराना होगा। मान्यवर, अब हम अरुण जी को क्या गिनती सिखायें यह बहुमत को अल्पमत और अल्पमत को बहुमत, गिनती भूल गए हैं इन्दिरा गाँधी के साथ जाकर।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—
श्रीमती इन्दिरा गाँधी.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

आपके लिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी होंगी। श्रीमन्, इन्दिरा गाँधी कहती हैं कि संविधान और जनता के विरुद्ध जो इतनी जबर्दस्त मुखालफत की गयी है, प्रधान मन्त्री की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि विधान सभा भंग करे। अभी एक महा निर्वाचन से इस प्रदेश की जनता गुजरी है, अगर तत्काल बाद दूसरा चुनाव लाद दिया जायेगा तो जानबूझकर गरीबों के मुंह पर गरीबी डालना होगा। मान्यवर, शासन की एक लिप्सा होती है वह लिप्सा श्रीमती गाँधी और उनके परिवार में बहुत है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश किसी परिवार की सम्पत्ति नहीं है कि लोगों द्वारा चुनी हुई विधान सभा को भंग कर दें। केन्द्र की सरकार की और खासकर इन्दिरा गाँधी की सरकार की यह आदत रही है कि अगर कोई तर्क पैदा हो जाय और जो तर्क दिया जा रहा है कि सन् 77 में जनता पार्टी की सरकार ने भंग किया था अब 80 में हम करते हैं। जो चौधरी चरण सिंह, जगजीवन बाबू और मोरारजी भाई ने अपनी बुद्धि से किया था, उसी का बचा खुचा उपयोग आप कर रहे हैं तो मेरा कहना है मान्यवर, यह हमारी ही नकल करके हर बात करेंगे कि अपने मन से भी कुछ करेंगे? मान्यवर, सन् 77 में उत्तर प्रदेश जनता पार्टी को 68 प्रतिशत वोट मिला और काँग्रेस को 25 प्रतिशत सन् 80 में काँग्रेस को 35–36 प्रतिशत और जनता पार्टी तथा लोक दल को मिलाकर 52 प्रतिशत वोट मिला।

सन् 77 की हालत भी आपके सामने रही है कि लोक सभा के चुनाव मे 85 सीट में से एक सीट भी नहीं मिली थी। गर्ग साहब यहाँ बैठते थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने एक मुकदमा दायर किया। तो जज महोदय का निर्णय था कि यदि 85 सीटों में से एक भी सीट इन्दिरा काँग्रेस को मिल जाती तो विधान सभा भंग नहीं की जाती और जब काँग्रेस को शून्य मिला है, तो विधान सभा भंग करने का जनता पार्टी को पूरा औचित्य है। मान्यवर, यहाँ स्थिति इस समय बिल्कुल अनुकूल है। इस सन् 80 के चुनाव में उत्तर प्रदेश मे 85 सीट में से लोक दल को 31 सीटें मिली हैं। इसलिए कोई तर्क इनके पास नहीं है। कोई बुद्धि विवेचना नहीं है।

मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण तर्क आपके सामने और रखना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का यह मन्सूबा है कि इन चुनी हुई विधान सभाओं को इसलिए भंग कर दिया जाय कि उन प्रान्तों में उनकी सरकार बन जाय। और केन्द्र सरकार यह चाहती है कि इन विधान सभाओं को रखैल बनाकर अपना मनमाना खेल रचाती रहें। आपको मान्यवर, याद होगा मद्रास की करुणानिधि सरकार को, जबकि उसकी अवधि पूरी नहीं हो पाई थी, भंग कर दी गयी। क्योंकि उसने आपातकाल की ज्यादतियों का सामना करने से इन्कार कर दिया था। इस प्रकार इन्दिरा गाँधी की नजरें उत्तर प्रदेश सरकार और केरल सरकार पर लगी हुई हैं और तो और उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने का विचार इसलिए उत्पन्न हो रहा हैं कि अभी उन्हें राज्य सभा के चुनाव कराने हैं, जिसमें उनको अपना पक्ष मजबूत करना है।

मान्यवर, और तो और करुणानिधि सरकार में सन् 77 के चुनाव में इनकी 7 सीटों के मुकाबले में 150 से अधिक सीटें डी0एम0के0 को मिली थीं। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अब तक जो हमारे देश के सामने और हमारे प्रदेश के सामने हमारे कान्स्टीट्यूशन का नारा रहा है कि विविधता में एकता और एकता में विविधता। चाहें उसके सामने कोई भी देश हो, चाहें अमरीका हो और चाहें चीन हो सबके प्रति एक सा व्यवहार रहा हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में भी होता आया है कि अगर वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में सत्ता है तो उसकी अपोजिट पार्टी को उसे बर्दाश्त करना होता है। अगर वहाँ कन्जरवेटिव पार्टी की सरकार है तो लेबर पार्टी की सरकार को बर्दाश्त करना होगा।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

मान्यवर, दूसरी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धाराएं 356 और 278 हैं वह गवर्नमेंट में विलीन हो सकती हैं। उसमें यदि कान्स्टिट्यूश्नल क्राइसेस क्रिएट होती है तो उसका समाधान होगा। अगर राज्यपाल इसकी रिपोर्ट देता है या फिर अन्यथा उसका ऐसा समाधान हो सकेगा जो अन्यथा समाधान हो रहा है। इसका मतलब यह होगा कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और मैं आज की कार्यवाही में यह निवेदन करूंगा कि धारा 356 में संशोधन होना चाहिए कोई भी संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। कई दिन पहले इसी सदन के अन्दर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसको भारी बहुमत से पारित किया है। मैं माँग करता हूं आने वाली पीढ़ी से कि हिन्दुस्तान के अन्दर अगर संघीय स्वरूप बरकरार रखना है तो 356 के अन्दर, जिसमें अतिक्रमण होता है, उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है, ताकि उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान की तमाम विधान सभाएं केन्द्र की रखैल न बन सकें, उनकी वासना की शिकार न हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गाँधी और काँग्रेस आई0 के लोग उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग कर संवधानिक संघीय स्वरूप पर हमला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी की खाई में फेंक सकते हैं। इसका विरोध उत्तर प्रदेश की जनता और विधान सभा करती रहेगी यही मैं कहना चाहता हूं। इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास करें।

(श्री गिरधारी लाल को पुकारे जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप 5 मिनट का समय लें अधिक से अधिक।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

माननीय श्यामधर जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से काँग्रेस (आई) के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 30 साल से जो हरिजनों की बात उठाई जाती थी तथा चल रही है, तमाम आरोप लगाते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, विधान सभा को भंग किया जाये। आज चाहते हैं कि विधान सभा भंग कर दी जाये ताकि हरिजनों का रिजर्वेशन खत्म हो जाये और मैं पूछना चाहता हूं कि 30 साल से जितना रिजर्वेशन था काँग्रेस (आई) के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, कहीं भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में हरिजन का रिजर्वेशन पूरा नहीं है। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज अगर हरिजन जिन्दा है तो अपने श्रम के बल पर। मिर्जापुर में सतनी काण्ड मिसाल है। 30 घर हरिजनों के जलवा कर फिर उनको एक हजार रुपए का अनुदान दिया। एक तरफ पीटते हैं और दूसरी तरफ अनुदान देते हैं जो हरिजन की बात करते हैं, उनके उत्पीड़न की बात कहते हैं, तो उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है यह काँग्रेसी उनको पतन की ओर ले जा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के काँग्रेस आई के ये लोग षड़यन्त्र कर रहे हैं। विधान सभा भंग कर दें और जो भारतीय संविधान के अन्दर प्राविधान है 51 प्रतिशत विधान सभाओं का आरक्षण का, जो लोक सभा से पारित संविधान है उसके अनुसार होना चाहिए। अनुमोदन नहीं करेंगे तो यह रिजर्वेशन तो समाप्त हो जायगा। इनका रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए यह तरह-तरह के षड़यन्त्र रच रहे हैं। इसलिए पुनः श्री श्यामधर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मैनेजर सिंह जी, आपके संशोधन के प्रस्ताव को मैंने अस्वीकृत किया, लेकिन आप बोल सकते हैं।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

मान्यवर, समय बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब काम पूरा हो जायेगा, मैं बता दूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

एक निवेदन है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को कक्ष में स्वीकार किये, बिना ग्राह्यता को सुने हुए। संविधान को अपने हाथ में लेकर ग्राह्य किया। उसके बाद कहते हैं समय नहीं बढ़ायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया बढ़ायेंगे। आप तो आक्षेप करते हैं। कानों में कोई खराबी हो गयी है ? मैंने कहा समय बढ़ायेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरे कानों में कोई खराबी नहीं हुई। आपकी पीठ से इस तरह से निर्णय होते हैं। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कक्ष में भेंट करने की तो हमारी आदत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कक्ष में स्वागत है, आपका ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आप प्रस्ताव को देखें। यह प्रस्ताव स्वयं ही पूर्ण नहीं है। इसलिए इसके आधार पर संशोधन दिया था। मैं अभी भी चाहता हूं कि और अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बढ़ाने की इजाजत देंगे और माननीय प्रस्तावक महोदय भी स्वीकार करेंगे कि चूंकि बनारसी दास सरकार को पूर्ण समर्थन है इसलिए इस सदन में प्रस्ताव है कि इस सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मिश्रा जी मान जायेंगे और आप स्वीकृति दे देंगे तब यह पूर्ण होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो स्वीकार नहीं किया। मिश्रा जी क्या करेंगे ? आप अपने विचार व्यक्त करिए।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं यह चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय फिर विचार कर लेंगे। विधान सभा भंग करने की जो खबर छप रही है उससे कुछ ऐसा लगता है कि विधान सभा में भी कुछ असर हो गया है, इसका मुझे खेद है। विधान सभा भंग की चर्चा यहाँ न होती तो अच्छा था। इन्दिरा काँग्रेस के लोग इस चुनाव से अपना सन्तुलन खो बैठे हैं और विधान सभा चुनाव कराने की हिम्मत करते हैं। सभी अन्य दलों को अपने विवेक को ठीक करके, अपनी आदत को ठीक करके, अपनी बुद्धि को ठीक करके चुनाव स्वीकार करना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। कितन उतावलेपन में काँग्रेस के लोग हैं। जो मत 77 में मिले थे उससे 8 प्रतिशत अधिक मत मिले हैं। वह 8 प्रतिशत अधिक मत इसलिए मिल गये कि जनता पार्टी के नेताओं के आपसी झगड़े की वजह से कुछ विवेकशील जनता हमसे विमुख हो गयी। जनता पार्टी का कार्य तीन सालों में अत्यन्त सराहनीय रहा है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनता पार्टी के शासन काल में प्रारम्भ हुई हैं। खाद्यान्न की योजना, अन्त्योदय की योजना जिसको काँग्रेस के लोगों ने स्वीकार किया है, इन्दिरा गाँधी ने स्वीकार किया है और कहा कि इन योजनाओं को हमारी सरकार चलायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—
(श्री मैनेजर सिंह के बैठ जाने पर)
आप बोल चुके क्या ?

श्री मैनेजर सिंह—
व्यवधान हो रहा है तो क्या बोलें ?

श्री उपाध्यक्ष—
कृपया शान्ति रखें। इन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री मैनेजर सिंह—
मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि स्वयं इन्दिरा काँग्रेस के लोग मानते हैं कि जनता सरकार न कुछ नई देन इस देश को दिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि जनता पार्टी के लोगों न सबसे बड़ा दोष और पाप यह किया है कि इस देश में दल-बदल बिल, जो जनता पार्टी का संकल्प था, जिसे पास करना था उससे वह हट गय। गाँधी जी की समाधि पर कसम खायी थी कि हम लड़ेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं किन्तु जनता पार्टी के कुछ लोग टूट गय और पार्टी छोड़ दिए। इन कारणों से जनता न इन्दिरा काँग्रेस को गुस्से में वोट दिया, इसलिए उनका बहुमत हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि विधान सभा भंग की गयी और चुनाव हुआ तो अगले चुनाव में काँग्रेस(आई)के लोगों को एक कोने में स्थान ढूंढना पड़गा।

श्री अरुण कुमार—
लेकिन विधान सभा भंग होगी तब।

श्री मैनेजर सिंह—
आप भंग करा दें। मैं बलिया जिले में निमन्त्रित करता हूं कि आकर चुनाव लड़ें। काँग्रेस के भाई श्री गुलाब सेहरा की पार्टी के पास साधन और धन दोनों चीजें हैं। इन्दिरा गाँधी इस देश में 50 चुनाव करा सकती हैं जिसके लिए उनके पास पैसा है। गुलाब सेहरा जैसे लोग स्वयं 2–4 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इसलिए इनके पास पैसा और साधन की कमी नहीं है लेकिन वोट की कमी है। आपके लोग दिल से नहीं चाहते हैं कि विधान सभा भंग हो लेकिन ऊपर से कहते हैं कि विधान सभा भंग हो।

श्री गुलाब सेहरा—
ईश्वर करे आप इसी भुलावे में रहें।

श्री मैनेजर सिंह—
यह चाहते नहीं हैं कि विधान सभा भंग हो लेकिन अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ रंग दिखा रहे हैं।

मान्यवर, जहाँ तक ला ऐंड आर्डर की बात है, तो नारायणपुर काण्ड अत्यन्त शर्मनाक निन्दनीय काण्ड है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह थोड़ी है। लेकिन ऐसे काण्डों की न्यायिक जाँच कराई जाती है और दोषी लोगों को दंडित किया जाता है। मुख्य मन्त्री ने नारायणपुर में न्यायिक जाँच को माना है। इसके अलावा क्या मुख्य मन्त्री उन लोगों को गोली से उड़वा दें, यह कार्य तो इन्दिरा गाँधी ही कर सकती हैं और एन0के0 सिंह, डी0 आई0 जी0, जो इमरजेंसी में गलत कार्यों की जाँच किया, को वही गिरफ्तार करा सकती है। जनता पार्टी के समय में यह गलत कार्य नहीं हो सकते हैं।

(व्यवधान)

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—
मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव कुछ हमारे मित्रों ने, जो दल-बदलू सम्राट हैं, रखा है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

राकेश जी आप ऐसा बोलें, जिससे रिपोर्टर लिख लें ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, ...

(शोर)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं ।

क्या डा0 राकेश चतुर्वेदी दल-बदल करने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वे काँग्रस (आई) में शामिल हो चुके हैं. . . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

चतुर्वेदी जी एक सवाल बता दें. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से किसी माननीय सदस्य को डिस्टर्ब करना अनुचित है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

प्रस्ताव इस प्रकार का ह जैसे हमारे कुछ महाशय कहें कि हे ईश्वर मैं. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुनासिब नहीं है इस तरह यह चर्चा कैसे चलेगी. . . . .

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आज आवश्यकता इस बात की है कि यह प्रस्ताव जो लोग लाए हैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तपासे साहब ने कहा अभी बाँदा सम्मेलन म कि जो सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकी उस सरकार को एक दिन शासन करने का अधिकार नहीं। और मान्यवर, बड़े शर्म की बात है. . . .

(व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी आप को इस तरह से नहीं टोकना चाहिए। आप पुराने सदस्य हैं माननीय सदस्य की बात तो सुनें. . . . .

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

आज ऐसा लगता है इस विधान सभा में जैसा कहीं पर शासन नहीं हो रहा है वरन् कुर्सी बचाओ सम्मेलन हो रहा है। हम चाहते हैं मान्यवर, कि यह विधान सभा केवल पाँच साल के लिए नहीं बल्कि हमारे जैसे लोग यह चाहते हैं कि यह विधान सभा दस साल और चले। मान्यवर, एक आदमी का प्रश्न नहीं है, एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, एक सामाजिक प्रश्न है. . . . .

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं अपने साथियों से अब एक ही दल है। अगर हमारे किसी माननीय सदस्य के बोलने में व्यवधान करेंगे तो श्रीमन्, यह सभा नहीं चलेगी और हमारे दल के लोग इतना व्यवधान करेंगे कि असेम्बली बिल्कुल नहीं चलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दो–तीन बार कह चुका हूं कि माननीय सदस्य के बोलने में व्यवधान न डाले। यह बहुत गरमुनासिब बात है। दल बदलू हैं तो सदन से निकाल दिये जायं? ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री राम बक्स—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चतुर्वेदी जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ कर इस माननीय सदन म नहीं आए आज उसी प्लेटफार्म से बोलने का उन्हें क्या अधिकार है। क्या यह मान हानि नहीं है .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मेरा निवेदन है कि हमारे कुछ मन्त्री लोग बैठे हैं। मैं चाहता था कि विधान सभा चले लेकिन यहाँ पर ऐसे मन्त्री बैठे हैं जो अपने साथ डकैतों को रखते हैं। यहाँ ऐसे मन्त्री बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के पुतले हैं, ऐसी सरकार बैठी है जिसके लिए राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। श्यामधर मिश्र जी ने केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों पर बहुत कुछ कहा लेकिन मुख्य मन्त्री जी का भाषण जो उन्होंने दिया उसे देख लिया जाय। [× × ×]

श्री मुकीमुर्रहमान—

माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि यहाँ[× × ×]यह कहाँ तक मुनासिब है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपत्तिजनक शब्द होंगे उन्हें निकाल दिया जायगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैंन..... [× × ×]

श्री मुकीमुर्रहमान—

मेरी बात तो पहले आप सुने। सदन मे सभी सदस्य बराबर हैं, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन माननीय सदस्य न कहा कुल [×××] हैं। एसे अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ये शब्द निकाल दिए जायेंगे। ऐसे आपत्तिजनक शब्द उनको नहीं कहना चाहिए था जिससे उत्तेजना पैदा हो। [उत्तेजनात्मक शब्द किसी माननीय सदस्य को नहीं कहना चाहिए।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

अब हमक कोकिल जैसी तथा मधुर आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। आज यह कुर्सी बचाओ सम्मेलन इस सदन में हो रहा है। आज जो ये विरोध पक्ष में लोग बैठे हैं ये सीधे नपुंसक बन गये हैं, चरणं शरणं गच्छामि के हिमायती हो रहे हैं। नीति विहीन बने हुए हैं। उनका सर कटा हुआ है। मेरे मित्र जरा अन्तरात्मा की आवाज सुनें।

(व्यवधान)

दल बदलू कौन है ? दलबदलुओं के राजा के साथ देने वाले मोहन सिंह कहते हैं दल बदलू कौन ? गिरगिट कौन और गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला कौन?

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा अध्यक्ष पद के चुनाव की तिथि की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मुझे सदन को एक आवश्यक सूचना देनी है ?

एक सदस्य--

दिल्ली से कोई प्रस्ताव आया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप उससे घबराते क्यों हैं ? कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री राज्यपाल ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8(1) के अनुसार 8 फरवरी, 1980 की तिथि निर्धारित की है?

तदनुसार उक्त नियम 8 के उप नियम (2) के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र उचित रूप से प्रस्थापति तथा समर्थित किए जाकर 7 फरवरी, 1980 के मध्याह्न (12 बजे दिन) के पूर्व सचिव, विधान सभा को दिए जा सकते हैं।

विधान सभा भंग करने का कोई औचित्य न होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, प्रस्ताव के बारे में एक बात यह कही गयी है कि यह प्रस्ताव काल्पनिक है लेकिन श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी जो पुरानी तानाशाही प्रवृत्ति.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रस्ताव पर ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उसी सन्दर्भ में कह रहा हूं कि उनकी विजय का उन्माद क्या नहीं कर सकता है। इस समय उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है.....

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

इन्दिरा गाँधी का नाम लेने से पहले आप अपनी जबान को गंगा जल से धो डालो, तब उनका नाम लो।

श्री उपाध्यक्ष--

अपने दल के लोगों को भी बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे साथियों ने बड़े जोरों के साथ सफाई देने की कोशिश की है लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी अपने मुंह से तो कहती नहीं हैं कि विधान सभाओं को भंग करेंग जबकि उनका यह प्रस्ताव काँग्रेस की अखिल भारतीय कार्य-कारिणी समिति म आया था, तब वह बैठी रहीं। आज उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग करने की बात संजय गाँधी की तरफ से उठाई जा रही ह। इसका कोई औचित्य नहीं है..

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अहमद--

एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जनता पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारिणी समितिया किसी पार्टी की जानकारी यहां कैसे रख दी. . . .

(व्यवधान)

अपने पीछे अटल बिहारी को देखने. [× × ×] की पार्टी. . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस तरह से विधान सभा नहीं चलेगी ।

(एक साथ कई सदस्य खड़ होकर बोलने लगे और कुछ सुनाई नहीं पड़ा)

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इसको अस्वीकार करता हूं । आप इस तरह से उत्तेजनापूर्ण शब्द न कहें । यह [× × ×] शब्द आप न कहें । आप कृपया बैठें. . . .

(व्यवधान)

[× × ×] यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायगा । (श्री गुलाब सेहरा से) आप दल के नेता हैं मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप यह देखें कि इस तरह से कोई उत्तेजनापूर्ण शब्द उधर से न आयें । इसी तरह से मैं सभी दलों के नताओं से भी आग्रह करूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मेरी ओर से कोई ऐसी बात नहीं होगी । लेकिन श्रीमन्, माननीय राजेन्द्र कुमार जी से कहूंगा कि वे देश की प्रधान मन्त्री को एक सम्मानजनक तरीके से कहें. . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने अपमानजनक तरीका प्रयुक्त नहीं किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

उन्होंने आपके कहने के ढंग पर ही कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी, आप प्रस्ताव पर ही बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं तीन चार तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं । विधान सभा भंग करने की कोई जरूरत नहीं है ।

मान्यवर, इस विधान सभा में सत्तारूढ़ दल को सरकार चलाने के लिए बहुमत प्राप्त है, यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन करने की बात की थी लेकिन उसकी जो आलोचना की जा रही है उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम प्रतिपक्ष में बैठ कर प्रतिपक्ष की भूमिका पूरी तरह से अदा कर रहे हैं । लेकिन जहाँ तक श्रीमती इन्दिरा गाँधीकी तानाशाही की बात है उसमें मैं माननीय सदस्यों को साफ बता देना चाहता हूं कि सवाल मुकाबले का है उनकी तानाशाही के मुकाबले हम इनको ठीक समझते है, उस तानाशाही में भागीदार हम नहीं बनना चाहते हैं । उस परिपेक्ष में हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं यहां कहा जा रहा है। कि शान्ति और ब्यबस्था की हालत बिगड़ गई है। मैं इस बहस में नहीं जाता कि नारायणपुर काण्ड में क्या हुआ या शान्ति और व्यवस्था अच्छी है या नहीं और आगे क्या होगा, या यह लोग आकर क्या करेंगें। लेकिन इस बात की क्या गारन्टी है कि विधान सभा भंग होने के बाद नौकरशाही के नियन्त्रण में प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था ठीक हो जायगी, इसकी मान्यवर, गारन्टी नहीं है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह संविधान में प्राविधान है लेकिन किसी को कोई अधिकार एबसोल्यूट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। हर आदमी नियम और कानूनों से बन्धा हुआ है। पिछली बार जनता पार्टी ने सरकार भंग की थी उसके बाद न्यायालय में मामला गया था न्यायमूर्ति भगवती ने जो फैसला दिया उससे यह बात सिद्ध होती है कि आज की परिस्थितियों में यहाँ की विधान सभा को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है। उसमें एक वाक्य दिया हुआ है कि अगर सत्तारूढ़ दल लोक सभा चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो जाय। "बुरी तरह से पराजित हो जाय"। इस वाक्य पर विचार किया जाय। तो क्या यह सही है कि यहाँ पर प्रतिपक्ष बुरी तरह से पराजित हो गया है? और प्रदेशों की बात मैं नहीं कहता। यहाँ टोटल 85 सीट हैं उसमें से काँग्रेस (आई) को केवल 51 सीटें ही मिली है। यह सीटें ज्यादा नहीं है। आपको स्मरण होगा सन् 67 में काँग्रेस को जब इन्दिरा गाँधी जी सत्तारूढ़ थीं 73 सीट मिली थीं। आज के वातावरण में जिस समय निगेटिव वोटिंग हुई केवल 51 सीटें मिली। जहाँ तक प्रतिशत का सवाल है कुल 39.22 प्रतिशत वोटिंग हुई। काँग्रेस को कुल प्रतिशत का 36 प्रतिशत मिला और लोकदल तथा जनता को मिलाकर 51 परसेंट वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में 64 प्रतिशत मतदाताओं ने काँग्रेस के खिलाफ वोट डाले जब जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव के बाद विधान सभा भंग की थी उस समय एक भी सीट काँग्रेस को नहीं मिली थी और 51 परसेंट वोट कहीं नहीं मिले थे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। केवल 11 सीटें निकाल दी जायं तो शेष निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर 51 परसेंट वोट काँग्रेस के पक्ष में पड़ा हो।

जहाँ तक आज के वातावरण का प्रश्न है हम उत्तर प्रदेश में विधान सभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं, जनता ने लोक सभा के लिए जो फैसला किया है उसमें ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती कि विधान सभा को भंग किया जाय। मान्यवर, एक बात साफ है कि काँग्रेस (आई) का जो पुराना रवैया अधिनायकवाद रहा है और जो हमारा संघीय स्वरूप है उसको नष्ट करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं बताना चाहता हूं कि आज वह वातावरण नहीं है, जनता समझ रही है और आप देख सकते हैं कि काँग्रेस इतनी विजय के बाद आई है लेकिन उसका जनता में कोई उल्लास नहीं है। जो परिस्थितियाँ हमारे सामने पहले थीं उससे आज बिगड़ रही है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बात पर बल प्रदान करता हूं कि आज हमारे प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि विधान सभा को भंग कर दिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर अधिनायकवादी दृष्टिकोण को लेकर काँग्रेस (आई) ने, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग किया तो हमारे सेहरा साहब को मालूम होना चाहिए कि उनको कड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा आप यह विश्वास रखें कि जनता से इस वक्त जितनी सीट लेकर आप आये हैं यह सीटें भी आपको न मिलें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, माननीय अश्विनी कुमार चतुर्वेदी जी की नजरों में तमाम हम लोग तो नपुंसक लगे और इनके अन्दर जो कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने नसबन्दी के खेमे में डेरा डाल दिया है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी इस बार जब सत्ता में आई, तो उन्होंने शुरू में कुछ बड़े खूबसूरत बयान देने शुरू किए। पहला बयान आया कि वह प्रान्तों की

[श्री राम आसरे वर्मा]

सरकारों के साथ, जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, कोई टकराव नहीं करेंगी। दूसरे भी बयान आए। इससे लोगों ने यह सोचा कि शायद इस बार वह फूंक-फूंक कदम उठाने का प्रयास करेंगी। यहाँ एक तरफ उनका यह बयान आया और दूसरी तरफ उनके क्रिया कलाप इस तरह से शुरू हो गए कि पुरानी यादें फिर ताजा हो गयीं। मान्यवर, बातें तो बहुत अच्छी हमारे माननीय कांग्रेसी सदस्य कर रहें हैं और वैसे ही उनकी नेता भी कर रही है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वैसे तो केन्द्रीय गृह मन्त्री जैल सिंह का बयान भी आया है कि विधान सभाओं को भंग करने का उनका कोई विचार नहीं है, लेकिन एक तरफ यह बयान है और दूसरी तरफ वह तरीके निकाले जा रहें हैं, जिनसे कोई यह भी न कह सके कि संविधान की हत्या कर दी गयी है और उनका मकसद भी पूरा हो जाय। श्रीमन्, मैं इस समय जरा अपने कांग्रेसी भाइयों को उनका शीशा उन्हीं के सामने दिखाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सन् 77 में इसी सदन के अन्दर जो कहा था, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जे दिलाना चाहता हूं। उस समय भी जब विधान सभा भंग करने का सवाल चल रहा था तो उसी से आशंकित होकर उन्होंने इसी सदन में कहा था—"श्रीमन्, संविधान के अनुसार अभी तक तो कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला इस सदन के इतिहास में, न मिला बल्कि संसार के किसी इतिहास में, जहाँ संघीय संविधान हो ऐसा मिला हो कि संघ की सरकार किसी दूसरी पार्टी की हो गई हो तो राज्य की सरकारों ने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया हो।" इसके साथ आप यह भी कहते हैं—"जर्मनी को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए एवं वहाँ पर भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न सरकारें नहीं रह सकती हैं।" आज संघीय संविधान का टेस्ट है। मैं भी यह कहता हूं कि संविधान में जो संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, जिसको बहुमत भी सदन में प्राप्त हो, भंग करने की सोचना, भंग करने की साजिश करना संविधान के साथ जहाँ जबरदस्ती है, उस पर हमला है, मैं समझता हूं कि साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नैतिक अपराध भी है। और इस तरह का नैतिक अपराध यदि किया गया तो उत्तर प्रदेश की जनता संविधान के साथ और उनकी मनोभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखती है। अभी हमारे भाई लोग कह रहें थे कि आप डर रहें हैं। मैं कहता हूं कि यह बात आप लोगों के हित में है कि जो काम आपने पहले किए उनकी पुनरावृत्ति आप न करें—संविधान की हत्या पहले करते रहें और इस बार आप फिर कर रहें हैं।

संविधान में जो प्राविधान है उसी के अनुसार आचरण हो। डर की बात है तो मैं कांग्रेस (आई) के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरा इस्तीफा पहले लिखवा लें और फिर वह खुद इस्तीफा दें और जनमत लेकर फ़िर आ जायं। अगर हिम्मत है तो करें और देख लें। मैं कहता हूं कि अगर किया तो एक तिहाई भी चुनकर नहीं आयेंगे, चाहे जितना इन्दिरा गांधी और संजय का नाम ले लें। एक बात और कहना चाहता हूं, श्रीमती इन्दिरा गाँधी अपने को लोक तन्त्र का दम भरने वाली कहती हैं, तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद केरल का चुनाव हुआ। क्या वहाँ पर जनता नहीं रहती है? वहाँ की जनता ने इन्दिरा गाँधी के उम्मीदवारों को ठुकराया। और उन्हें लोकतन्त्र के प्रति जरा सी भी आस्था होती तो केरल की जनता के आदेश पर सबका नहीं तो कम से कम केरल से जो एम0पी0 चुनकर आये थे उनका चुनाव पुनः करवा लेतीं। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस (आई) का एक भी एम0एल0ए0 चुनकर नहीं आ पावेगा इस बात को जो कांग्रस (आई) के लोग बैठे हैं वह जानते हैं। और वह अपने दिल से नहीं चाहते हैं कि विधान सभा भंग हो। लेकिन मान्यवर, यहाँ पर मुख्य मन्त्री बनने की होड़ लगी हुई है।

गुलाब सेहरा जी चाहते हैं कि मैं मुख्य मन्त्री हो जाऊं, ब्रह्म दत्त जी चाहते हैं कि मैं यहां का मुख्य मन्त्री हो जाऊं और कमला पति त्रिपाठी यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री लोकपति त्रिपाठी हो जायं। इस तरह से विधान सभा भंग हो। मान्यवर, मुख्य मन्त्री बनने के लिए होड़ लगी हुई है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। मैंने बहुत से लोगों की बात सुनी। कौन किस पक्ष का है, यह वही जान सकते हैं, लेकिन जो सबकी आवाज है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है—

अल्ला मुझको कुर्सी दे दे,
मौला मुझको कुर्सी दे दे।

लेकिन जिसने आपको यह कुर्सी दी है, जितने यहां पर बैठे हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं कि जिस मौला ने यह कुर्सी दी है, मेरे कहने का मतलब है जनता से, क्या आपने गलियों में, सड़कों पर, रास्तों में, चाय की दुकानों पर और पान की दुकानों के पास क्या आपने पूछने की कोशिश की है कि वे लोग क्या चाहते हैं। हम रहें या बाहर चले जायं। साफ बात है कुर्सी हमको भी प्यारी है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि इज्जत इसी में है कि इस कुर्सी को छोड़कर समय से बाहर चले जाओ। एसा न हो कि हमारा मौला यानी जनता कान पकड़ कर सबको बाहर कर दे।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, यह हमको धमकी दे रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप श्रमिकों के पास जायं, जिनकी माँगों का जवाब मिला है गोली, बौछार और उनसे पूछें कि विधान सभा भंग हो या न हो। यह इन्दिरा गाँधी की इच्छा का सवाल नहीं है या संजय गाँधी की इच्छा का सवाल नहीं है यह सवाल है कि जनता क्या चाहती है। आप जायं और अध्यापकों से पूछें। मैं भी अध्यापिका रही हूं। एक बहन की आवाज को सुनने का आपको दम होना चाहिए। आप इन अध्यापकों के पास चले जाइए जब उन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का सवाल पेश किया था तो उनको जेल में डाल दिया गया था।.....

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता; श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

और उनकी माँगों का जवाब था लाठी। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, उन विद्यार्थियों से पूछिए कि एसेम्बली भंग हो या न हो, जिन विद्यार्थियों के ऊपर 23 ता० को जिस निर्मम तरीके से लाठी प्रहार हुआ जिसको आज तक नहीं भूल सके हैं, उनसे पूछिए। मैं आपसे कहती हूं कि आप उन नर्सेज से पूछिए जिन नर्सेज पर पिछले साल सामूहिक बलात्कार हुआ, उनसे पूछिए कि वह असेम्बली जो फ्लोरेन्स नाइटिंगेल के प्रतिनिधियों की इज्जत, सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती वह एसेम्बली भंग हो या न हो। यह आपका, पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है उन महिलाओं का जिनकी इज्जत आप लोग नहीं रखा पा रहे हैं। इसमें हम भी दोषी हैं आप भी दोषी हैं। यह सभा इस योग्य नहीं है कि एक दिन भी चले। अगर हममें इज्जत है तो हमको इस सभा को फौरन भंग कर देना है। आज से 5 हजार वर्ष पूर्व द्रोपदी का चीर हरण हुआ, केवल एक व्यक्ति का, पूरा भारतवर्ष अग्नि-कुण्ड बन गया था। आज नारायणपुर में क्या हुआ, किस प्रकार वहां पर महिलाओं की इज्जत लूटी गयी है। इस एसेम्बली को कोई हक नहीं है, कि वह भंग न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मान सिंह आजाद—

अधिष्ठाता जी, जरा इधर देखिए हमारी तरफ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बठ जायं।

* श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, एक चिन्ता का विषय हाउस के सामने यह है कि आज सदन में आगरा और बरेली का असर हमारे कांग्रेस (आई) के माइयों पर ज्यादा देखा गया है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया सदन में शान्ति बनाए रखें।

श्री देव कुमार—

तकलीफ इस बात को है कि और लोगों पर तो असर होता लेकिन हमारी बहिन स्वरूप कुमारी बख्शी पर आगरा और बरेली का असर आ गया है। उन्होंने भी उसी भाषा में बात की जिस भाषा में माननीय सदस्य आगरा ने अपने विचार रखे।

मान्यवर, आज दुनिया के बहुत बड़े लोकतन्त्र के सामने एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा है कि इस देश के संघीय स्वरूप, संघीय संविधान का ढांचा और लोकतन्त्र कायम रखोगे या आतंकवादी ताकतें लोकतन्त्र को समाप्त कर देंगी। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ी तकलीफ की बात यह है कि 1957 में केरल सरकार को भंग करने के पश्चात् इस देश में एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें थीं उनको बहाना लेकर भंग किया गया। यह बात सही है कि 1977 में जनता सरकार न इस प्रदेश की एसेम्बली को और अन्य विधान सभाओं को भंग किया लेकिन मान्यवर, इस विधान सभा को भंग करने की परिस्थितियां बिलकुल भिन्न है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है। उसको दुहराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कांग्रेस (आई) के भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं और बताता हूं कि इस देश में 23 करोड़ मतदान हुआ जिसमें केवल 8 करोड़ मतदान कांग्रेस (आई) के पक्ष में हुआ। 29 प्रतिशत मतदान लोक दल को, 21 प्रतिशत जनता पार्टी को, 8 प्रतिशत के लगभग कांग्रेस (यू0) को और 4 प्रतिशत कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दलों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यदि आपको यह भ्रम है कि अगर विधान सभा भंग हो गयी तो आप बहुमत में आ जायेंग, तो इसको प्रदेश की जनता दूर कर देगी। मैं अपन कांग्रेस (आई) के भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं जैसा कि ऊदल जी ने कहा था कि आपको गम्भीरता का परिचय देना चाहिए, सहनशीलता का परिचय देना चाहिए, अगर जनता ने इधर को कुछ कमी के कारण आपको नकारात्मक वोट देकर गद्दी पर बठा दिया तो फिर आपको वही सजा मिलेगी जो आपको वर्ष 1977 में मिली थी।

गुलाब सेहरा जी ने कहा कि राज्यपाल जी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी लेकिन सारे देश में आशंका व्याप्त है। जिस प्रकार प्रेस यहां की विधान सभा की बात छाप रहा है, जिस प्रकार से इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी ला-एण्ड-आर्डर-सिचुएशन को लेकर केस बना रहे है, उससे जाहिर होता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है और वे यहां की विधान सभा को भंग करना चाहते हैं। अगर आप कानून और व्यवस्था को ही बात की लेकर यहां की विधान सभा को भंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश को विधान सभा को भंग करना चाहिए जहां पर देश में सबसे ज्यादा समय तक कर्फ्यू लगा रहा और साम्प्रदायिक दंगों में हजारों आदमियों का बलिदान हुआ। नारायणपुर की घटना को बढ़ा-चढ़ा कर कहा जा रहा है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह तसलीम किया गया है कि कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जगहों पर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं रही और हरिजनों पर जुल्म भी हुए लेकिन इस सरकार ने बड़ी इमानदारी के साथ उसे तस्लीम किया और वहां के अधिकारियों को दंडित भी किया और उनकी न्यायिक जांच भी हो रही है। लोक सभा के चुनाव में 52 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ। इसलिए इस विधान सभा को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मान सिंह आजाद---

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे जैसे व्यक्ति को भी समय नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिए, आपको समय मिलेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, इस पर काफी बहस हो चुकी है। अब आप से निवेदन है कि आप बहस बन्द करके इस पर मतदान कराइए और इस प्रस्ताव को पारित कराइए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं माननीय श्यामधर मिश्र द्वारा प्रस्तु[illegible] प्रस्ताव की मंशा से सहमति व्यक्त करते हुए, आपका ध्यान संविधान के अनुच्छद 174 अ[illegible] 356 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज जिस परिपेक्ष्य में यहाँ पर चर्चा हो रही है उसमें अनुच्छद 174 का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यहाँ की सरकार और राज्यपाल ने कोई सिफारिश नहीं की है। आज जो यहाँ पर सारा वातावरण बना हुआ है वह केवल श्री [illegible]जय गाँधी और काँग्रेस (आई) की जो कार्यकारिणी है उसके प्रस्ताव को लेकर बना है इसलिए आज विधान सभा को भंग किए जाने की आशंका अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की जा रही है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि :-

> "यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह कार्यवाही करेंगे।"

इसलिए मेरा निवेदन है कि आज कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें कोई व्यक्ति यह कह सके कि संविधान के तहत जिस प्रकार का शासन चलना चाहिए, वैसा उत्तर प्रदेश में सम्भव नहीं है। हमारे काँग्रेस (आई) के भाइयों ने वर्ष 1977 के चुनाव का हवाला दिया। उसमें मध्यावधि चुनाव जो हुए उसमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा के कुछ उद्धरण इस "इलेक्शन आर्किव्ज" नामक पुस्तक से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार से हैं---

> "... It is possible that in a fedral policy, issues facing the electorate in the Assembly elections differ from issues in the Lok Sabha elections. The situation in the recent Lok Sabha elections was different. National and State policies were indistinguishable during the emergency...."

राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सभा और असेम्बली के चुनाव में मुद्दे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। मान्यवर, लोक सभा के इस मध्यावधि चुनाव की स्थिति पहले वाले चुनाव से बिल्कुल भिन्न थी। उस समय राष्ट्र और राज्यों की नीतियाँ इस तरह से मिल गयी थीं कि उनको अलग-अलग करना असम्भव था और इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने यह माना था कि इलेक्शन जो लोक सभा के हुए उसमें मतदाताओं ने जो अपना मत दिया वह मत राज्य सरकारों पर भी पूरी तरह से लागू होता था। इसलिए केवल वोटों के परसेंटेज का सवाल नहीं था, केवल सीटों का सवाल नहीं था। आज यहाँ पर सन् 77 की, परिस्थितियाँ लागू नहीं होती हैं।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

जिस तरह से आर्टिकल 356 है विधान सभाओं के भंग करने के बारे में, उसी तरह का आर्टिकिल 85 भी है लोक सभा को भंग करने के बारे में। इस आर्टिकिल 85 के सम्बन्ध में जो पहले आर्टिकिल 69 था, जब कान्सटीट्यून्ट असेम्बली में डिबेट चली थी उस समय बहस में बोलते हुए डा0 अम्बेदकर ने कहा था —

". . In the same way, the President of the Indian Union will test the feelings of the House whether the House agrees that there should be dissolution or whether the House agrees that the affairs should be carried on with some other leader without dissolution. If he finds that the feeling was that there was no other alternative except dissolution, he would as a Constitutional President undoubtedly accept the advice of the Prime Minister to dissolve the House.

. . . . . There are other ways for the President to test the feeling of the House and to find out whether the Prime Minister was asking for dissolution of the House for BONA FIDE reasons or for purely party purposes.

इस तरह से राष्ट्रपति यह टेस्ट करने के लिए कि हाउस का विघटन होना चाहिए या नहीं, सदन के सदस्यों की भावनाओं का जायजा ले सकता है और अगर यह जायजा लेकर राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विघटन किए बिना ही किसी दूसरे तरीके से सदन को चलाया जा सकता है तो वे प्रधान मन्त्री की राय को नहीं मानेंगे।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, राष्ट्रपति के पास दूसरा जरिया भी हो सकता है जिसके जरिए वे सदन की भावनाओं का जायजा ले सकते हैं। इस प्रस्ताव के जरिए, यह बात सही है कि सदन की भावनाओं का जायजा राष्ट्रपति महोदय को हो जायगा, यह पता हो जायगा कि यह सदन विघटन नहीं चाहता है। जहां तक परिस्थितियों का सवाल है, आज वह परिस्थितियाँ भी नहीं हैं जो आर्टिकिल 356 में दी हुई हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आर्टिकिल 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह तय करता है कि विघटन किया जाय या नहीं, उस पर माननीय मिश्रा जी ने जो यह डिबेट छेड़ी और जिस तरह का प्रस्ताव रखा, मैं समझता हूं संविधान की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से यह उचित नहीं है। अच्छा यह होता कि वे इस प्रस्ताव को इस शक्ल में लाते कि हालांकि आज विघटन की परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन संजय गाँधी और इस देश की प्रधान मन्त्री और उनकी पार्टी के लोग नाजायज तरीके से इसका प्रयास कर रहें हैं और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रहें हैं जिसके जरिए उन्हें बहाना मिल सके विघटन का। अगर इस तरह का कोई निन्दा का प्रस्ताव वे लाते तो ज्यादा अच्छा होता। उसमें राष्ट्रपति से कहा जाता है कि वे इस पर अंकुश लगायें। वह स्थिति ज्यादा मौजू होती, क्योंकि नियम 103 में उपाध्यक्ष ने इसकी अनुमति दी। उसमें यह अनुबन्ध स्पष्ट है—"संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गये, प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी।" तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके विरुद्ध इस पर चर्चा करना एक नई परम्परा नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आज इन्दिरा गाँधी पर यही आरोप है कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर संविधान को अपने हाथ में लेकर संविधान के साथ बलात्कार करके आज इस विधान सभा को भंग करना चाहती हैं। तो उसको संवैधानिक तरीके से इस सदन के अन्दर क्येश्चन नहीं करना चाहिए था।

यह मेरा अनुरोध अवश्य है और मैं मिश्रा जी से चाहूंगा कि जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने संशोधन रखा उस तरह का कोई संशोधित प्रस्ताव लाना ज्यादा अच्छा होगा। जहां राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहिए था कि इन्दिरा गाँधी और संजय गाँधी गलत तरीके से यहां पर एक विद्रोह और अव्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, यहां पर एक ऐसे

बातावरण का निर्माण करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करके, जिसके जरिए उनको बहाना मिले विधान सभा के विघटन का। जहाँ तक माननीय सदस्यों की भावनाओं की बात है, मैं समझता हूं कि आपके सामने वह भावनाएं आ गयी हैं, कोई भी इस समय प्रदेश पर संवैधानिक संकट नहीं खड़ा है जिसमें विधान सभा के विघटन की आवश्यकता हो। मेरा निवेदन है कि इस सदन की भावनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाय। मैं मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेकर दूसरा एक अच्छा प्रस्ताव लायें।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जो मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा है, उसकी ग्राह्यता पर कुछ कहना मुनासिब नहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी न उसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए वह सवाल खत्म हो जाता है। मैं अपने कांग्रेस मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आवाज से वह इस हाउस के लोगों को भ्रमित कर रहें हे, उसको मान्यवर, सभी जानते हैं। हिम्मत नहीं है मान्यवर, उनको मन से कि विधान सभा को भंग कर दिया जाय। मैंने कल भी इस ओर इशारा किया था कि जब बिहार में, गुजरात में 1974 में विरोधी पक्ष के लोगों ने यह माँग किया था, तो विरोधी पक्ष के जितने विधायक थे, उन सारे लोगों ने विधान सभा से इस्तीफा दिया था। अगर ईमानदारी से सेहरा साहब एहसास करते हैं, कंस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन इस प्रदेश में करना है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने साथियों से इस्तीफा दिलाना चाहिए, तब वह देखेंगे कि उनके पीछे कितने लोग चलने वाले हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में कुछ नहीं किया और चुनौती दिया है जनता पार्टी को कि जनता पार्टी अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण प्रस्ताव की परिधि में लायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं प्रस्ताव की परिधि में ही बोल रहा हूं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इस बात के समर्थक नहीं हैं। उधर के लोग चाहते हैं कि बनारसी दास की कुर्सी बनी रहे; सवाल यह नहीं है, सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का है। सवाल हमारे कांस्टीट्यूशनल मान्यताओं का है। इसीलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह घिनौनी साजिश जो चल रही है, कंस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन करने के लिए जो संवैधानिक परिस्थितियाँ काम कर रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं सेहरा साहब से, अभी मुस्लिम लीग की सरकार माइनारिटी की सरकार थी, मुस्लिम लीग में 9 मेम्बर थे, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के लोग और दूसरे लोग यह चाहते थे कि उन सभी लोगों की, 9 लोगों की सदस्यता की पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया और श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने और इनकी पार्टी ने उनकी पार्टी का समर्थन किया।

मैं कहना चाहता हूं अभी हाल में बंगाल सरकार के सम्बन्ध में कहा गया, एक मन्त्री केन्द्र के बंगाल गये वहाँ प्रणव कुमार मुकर्जी की सरकार है उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डुबा देंगे, इसी तरह से राजस्थान के बारे में कहा। यह जो सूचना है, जो नियम है, जो प्रक्रिया शुरू की गयी उसी का मुकाबला करने के लिए हमको विवश होकर एक होना पड़ा है। जो फासिस्ट ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमको मजबूर होकर एक होना पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सन् 69 में दिल्ली में जो सरकार थी उस समय यह माइनारिटी में थी और माइनारिटी में रहकर उन्होंने सरकार चलाया। सन् 74 में पार्लियामेंट में जितना बहुमत था उतना बहुमत कांग्रेस को कभी नहीं मिला लेकिन श्रीमती गाँधी को विवश होकर इमरजेंसी लागू करनी पड़ी और कहना पड़ा कि देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

सन् 74 और उसके पहले, इस प्रदेश में स्थायी सरकार थी लेकिन टेलीफोन पर दिल्ली से यहाँ के मुख्य मन्त्री बदलते रहते थे, इसलिए मेरा कहना है कि गणित कोई वस्तु नहीं है, गणित के सहारे शासन नहीं चलता, गणित से राजनीति नहीं चलती। यहाँ पर सरकार बहुमत में है, और यह लोग इक्स्ट्रा कॉंस्टीट्यूशनल तरीका अख्तियार करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं सन् 77 के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर सभी प्रदेशों का कार्यकाल पूरा हो गया था इसलिए उनको भंग करना आवश्यक था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि इस प्रकार से जनतांत्रिक मान्यताओं के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध जो साजिश चल रही है वह इमरजेंसी के दिनों की याद दिला रही है और उसको इस देश और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता—

श्री मान सिंह आजाद, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

*श्री मान सिंह आजाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। जो हमारे मिश्र जी प्रस्ताव रखे हैं विधान सभा में उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आज जो बहस हो रही है वह एक ऐतिहासिक हिन्दुस्तान की हो रही है। मान्यवर, इस हिन्दुस्तान में अंग्रेज, मुसलमान और हिन्दुओं को लड़ाकर राज्य करते रहे उसी तरह से यह कॉंग्रेसी 30 वर्षों से मुसलमान और हरिजनों को लड़ाकर राज्य कर रहे थे जो हिन्दुस्तान में प्रधान मन्त्री बनी है राष्ट्रपति को भी मैं कहना चाहता हूं कि इसी दिन के लिए कसम खाई थी, मैं खड़ा होकर हिन्दुस्तान के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र की रक्षा करना है तो सामने आओ और यह न कहो कि हम उधर के हैं और तुम इधर के हो, मैं आवाज दे रहा हूं हिन्दुस्तान के नौजवान निकल कर बाहर आओ, और जनतन्त्र को बचाना होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आप इस प्रस्ताव पर कब तक बहस करायेंगे? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस बहस को बन्द करके इसे पास करवाने की कृपा करें।*

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि अभी श्री वर्मा जी ने कहा कि बहस बन्द कराकर इसे पास करवाया जाय। इस सिलसिले में मैं अनुरोध करूंगा कि अभी बहुत सारे मेम्बर, जिनके नाम आपने लिख लिए हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका दीजिए।

*श्री मन्जूर अहमद—

माननीय सदस्य, वाराणसी ने जो प्रस्ताव रखा है। मैं सोच रहा था कि जब से यह जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। सबसे पहले इन लोगों ने जिला परिषदें भंग कीं, उसके बाद नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया व नगरपालिकायें भंग की। उस वक्त न तो माननीय सदस्य, वाराणसी और माननीय नेता सदन को जनतंत्रीय प्रणाली लगी। और जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि सन् 77 में जो विधान सभाएं 9 सूबों की भंग कीं। उस समय यह सारे काम जनतांत्रिक लगे। और इस समय जबकि कोई ऐसा विचार नहीं है तब इस सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के ऊपर शंका करना मेरी समझ में नहीं आया। सदस्य, वाराणसी ने उस समय यह बात उठाई है कि राष्ट्रपति ने स्वयं कह दिया कि वह भंग कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं करने का अभी इरादा है। तो इस अन्दाज का प्रस्ताव पहले से यहाँ ले आना ठीक नहीं लगा। अगर माननीय सदस्य, वाराणसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई प्रस्ताव उस वक्त लाते, जब यह जनता पार्टी की सरकार लोक सभा के जरिए यू० पी० की सरकार को गिराया गया। या यू० पी० में जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी उसने नगरपालिकाओं और जिला परिषदें वगैरह-वगैरह को भंग कर दिया और ब्लाक कमेटियों को भंग किया, उस वक्त कोई प्रस्ताव जनतन्त्र की हिफाजत में नहीं लाया गया।

मान्यवर, अब इस वक्त जब कि सारा समाज का हरेक अंग किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदूर, हरिजन, आदि सारे वर्ग के लोग और सारे प्रदेश की जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई नीतियाँ, कोई योजनाएं और कोई उद्देश्य नहीं रह गये हैं। माननीय सदस्य एक ऐसा प्रस्ताव लाए हैं, जिस पर मुझ बड़ा अफसोस हुआ। माननीय सदस्य, माननीय नेता सदन और हमारे साथीगण जो उधर बैठे हैं और जो हमारे साथी इधर बैठे हैं जो अटल बिहारी बाजपेयी के साथी हैं इन्हीं लोगों का कहना था कि हम इन जनतन्त्र के हत्यारों के साथ कैसे बैठें और डंडे चलाने वाली सरकार के साथ कैसे बैठें? इनके फलाँ-फलाँ मन्त्री ठीक काम नहीं करते। और अब यह अटल बिहारी के साथी और यह डंडे वाली सरकार एक होकर जनतन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं और सिद्धान्तहीन बातों का सहारा लेकर बात को केवल बढ़ावा दे रहे हैं।

हम उनकी मदद करेंगे। लोक दल यानी चरण सिंह जी की मदद करेंगे और इस सरकार को बचायेंगे। मान्यवर, यह कहाँ का औचित्य है, कहाँ का सिद्धान्त है। मैं इन हालात में दरख्वास्त करूंगा कि नेता सदन जो हैं, वह आज के नहीं, महात्मा गाँधी के अनुयायी हैं बहुत अच्छे पालिटीशियन हैं उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वह आने वाली नस्लों को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं, इस प्रदेश को बचाना चाहते हैं, सिद्धान्तहीन सरकार चलाने से इंकार करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी के इशारों से नेता सदन चलने वाले नहीं हैं। अगर उनमें पुराना खून है, परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं भंग कर देना चाहिए। महामहिम राज्यपाल को उन्हें यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि एक ऐसी सरकार बन सके जो प्रदेश की जनता को कोई दिशा दे सके, रास्ता दे सके, अच्छा प्रशासन दे सके प्रदेश का विकास कर सके। आज प्रदेश का विकास कार्य ठप्प है और पूरे प्रदेश में सिर्फ गायत्री देवी, कान्ति देसाई, चौधरी चरण सिंह के इशारों पर हमारे भाई नाच रहे हैं इसलिए मैं माननीय मिश्रा जी से दरखास्त करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। उत्तर प्रदेश में इस सरकार को भंग करके नए चुनाव कराए जायं और अविलम्ब चुनाव की माँग करता हूं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

लोक तन्त्र को बचाने के लिए और चलाने के लिए एक संवैधानिक ढांचा तो होता है लेकिन वस्तुतः लोकतन्त्र चलता है स्वस्थ परम्पराओं और कन्वेंशन से।

आज हमको कांग्रेस (आई) की केन्द्रीय सरकार से खतरा उत्पन्न हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग न करदी जाय क्योंकि हमें अभीतक विश्वास नहीं जमा है कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी लोकतन्त्र में यकीन करती हैं? हमारा अनुभव है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखती हैं इसलिए ऐसा खतरा है कि हम बहुत अधिक बेचैन हैं और वास्तव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के लोगों को यह माँग करने का अधिकार नहीं ह कि इसे भंग कर दिया जाय। वह बार-बार जनता पार्टी का उदाहरण देते हैं हमें बिहार में गुजरात में माँग की थी लेकिन गुजरात में सदस्यों ने इस्तीफा दिया था लगभग बहुमत का इस्तीफा हो गया था। इसके बाद बिहार में भी सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। जून, 1974 से इमरजेंसी समाप्त होने तक कोई बाइइलेक्शन नहीं कराये गये। और जो कुछ इमरजेंसी में हुआ, वह हम जानते हैं। चिन्ता इस बात की है कि इस देश में लोकतन्त्र कैसे चल सकेगा।

(इस समय 6 बजकर 17 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

आज आप देखें कि सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह कह रहे हैं। आपको मैनडेट मिला था, जनता पार्टी को मैनडेट मिला था लोक सभा में सरकार चलाने का, केन्द्र में सरकार चलाने का। आपन उस मैनडेट को तोड़ा और उसके बाद एक ऐसे की मदद से जिसको आप पहले देख चुके हैं, सरकार बनाई। आपका हाल वही हुआ जो होना चाहिए था, लोक सभा भंग हुई। आप देख रहे हैं कि देश के सामने तनाशाही फिर खड़ी करवा दिया। जनता ने जनता पार्टी के एक घटक को वोट नहीं दिया था दो घटक को वोट नहीं दिया था, पूरी जनता पार्टी को वोट दिया था। राम नरेश यादव जी मुख्य मन्त्री बनाए गये। पटेलवाद तथा नेहरूवाद का सवाल उठाया गया। जो पटल के साथ था उसकी सरकार बनेगी, तो जो नेहरू के साथ था उसकी सरकार नहीं बनगी। सभी जानते हैं कि किस घटक की सरकार बनी थी, बाकी को बाहर रखा गया। जब नेता सदन मुख्य मन्त्री बने उस समय भी कहा गया फलाँ को लिया जायगा, फलाँ को नहीं लिया जायगा, इनको लिया जायगा, उनको नहीं लिया जायगा। जनता ने वोट दिया था, तो यह नहीं सोचा था कि अलग-अलग घटक हैं, इस घटक को वोट दो, इसको नहीं। एक पार्टी बनाई थी आपने पार्टी तोड़ दी। उन लोगों की मदद से तोड़ी जो काँग्रेस (आई) के साथ बैठे हुए हैं। उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा। विधान सभा भंग करने की बात हो रही है। नवम्बर में भी यह बात थी विधान सभा भंग हो सकती है मन्त्रि मण्डल के एक सदस्य ने यह कहा था। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि लोक तन्त्र की परम्पराओं को जीवित रखें। हम लोकतन्त्र की परम्पराओं, मर्यादाओं को भूल रहे हैं।

जहाँ तक अनुच्छेद 356 का सवाल है। हमारे संविधान में प्राविधान है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा भी यदि वह स्वयं सन्तुष्ट हो और अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चल रही हो तो वह सरकार को, विधान सभा को भंग कर सकता है। यह उन्हें अधिकार दिया गया था जब संविधान निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण के समय देश बट चुका था, खतरा सामने था, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि देश में अलग होने की प्रवृत्ति न पैदा हो जाय। विघटनकारी शक्तियां न पैदा हो जायं, जिससे देश टुकड़ों में बंट जाय, इसलिए 356 रखा गया था। कानून छोटा होता है, कानून में हर व्यवस्था नहीं होती है। विश्वास की बात होती है, कन्वेन्शन की बात होती है, उसको नहीं माना गया, श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने नहीं माना, केयर टेकर प्रधान मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने नहीं माना। इसका दुर्भाग्य हमको झलना पड़ा। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि काँग्रेस (आई) को 35 प्रतिशत वोट मिले, इसको भी मानने का अधिकार है। यह और हम मिलकर मानें तो हमको अधिकार है। आप को 28 प्रतिशत वोट मिले। आपकी सरकार में प्रदेश में जातिवाद, भ्रष्टाचार, हरिजनों पर अत्याचार बढ़ा है। अगर इसको कायम रखा गया तो यह मत समझो कि लोकतन्त्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीमती गाँधी को हम आपसे बड़ा खतरा मानते हैं इसलिए आपका समर्थन करते हैं। यदि सभी अत्याचार होते रहे फिर भी हम आपका समर्थन करते रहे तो यह हमसे न होगा। लोकतन्त्र की रक्षा हमें भी करनी है, आपको भी करनी है, जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखना है। इसको कायम रखते हुए ऐसी स्थिति न पैदा हो जिससे कि विधान सभा भंग करनी पड़े। इसलिए इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि विधान सभा भंग की जाय और यदि इन्दिरा गाँधी विधान सभा भंग करती हैं तो हम सब एक होकर उसका मुकाबला करेंगे।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग क्या प्रस्ताव ला रहे हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बहस को बन्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सदन सहमत है कि बहस समाप्त की जाय ?

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है, उनको अभी बोलने दिया जाय, वह बोल चुके हैं, इसलिए वह ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, इसलिए यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, कुछ और लोग बोल लें ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुलाब सेहरा ने जो औचित्य का प्रस्ताव रखा है और कहा है कि ऐसी कोई सम्भावना नहीं है और कोई बात ऐसी नहीं उठी है कि विधान सभा भंग कर दी जायगी तो इस सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसी सदन में जब मैं एक दिन बैठा था तो इन्हीं के साथी ने आकर मुझसे कहा कि आप किस दल के हैं, तो मैंने कहा कि मैं लोकदल का हूं। तो उन्होंने कहा कि इन्दिरा गाँधी ने कहा है कि परिवर्तन करके कुछ लोगों को लाओ, नहीं तो विधान सभा भंग कर दी जायगी और पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए यदि जौहरी जी आप पेंशन लेना चाहते हैं तो हमारी बात मानो। मैंने उनसे पूछा कि यह बात आपको कैसे पता चली तो उन्होंने कहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी, यशपाल कपूर और संजय गाँधी के साथ मैं इन्दिरा गाँधी से मिलकर आया हूं और उनको आश्वासन देकर आया हूं कि विधान सभा में परिवर्तन करके अपना बहुमत सिद्ध करूंगा ।

कानपुर के एक साथी ने भी मुझसे कहा था कि 28 तारीख को यशपाल कपूर नोटों की गड्डी लेकर आ रहे हैं और पचास-पचास हजार रुपए हर माननीय सदस्य को मिलेगा जो दल परिवर्तन करके आयेगा। इस पर हमने उनसे कहा कि यह हमारे वश की बात नहीं है। श्री गुलाब सेहरा कहते हैं कि हमने यह बातें किसी से नहीं कहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सत्य बात है। तो माननीय सेहरा जी आप इस तरह की बात करते हैं और विधान सभा को भंग भी कराना चाहते हैं। अभी-सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं लेकिन आप (श्री गुलाब सेहरा) औचित्य का झूठा प्रश्न उठा कर सदन को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए आपका औचित्य का प्रश्न गलत है। श्री चतुर्वेदी जी दल बदल कर चले गए हैं। मैं श्री श्यामधर मिश्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

*श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, मैं श्यामधर मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर जनतंत्र तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं की दुहाई दी है मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि नैतिकता के बिना राजनीति में यह दुहाई देना व्यर्थ है। एक मनीषी आचार्य नरेन्द्र देव ही थे जिन्होंने लोकतांत्रिक परम्परा को कायम किया था। वह परम्परा आज कायम की जाती तो यह रोना न पड़ता । आचार्य नरेन्द्र देव सिद्धान्तः काँग्रेस पार्टी से अलग हुए और उनके साथ 13 सदस्य अलग हुए। उन्हों ने काँग्रेस के टिकट को वापस कर दिया और असेम्बली से इस्तीफा दे दिया और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गये लेकिन उनको उसका गम नहीं था क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक परम्परा को कायम किया। आज जनता पार्टी के तोड़ने वाले विधान सभा भंग न करने की बात कहते हैं। कहाँ है उनकी नैतिकता । जनता पार्टी से अगर वह खड़े हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विद्या शंकर]

ये तो मान्यता यह थी कि असेम्बली तथा संसद के टिकट वापस करते और फिर चुनाव लड़ते। तब लोकतांत्रिक परम्परा कायम होती। मैं इन्दिरा गाँधी कांग्रेस (आई) वालों को भी चेतावनी देना चाहता हूं, उनको विवेक से काम करना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान आपने साधू तथा सन्यासी सभी को एक डंडे से जेल भेज दिया। तब जनता पार्टी का जन्म हुआ। फिर वही रवैया आपने अख्तियार किया तो आपकी इन्दिरा गाँधी फिर दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दी जायगी। इसलिए जनतन्त्र का तकाजा है कि जनता की चुनी हुई विधान सभाओं को मत तोड़िए, और श्याम धर मिश्र जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन यह पूरा सदन करे।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

दो मिनट मुझे दे दिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल बोल लीजिएगा। कई माननीय सदस्य बोलना चाहते थे लेकिन वह नही बोल पाए। आप कल बोल लीजिएगा।

श्री गुलाब सेहरा—

आपने कहा कि इसी तरह का एक प्रस्ताव कल आयेगा। कौन सा प्रस्ताव आपने ग्राह्य कर लिया है हम लोगों को बिना सुने हुए, क्या कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ी देर में उसकी घोषणा कर दी जायगी।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, काफी समय ले लिया गया और माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और हर तरफ के माननीय सदस्यों ने इस पर भाषण दिए। इन भाषणों से एक नतीजा निकलता है मानो एक तरफ के लोग अभियुक्त हो गये हैं। जैसे अभियुक्त लोग कोठरी में खड़े होते हैं, कचहरी के कटघरे में खड़े होते हैं वैसे ही कांग्रेस (आई) के लोग खड़े हो गये। वही हालत इनकी हो गयी। जब वे भाषण करते रहें तो एक दूसरे के भाषण से परस्पर विरोध करते रहें। गुलाब सेहरा कहते रहे कि अनुमान पर यह बात है और मन्ना लाल जी कहते रहें कि विधान सभा निश्चित रूप से भंग होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रशासन ठीक नहीं है। अब आप दोनों आदमी निश्चय कर लें, आगे बैठे हैं, कि आप सही हैं या वे सही हैं। अगर अनुमान की बात सही है तो वे गलत हैं और अगर निश्चित नहीं है तो वे गलत हैं। मन्जूर साहब तो ऐसी दशा में हैं जिनका स्थान कोई और होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए चाहूंगा कि असेम्बली भंग न हो इसलिए कि हमारे साथी ढाई साल तक और रहें। ये आने वाले तो हैं नहीं। ये हारने वाले लोग हैं। उनका मेरा साथ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह असेम्बली रहे।

श्री मन्जूर अहमद—

आप हमसे लड़ लें। उत्तर प्रदेश के किसी कोने से हमारे साथ चुनाव लड़ लें और यहाँ से इस्तीफा दे दें.....

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं तो एक बात कहता हूं, इन्होंने पहले भी कहा था और फिर भी इस्तीफे की बात कही है। मैं कहता हूं कि ये 70 या 71 आदमी हैं, और ये लोग जितने हैं 71 हम लोग भी तथा जनता और लोक दल के लोग, और चुनाव हो जाय.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, स्वीकार है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शोर न करिए। उनका भाषण सुन लें।

श्री श्यामधर मिश्र—

धारा 356 की बात कही गयी। मैंने कहा था कि संविधान में जो यह धारा है उसकी सचमुच आवश्यकता नहीं है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस के राज में हुआ, जनता के राज में हुआ और अब हो रहा है और भविष्य में उसके दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इसलिए म फिर दुहराता हूं कि इसके दुरुपयोग होने की सम्भावना है। अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा कि 356 धारा की आवश्यकता इसलिए है कि देश की एकता उससे रह जायगी। मैं नहीं समझता हूं कि धारा 356 का एकता से क्या ताल्लुक है। यह तो इमरजेंसी का प्रोवीजन है। इससे एकता नहीं होगी बल्कि एकता जब रहेगी जब वह भंग नहीं होगी। एकता तब भंग होती है जब स्थिरता अस्थिरता में बदल जाती है। स्थिर सरकारें तोड़ दी जाती हैं। मैं नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए जिस तरह से श्रीमन्, यह आया है अगर यह सरकार अल्पमत में हो तो वोटिंग हो जाय और बहुमत अगर कांग्रेस(आई) का हो और अगर वे वाक-आउट न कर लें.....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

चूंकि यह प्रस्ताव काल्पनिक है.....

(व्यवधान)

(कांग्रेस आई० दल के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

यह कल्पना पर आधारित प्रस्ताव है और शंकाओं में रखा गया है इसलिए हम वाक-आउट करते हैं।

(श्री गुलाब सेहरा कांग्रेस आई० के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

हवा खराब है, भाग गये.....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह गैर मुनासिब है।

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सर्वसम्मति से कहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वसम्मति से नहीं कहा जा सकता है।

मतदाता सूचियों को संशोधित किये जाने तक सभी प्रकार के चुनाव स्थगित रखने की चुनाव आयोग की संस्तुति के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिये जाने के प्रश्न पर भी उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

एक दूसरा प्रस्ताव श्री श्यामधर मिश्र, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री हरिश्चन्द्र, श्री राम आसरे वर्मा, श्री देव कुमार यादव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने हमारे सामने रखा है ।

एक सदस्य—

इसको कल लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव ह कि "यह सदन चुनाव आयोग से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों को पूर्णतया संशोधित किए जाने तक किसी भी प्रकार के चुनाव स्थगित रखें ।"

कल भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव आया था, वह त्रुटिपूर्ण था जिसको मैंने अस्वीकार कर दिया था । वह यह था कि "इस सदन का निश्चित मत है कि वर्तमान त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची को संशोधित कर के ही कोई आगे नये चुनाव कराने की चुनाव आयोग स्वीकृति प्रदान करे ।" इसमें यह जो त्रुटिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है इसको मैं चुनाव आयोग के ऊपर आक्षेप समझता हूं । "मतदाता सूची में संशोधन करके ही कोई नया चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग स्वीकृति प्रदान करे ।" तो यह एक निर्देश जैसा था । मैंने यह अस्वीकार किया था । आज जो आया है उसको मैं वैध पाता हूं और स्वीकार करता हूं । कल इस पर बहस होगी ।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी प्राइमरी पाठशाला मतदान स्थल पर गोली से तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

एक आइटम और रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 का एक वक्तव्य रह गया है । वह मैं कल लूंगा । अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
6 फरवरी, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए 38 (2) के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 743 पर)

सूची 'क'

समूह/ श्रेणी	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
समूह (क) प्रथम	10	1	—	—
समूह (ख) द्वितीय	39	2	—	3
समूह (ग) तृतीय	530	59	—	169
समूह (घ) चतुर्थ	355	28	—	240
कुल योग	934	90	—	412

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 759 पर)

संलग्नक]

(क) वर्ष 79 में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में सीतापुर जनपद में तहसील स्तर पर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल (क्रूड आयल) तथा मिटटी के तेल की आपूर्ति का विवरण (मात्र किलो लीटर में)—

नाम तहसील	माह	हाई स्पीड डीजल	लाइट डीजल आयल (क्रूड आयल)	मिटटी तेल
1—सीतापुर	अगस्त	332	52	182
	सितम्बर	346	51	107
	अक्टूबर	769	62	55
2—मिसरिख	अगस्त	51.5	..	40
	सितम्बर	71.5	..	10
	अक्टूबर	174	..	40
3—सिधौली	अगस्त	27.5	30	79.5
	सितम्बर	30	..	27.5
	अक्टूबर	67.5	10	33
4—बिसवाँ	अगस्त	50	40	90
	सितम्बर	40	10	31
	अक्टूबर	178	20	10
5—महमूदाबाद	अगस्त	30	10	32
	सितम्बर	30	10	13
	अक्टूबर	70	..	10

(ख) वर्ष 79 में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल (क्रूड आयल) तथा मिट्टी तेल की फुटकर बिक्री दरें (प्रति लीटर रुपये पैसे में) निम्न प्रकार रही :—

नाम तहसील	नाम उत्पाद	माह अगस्त		सितम्बर	अक्टूबर	
		16–8–79 तक	17–8–79 से	10–9–79 तक	11–9–79 से	
1—सीतापुर	हाई स्पीड डीजल	1.56	1.75	1.75	1.67	1.67
	लाइट डीजल आयल	1.26	1.65	1.65	1.65	1.65
	मिट्टी तेल	1.50	1.68	1.68	1.61	1.61
2—मिसरिख	हाई स्पीड डीजल	1.55	1.74	1.74	1.66	1.66
	लाइट डीजल आयल	1.25	1.64	1.64	1.64	1.64
	मिट्टी तेल	1.51	1.69	1.69	1.62	1.62
3—सिधौली	हाई स्पीड डीजल	1.54	1.75	1.75	1.65	1.65
	लाइट डीजल आयल	1.24	1.63	1.63	1.63	1.63
	मिट्टी तेल	1.49	1.67	1.67	1.60	1.60
4—बिसवाँ	हाई स्पीड डीजल	1.56	1.75	1.75	1.67	1.67
	लाइट डीजल आयल	1.26	1.65	1.65	1.65	1.65
	मिट्टी तेल	1.51	1.69	1.69	1.62	1.62
5—महमूदाबाद	हाई स्पीड डीजल	1.55	1.74	1.74	1.66	1.66
	लाइट डीजल आयल	1.25	1.64	1.64	1.64	1.64
	मिट्टी तेल	1.50	1.68	1.68	1.61	1.61

अनेर पढ़ेना हमें

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 763 पर)

सूची 'अ'

बहराइच जिले के उन विद्यालयों की सूची जिनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं

1—आदर्श जू० हा० स्कूल, गगापुर
2—जवाहर लाल रा० ल० मा० वि०, नवाबगंज
3—रामकुमार भानोराम का ल० मा० वि०, चिलवरिया
4—बलभद्र सिंह ल० मा० वि०, ऐरिया
5—नागरिक ल० मा० वि०, अमवा
6—जय जवान जय किसान ल० मा० वि०, जरवल
7—राजा रुद्र प्रताप ल० मा० वि०, वेडनापुर
8—शिवराजो ल० मा० वि०, लोलपुर, अयोध्या
9—नारायण सिंह ल० मा० वि०, वटनाथु सियारी
10—जनता ल० मा० वि०, पटना सरगौरा
11—सरदार औतार सिंह ल० मा० वि०, भंगहा
12—पं० दीन दयाल उपाध्याय ल० मा० वि०, प्रेमोदास कुट्टी
13—यादवेन्द्र श्री कृष्ण ल० मा० वि०, बेड़िया
14—जू० हा० स्कूल, चरदा
15—सरस्वती ल० मा० वि०, भगहा
16—किसान ल० मा० वि०, भगडिया
17—लोक विद्या मंदिर, गौरापिपरा
18—आदर्श विद्या मंदिर, जमुनहा
19—जनता ल० मा० वि०, बौण्डोराजा
20—आदर्श जू० बेसिक विद्यालय, सरकिला
21—जनता जू० हा० स्कूल, नासिरगंज
22—नेशनल नियावां जू० हा० स्कूल, नानपारा
23—बैजनाथ साह ल० मा० वि०, शाहपुर कलां
24—राम दुलारे जू० हा० स्कूल, गण्डारा ।

सूची 'ब'

बहराइच जिले के उन विद्यालयों की सूची जहाँ से अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं

1—महाजन यूनियर हाई स्कूल, बहराइच
2—अच्युतानन्द जू० हा० स्कूल, सिकन्दरपुर
3—चौ० सिया राम ल० मा० वि०, कलरपुर
4—गायत्री विद्यापीठ ल० मा० वि०, रिसिया
5—रामेश्वर जू० हा० स्कूल, चेतियाबुरार
6—जू० हा० स्कूल भारीगाँव, सोनवा
7—जवाहर ल० मा० वि०, टेडिया
8—तिलक जू० हा० स्कूल, हजूरपुर
9—किसान जू० हा० स्कूल, हुजूर पुर

10—चन्द्रशेखर आजाद ल0 मा0 वि0, रिसिया (कन्या)
11—तराई विकास ल0 मा0 वि0, बनकटा
12—जनता जू0 हा0 स्कूल, बरुआहा
13—मेवालाल जू0 हा0 स्कूल, तुलसीपुर
14—जैदुर्गे जू0 हा0 स्कूल, बकेना बाजार
15—वीर ल0 मा0 वि0, धनुही
16—सरदाल जू0 हा0 स्कूल, इकौना
17—शेष मुनि जू0 हा0 स्कूल, शेषापुर
18—मनमोहन दास अवस्थी ल0 मा0 वि0, शंकरपुर
19—नवीन जू0 हा0 स्कूल, चकपिहानी
20—गायत्री विद्यापीठ, जिगरिया
21—आदर्श जू0 हा0 स्कूल, पशुपतिनगर
22—जै भारत जू0 हा0 स्कूल, विशेश्वरगंज
23—आदर्श जू0 हा0 स्कूल, देवरा
24—रामशंकर जू0 हा0 स्कूल सेमरोतरहर
25—जनता जूनियर हाई स्कूल, भावनियापुर
26—श्री नेहरु स्मारक उ0 मा0 वि0 रुपईडीहा
27—लालबहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, वीरगंज

हाई स्कूल मान्यता प्राप्त एवं जू0 हा0 स्कूल तक अनुदानित।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 764 पर)

वर्ष 1973–74 के उपलब्ध आय-व्ययक के अनुसार अध्यापकों के विवरण

क्र0सं0	नाम	पद	योग्यतायें	जन्म तिथि	विद्यालय में प्रथम नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति का प्रकार
1	श्री काशीनाथ पाठक	प्रधानाध्यापक	एम0ए0बी0एड0	14–2–38	1–7–72	अस्थायी
2	श्री त्रिलोकी नाथ पाठक	स0अ0	संस्कृत शास्त्री	17–6–46	1–7–72	परिवेक्षण
3	श्री वाचस्पति उपाध्याय	स0अ0	शास्त्री शिक्षा शास्त्र	14–5–49	1–7–72	स्थायी
4	श्री राम गनेश प्रसाद	स0अ0	इंटर बी0टी0सी0	6–8–49	1–7–71	स्थायी
5	श्री कृष्ण प्रसाद	स0अ0	इंटर बी0टी0सी0	1–6–46	1–7–71	स्थायी
6	श्री सूर्यबली राम	विज्ञान अध्यापक	बी0एस0सी0	7–7–46	1–7–72	अस्थायी
7	श्री श्याम नारायण	स0अ0	इंटर जे0टी0सी0	1–8–45	1–7–71	स्थायी
8	श्री विद्यासागर पान्डे	स0अ0	इंटर बी0टी0सी0	1–8–50	1–7–72	स्थायी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 768 पर)

नाम विद्यालय	स्वीकृत धनराशि
	रु0
1—किसान उ0 मा0 वि0, धौरहरा . .	5,000
2—गणतंत्र उ0 मा0 वि0, देसही, देवरिया . .	4,500
3—जनता उ0 मा0 वि0, महुआरी, पथरदेव . .	4,250
4—जवाहर लाल नहरू उ0 मा0 वि0, कसीली, जमुनामठ . .	3,500
5—जनता उ0 मा0 वि0, धुरिया . .	2,000
6—जनता उ0 मा0 वि0, बटुलही . .	4,500
7—बापू उ0 मा0 वि0, सोहनपुर . .	4,000
8—अंजुमन जू0 हा0 स्कूल, देवरिया . .	5,000
9—शैल्य कुमार सिंह उ0 मा0 वि0, दिलीपनगर . .	4,000
10—विद्यार्थी विद्या मंदिर, जगदीशपुर, बरडीहा . .	5,000
11—श्री शंकर जनता विद्यालय, कसीली . .	5,000
12—जनता इ0 का0, रामपुर अवस्थी . .	10,000

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 775 पर)

सूची

1—श्री नरेश चन्द्र गुप्ता
2—श्री राम औतार तायल
3—श्री आर० पी० एस० राठौर
4—श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
5—श्री एस० डी० सिंह
6—श्री प्रदीप कुमार सिंह
7—श्री सुरेन्द्र कुमार चौबे
8—श्री पीयूष चन्द्र गौड़
9—श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
10—श्री जे० एस० सामन्त
11—श्री जुनन अहमद
12—श्री रबी रंजन
13—श्री राकेश बक्स राय
14—श्री राकेश त्रिवेदी
15—श्री प्रभु नाथ सिंह
16—श्री नबेद अफजल नकवी
17—श्री प्रताप नारायण
18—श्री अशोक कुमार गुप्ता
19—श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव
20—श्री आनन्द विक्रम सिंह
21—श्री शबाब खुर्शेद
22—श्री होशियार सिंह टरकार
23—श्री प्रकाश बिहारी श्रीवास्तव
24—श्री बलराम केसरी
25—श्री आर० के० शर्मा
26—श्री मोहम्मद सत्तार
27—श्री एस० सी० केसरी
28—श्री अजय प्रकाश बहादुर
29—श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
30—श्री जुबेर आलम
31—श्री लाल साहब माल
32—श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता
33—श्री सयअहमद वसी
34—श्री सुरेन्द्र सिन्हा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे 777 पर)

नये खोले गये ऐसे प्राइमरी स्कूलों की सूची जिनमें शासन के आदेश से प्रधानाध्यापकों की तैनाती स्थानान्तरण द्वारा की गई

1—प्राइमरी पाठशाला, कठार जंगल	कप्तान गंज
2—प्राइमरी पाठशाला, अमरडोमा	साँथा
3—प्राइमरी पाठशाला, नैनझाला	खलीलाबाद
4—प्राइमरी पाठशाला, शिव शंकरपुर	खलीलाबाद
5—प्राइमरी पाठशाला, परसा उर्फ किदाईपुर	नाथ नगर ।

संसद सदस्य

नत्थी 'ल'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 779 पर)

तालिका

अधिकारियों हेतु निर्मित फील्ड होस्टल

1—श्री विक्रमा,राय, अधिशासी अभियन्ता
2—श्री हरि शरण गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता
3—श्री महेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता
4—श्री सुरेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता
5—श्री डी0 के0 जैन, सहायक अभियन्ता
6—श्री बी0 एन0 अग्रवाल, सहायक अभियन्ता

अवर अभियंताओं हेतु फील्ड होस्टल

1—श्री पी0 सी0 गुप्ता , अवर अभियन्ता
2—श्री वाई0 के0 जैन, अवर अभियन्ता
3—श्री बी0 एस0 चौहान, अवर अभियन्ता
4—श्री बृज भूषण, अवर अभियन्ता
5—श्री ए0 के0 राणा, अवर अभियन्ता
6—श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, अवर अभियन्ता
7—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, अवर अभियन्ता
8—श्री बी0 एस0 यादव, अवर अभियन्ता

सत्यमेव जयते

नत्थी ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 781 पर)

तालिका

1—गंडक नहर निर्माण खण्ड–17, गोरखपुर

ड्रेन का नाम	लम्बाई	प्रगति
1—दिघवा ड्रेन	4.8 कि0 मी0	कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
2—पिपरपाती ड्रेन	3.2 कि0 मी0	2 कि0 मी0 बन चुकी है ।
3—निचलौल ड्रेन	5.2 कि0 मी0	4 कि0 मी0 बन चुकी है ।
4—भगवानपुर ड्रेन	6.4 कि0 मी0	कृषकों ने कार्य प्रारम्भ नहीं होने दिया।
5—रामनगर ड्रेन	3.4 कि0 मी0	कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
6—करमहिया ड्रेन	0.4 कि0 मी0	ड्रेन बन चुकी है । एक पुल निर्माणाधीन है ।

2—गंडक नहर निर्माण खंड–15, गोरखपुर

योजना का नाम	प्रगति
1—इंतिमधुर से पटनवा पुल तक पुराने बाँध का सुदृढ़ीकरण ।	कार्य हो रहा है ।
2—लाली पुर बाँध का सुदृढ़ीकरण	अभी कार्य प्रारम्भ किया जाना है ।
3—राजपुर बरहर बाँध का निर्माण	,,
4—सिकतिया डुबोली बाँध	,,
5—रगड़गंज ग्राम की हरिजन बस्ती के निकट छोटी गंडक नदी की धारा को मोड़ने का कार्य ।	कार्य पूर्ण हो गया है ।
6—कटाव निरोधक कार्य 15	कार्य हेतु पत्थर का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

परिशिष्ट 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 781 पर)

तालिका

अवर अभियन्ता का नाम	वर्कलोड	अन्य विवरण
प्रान्तीय खंड, मथुरा		
1—श्री आर0 पी0 सिंह	6.79 लाख	
2—श्री एस0 एस0 श्रीवास्तव	5.34 ,,	
3—श्री यू0 एस0 वार्ष्णेय	4.43 ,,	
4—श्री ए0 क0 जैन	6.86 ,,	
5—श्री एस0 पी0 दुबे	6.18 ,,	
6—श्री आर0 एस0 सिकवार	8.75 ,,	
7—श्री निहाल सिंह	4.48 ,,	
8—श्री लालाराम	6.57 ,,	
9—श्री वी0 पी0 गोयल	5.86 ,,	
10—श्री आर0 पी0 गुप्ता	5.35 ,,	
11—श्री आर0 डी0 गुप्ता	4.83 ,,	
12—श्री एस0 एस0 जैसवाल	. .	यह जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत हैं।
13—श्री ओ0 पी0 गुप्ता	. .	तदैव
14—श्री ए0 सी0 गुप्ता	. .	तदैव
15—श्री बी0 पी0 शर्मा	. .	अवकाश पर।
16—श्री शकील अहमद मकदरी	. .	यह अवर अभियन्ता प्राविधिक का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि इनकी नियुक्ति आदेश में तीन वर्ष की शर्त है।
अस्थाई खण्ड, मथुरा		
1—श्री आर0 आर0 सिंह	8.74 लाख	
2—श्री डी0 एस0 चौधरी	7.61 ,,	
3—श्री सौदान सिंह	4.35 ,,	
4—श्री सी0 पी0 मिश्रा	6.43 ,,	
5—श्री सी0 पी0 सिंह	4.54 ,,	
6—श्री एस0 एन0 दीक्षित	6.49 ,,	
7—श्री डी0 एन0 वार्ष्णेय	6.22 ,,	
8—श्री आई0 एस0 गोविल	7.51 ,,	
9—श्री पी0 के0 शर्मा	6.26 ,,	
10—श्री एस0 सी0 तिवारी	3.89 ,,	
11—श्री एस0 एस0 एल0 शर्मा	6.49 ,,	
12—श्री आर0 के0 अग्रवाल	7.63 ,,	
13—श्री चन्दन सिंह	— —	जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत हैं।